राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का १६वां दिवस [संख्या ८

शुक्रवार, १० मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, सिंचाई, पंचायत, सहकारी, राजस्थान नहर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुर्वेद एवं स्वायत शासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

(विराम)

श्री जयचन्द्र मोहिल।

ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षणार्थ भेजे गये व्यक्तियों द्वारा कार्य-संपादन

१४५. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सन् १९५८-५९ में पशुपालन विभाग की ओर से कितने व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया प्रशिक्षण पाने के लिये भेजे गये थे?

(ख) क्या जिस प्रशिक्षण के पाने के लिये उनको भेजा गया था, उनके प्रशिक्षण से लौटने के बाद राजस्थान में वे योजनाएं चालू करदी गई हैं जिसका उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था ?

(ग) क्या जिन व्यक्तियों ने ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण पाया, वे ही स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं या कहीं दूसरे विभाग में उनकी नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो किस विभाग में ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सन् १९५८-५९ में दो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया प्रशिक्षण पाने के लिये भेजे गये थे ।

(ख) भेड़ व ऊन सम्बन्धी भेड़ पालन और ऊन विज्ञान (Sheep husbandary and technology) के लिये विशेष योग्यता प्राप्त

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करने को उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था जहां से लौटने के पश्चात् विभाग की सम्बन्धित योजनाएं चालू कर दी गई हैं।

(ग) जिन व्यक्तियों को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया वे ही व्यक्ति इस स्कीम में कार्य कर रहे हैं। अन्य विभाग में कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयचन्द मोहिल : इन दोनों व्यक्तियों के क्या नाम हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके नाम हैं श्री सत्यकीर्ति शर्मा और श्री महेन्द्रसिंह।

पाली तहसील के खारडा बांध की मरम्मत

१४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या पाली तहसील के खारडा बांध की मरम्मत करवाने की सरकार की योजना है ? यदि है, तो कब से है ?

(२) क्या यह सत्य है कि बिना मरम्मत के खारडा बांध में पानी कम ठहरता है और पानी की आमद भी कम होती है जिससे सरकार व काश्तकारान दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) खारडा बांध की कोई मरम्मत करानी बाकी नहीं है, क्योंकि मरम्मत हर साल होती रहती है।

(२) औसत वर्षा होने पर बांध भर जाता है। बांध में पानी आने का मरम्मत से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वर्षा पर निर्भर रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : आज से ३ वर्ष पहले वहां के स्थानीय इन्जीनियर ने डिटेल्ड रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार इसकी मरम्मत करना जरूरी है। यदि आप चाहें तो मैं उक्त इन्जीनियर का नाम बता देता हूँ, उनका नाम श्री चौधरी है। उन्होंने रिपोर्ट भेजी है जिसमें लिखा है कि इसकी मरम्मत करना जरूरी है।

श्री दौलतराम सारण : मरम्मत की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : जिस जगह से पानी का आयात होता है वहीं से पानी लीक होता है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे ख्याल से खारडा बांध में पानी डालने के लिये फीडर भी निकाली गई। इसकी मरम्मत समय समय पर होती रहती है, इसलिये अभी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो सूचना दी है उसके आधार पर क्या आप जांच करवायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार मरम्मत करवाने की आवश्यकता

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं है । फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं और जांच करवा लूंगा ।

प्रश्न संख्या १४७

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४८

श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ।

रोहट छाया खण्ड में कुओं के निर्माणार्थ पंचायत समिति द्वारा वितरित धन—राशि

१४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) रोहट छाया खण्ड में सन् १६५६ व ६० में कितने कितने कुओं के निर्माण के लिये कितना कितना रुपया किन किन को पंचायत समिति द्वारा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सत्य है कि जो रकम कुओं के निर्माण के लिये दी गई वह बहुत कम थी और उससे कुओं का पूरा निर्माण नहीं हो सका था ? यदि हां, तो इतनी अल्प रकम क्यों दी गई ?

(ग) क्या यह भी सही है कि रोहट छाया खण्ड में काश्त विशेषकर कुओं से होती है ? यदि हां, तो फिर सरकार द्वारा उस छाया खण्ड में कुओं के निर्माण के लिये अल्पतम कितनी धनराशि दी गई है ?

(घ) क्या सरकार इस छाया—खण्ड में कुओं के निर्माण के लिये अधिक धन—राशि देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) रकम की स्वीकृति पंचायत समिति की उत्पादन की स्थाई समिति द्वारा दी गई थी और समिति ने जितनी रकम उचित समझी, स्वीकृति दी ।

(ग) रबी की फसल की काश्त विशेषकर कुओं से होती है । राज्य सरकार द्वारा १६५६—६० व ६०—६१ में इस खण्ड को क्रमशः ४०,०००) रु० एवं ३७,२००) रु० की धन—राशि दी गई थी ।

(घ) आगामी वर्ष के बजट में और धन—राशि दे दी जायगी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : जिन कुओं के लिए रकम देना बतलाया, वे कुए नये बनवाये गये हैं या मरम्मत के लिए यह रकम दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जान-

Page No.4

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कारी तो नहीं है, कुओं के निर्माण के लिए दी गई हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या ३०० और ५०० रुपयों में नये कुए निर्माण हो गये ? क्या उनका निरीक्षण किया गया कि ४००, ५०० रुपयों में नये कुओं का निर्माण हो गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नये कुए नहीं बना सके, तो दोनों बातें हो सकती हैं; पुराने कुओं की मरम्मत के लिए दी गई और नये कुओं के लिए भी दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो कुओं पर रकम लगती है, वह अधूरी दी गई, इस कारण कुए बिल्कुल बने नहीं हैं।

प्रश्न संख्या १५०

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सख्या १५१

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : १५२।

श्री अर्जुनदास : आप हैं डॉ० चन्द्रकला।

जालूपुरा भवन निर्माण समिति, जयपुर

१५२. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर [श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जालूपुरा भवन निर्माण समिति, जयपुर कब बनी ? निर्माण के समय उक्त समिति के कुल कितने सदस्य थे और अब (३१ जनवरी, १९६१ को) कुल कितने सदस्य हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि समिति के कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों की नामावली देने की कृपा करें।

(ग) क्या इस समिति में कुछ नाबालिग सदस्य हैं ? यदि हां, तो कौन कौन तथा उनकी उम्र क्या क्या है ?

(घ) इस समिति को भवन के लिये कितनी भूमि कब दी गई और किसके द्वारा ? समिति को भूमि देने का आधार क्या था ?

(ङ) क्या यह सच है कि जालूपुरा की जमीन में वहीं के अधिकृत लोगों को अच्छी तरह बसा देने के लिये ही सरकार ने जालूपुरा योजना बनाई है ? यदि हां, तो जो लोग जालूपुरा के कदीमी वासिन्दा हैं, पर उक्त समिति के सदस्य नहीं हैं, उनको बसाने की सुविधा देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(च) जालूपुरा के जो पुराने वासिन्दे वहां नहीं बसाये जा सकते, उनको कहां और कब तक बसाने की योजना है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ३१ नवम्बर, १६५६ को। निर्माण के समय सदस्य संख्या २३५ थी और अब (३१–१–६१) को ३२२ है।

(ख) जी हां। ५ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—

(१) श्री अलाउद्दीन खां।

(२) श्री शब्दल खां।

(३) श्री रहमतखां।

(४) श्री अल्ली खां।

(५) श्री याकूब खां।

(ग) जी नहीं। अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समिति को भवन के लिये कोई भूमि नहीं दी गई बल्कि इसके सदस्यों को भवन निर्माण के लिये ३०×४० फोट के ३२४ प्लॉट अक्टूबर, १६५६ के बाद विभिन्न तारीखों में अर्बन इम्प्रूवमेंट द्वारा एलॉट हुये थे। इनमें से दो प्लॉट मसज़िद के लिये हैं। इस भूमि के देने का आधार जालूपुरा के निवासियों को मेघ और नगर की दीवार के गिरने के भय से बचाने का है।

(ङ) जी हां। जालूपुरा योजना वहीं के निवासियों को अच्छी तरह बसाने को बनाई है, परन्तु जो लोग समिति के सदस्य नहीं हैं और जालूपुरा के पुराने निवासी हैं उनको बसाने की सुविधा देने के सम्बन्ध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। सम्बन्धित विभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(च) विवरण सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर के अन्तर्गत लिफ्ट इर्रिगेशन योजना

१५३. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या मंत्री, राजस्थान नहर विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान नहर की खुदाई का सालाना प्रोग्राम क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता मिली है।

(ख) क्या राजस्थान नहर से लिफ्ट इर्रिगेशन की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति कब से प्रारम्भ होगी तथा इस योजना से बीकानेर के कौन से गांवों को पानी मिलने की सम्भावना है ?

मंत्री, राजस्थान नहर विभाग (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) राजस्थान नहर की खुदाई का वार्षिक कार्यक्रम निम्नलिखित है:—

(१) १६६०–६१ : राजस्थान फीडर, कैनाल, सूरजगढ़ ब्रांच, नोरंगदेशर व रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी।

(२) १६६१-१६६२:—राजस्थान फीडर व राजस्थान कैनाल (०–१४), सूरतगढ़ ब्रांच व रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(३) १९६२–६३:–राजस्थान फीडर व राजस्थान कैनाल (१४–२२), सूरतगढ़ ब्रांच व प्रथम राइट डिस्ट्रीब्यूटरी।

(४) १९६३–६४:–राजस्थान कैनाल (२२–४०)

(५) १९६४–६५:–राजस्थान कैनाल (४०–५५), लो लेवल ब्रांच, २ आर, २ एल, ३ एल, ३ आर व एल।

(६) १९६५–६६:–राजस्थान केनाल (५५–७२) एवं लो लेवल ब्रांच। राजस्थान नहर की खुदाई का कार्य सुचारू रूप से कार्य क्रमानुसार जारी है।

(ख) जी हां। एक योजना पानी लिफ्ट करके बीकानेर के चारों ओर के क्षेत्र को पीने का पानी व सिंचाई का पानी देने के लिए बनाई जा चुकी है। यह नहर निम्नलिखित गांवों व कस्बों को पानी सप्लाई करेगी:–

(१) अरजसर

(२) महाजन

(३) मलकीसर

(४) दुलमेरा

(५) लूनकरनसर

(६) जामसर

(७) बीकानेर

परन्तु अभी यह योजना कार्यान्वित नहीं की सकती क्योंकि आगामी १० से १३ वर्ष तक राजस्थान नहर को साल भर तक लगातार पानी मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। इसके साथ साथ पानी को ऊंचा उठाने के लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता होगी; अतः अभी तक इस योजना को कार्यान्वित करने का समय निश्चित नहीं किया जा सकता है।

श्री भीमसेन : राजस्थान नहर का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हो जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह फोर्थ प्लान में पूरा होगा, तेरह साल लगेंगे।

श्री भीमसेन : लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम है, उसकी जो चेनल बतलाई, महाजन से बीकानेर, वह पीने के पानी के लिए है या सिंचाई के लिए ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : दोनों कामों के लिए है, इससे २.५२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और जो कस्बे बतलाये उनको पीने के लिए पानी और इन्डस्ट्रियल पर्पज के लिए पानी दिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब इस प्रकार की योजना है और योजना के साथ में कोई काम आया, कब प्रारम्भ होगा, किस प्रकार से कहां कहां लिफ्ट इर्रिगेशन के लिए पानी मिलेगा ? जो योजना है उसके सम्बन्ध में सारी बातों की सफाई होती। इर्रिगेशन के बारे में आपने कहा कि कुछ नहीं कह सकते।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन

Page No.7

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

किया कि इसका पैरेनियल पानी तेरह साल के बाद मिलेगा, जब पाउन डेम और दूसरे बांध बन जायेंगे, उसके बाद में लिफ्ट इर्रिगशन सम्भव है।

श्री भीमसेन : अनुमानित खर्चा कितना होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : २ : १३ करोड़ लिफ्ट इर्रीगेशन की चेनल बनाने में लगेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : लिफ्ट इर्रीगेशन कौन से स्थान से होगी, किस स्थान से लिफ्ट करके पानी दिया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी महाजन से बीकानेर, १०० फीट के करीब पानी ऊंचा उठाना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कौनसे स्थान से उठाया जायगा; यह महाजन से उठाया जायगा या दूसरे स्थान से ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : महाजन से।

श्री भीमसेन : क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान नहर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : राजस्थान नहर का मास्टर प्लान बनाया गया है, उसके मुताबिक साढ़े सात लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

आमेर तथा आबू में मच्छी उद्योग के विकासार्थ फिंगरलिंग्स का स्टॉक

१५४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में आमेर तथा आबू में फिशरीज़ डेवलपमेंट विभाग द्वारा फिंगरलिंग्स का स्टॉकिंग किया गया था ? यदि हां, तो किस किस माह में और किस किस अधिकारी द्वारा किस समय ?

(२) क्या यह सही है कि इस स्टोकिंग के लिए डाइरेक्टर ऑफ एनीमल इस्बेन्ड्री से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(३) इस स्टोकिंग के लिए फिंगरलिंग कहां से मंगवाई थी और उनके लाने पर कुल कितना खर्चा हुआ और किस मद पर ?

(४) कौन कौन अधिकारी इनको लाने के लिए भेजे गये थे ?

(५) क्या यह सही है कि अधिकांश फिंगरलिंग्स लाते समय मर गई और उन मरी हुई को पानी में रात को डाला जाकर कारगुजारी दिखाई गई ?

(६) इस स्टॉकिंग के फलस्वरूप कितना डेवलपमेंट पाया गया है ?

(७) क्या यह सही है कि इस मामले को लेकर विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

Page No.8

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां १६ दिसम्बर, १६५८ को सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, जयपुर खण्ड द्वारा आमेर में, मई १५, सन् १६५६ को मत्स्य विकास अधिकारी, जयपुर द्वारा माउन्ट आबू में व २० अप्रेल, सन् १६६० को मत्स्य विकास अधिकारी जयपुर द्वारा आमेर में।

(२) जी हां, स्टॉकिंग के समय पर ही स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

(३) नाहन (हिमाचल प्रदेश) से कुल खर्चा १५८३. ५० नये पैसे हुआ।

भत्ता—२४०. १८ नये पैसे।

पेट्रोल—७३६ मात्र।

कन्टेनर्स—३३०।

मछली के—२५५।

कॉन्टिन्जेन्सी—२२. ३२ नये पैसे।

(४) पहली बार सहायक विकास अधिकारी जयपुर खण्ड, द्वितीय बार मत्स्य विकास अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा लाई गई।

(५) जी नहीं।

(६) इनके जनन के बाद ही यह बताया जा सकेगा। परन्तु इन फिंगरलिंग्स का शारीरिक विकास जैसा कि समय समय के निरीक्षण से ज्ञात हुआ है, बहुत उत्तम है।

(७) जी हां, जांच जारी है।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस बात की चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें कुछ खर्चे का झगड़ा है, कुछ आब्जेक्टिव्ज़ हैं, उसके बारे में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जांच इस बात की चल रही है कि इन फिंगरलिंग्स को जिस ट्रक में लाये थे, वह ट्रक में से पानी निकला और पानी निकलने से वे मर गईं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिंगरलिंग्स मरने की शिकायत थी, उसको असर्टेन कर चुके हैं, डेथ एब्नोर्मल नहीं है, पांच-सात बच्चे मर गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन ढोलों में उनको लाये थे, वे ढोल खाली हो गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोटर में लाई गई थीं, उसमें एक आदमी बैठा था। इसके अलावा पानी को बार बार बदलना पड़ता है, नहीं तो वे जिन्दा नहीं रह सकतीं। वह बिल्कुल खाली नहीं हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है, जो इन्क्वायरी की है, जांच की ढोली की, उससे मालूम हुआ है कि उनमें से पानी निकालने की गुंजाइश थी और उनका पानी नीचे से निकलाना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी ढोलों के नीचे से नहीं निकला। मोटर चलती है, तो पानी निकलता ही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ढोल नीचे से फूटे थे और उनमें से पानी निकला ?

Page No.9

श्री नाथूराम मिर्धा : ढोल फूटे नहीं थे, वे टेस्ट करके लाये थे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जांच कर ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि जो कन्टेनर्स हैं, जिनमें फिंगरलिंग्स लाई गई थीं वे फूटे हुए थे और इस कारण पानी निकला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं स्पेसिफिकली 'ना' कर चुका हूँ, और फिर 'ना' करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : I am sorry, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को सही नहीं मानता। वे ढोल अब भी फूटे हुये पड़े हैं, जिन चपरासियों ने उतारा है उन ढोलों को उनके बयान हुए हैं कि वे ढोल फूटे हुए थे। तो फिर मन्त्री महोदय कैसे कहते हैं कि वे ढोल फूटे हुए नहीं थे। मन्त्री महोदय उस रिपोर्ट को सदन के सामने पेश करें तो पता चलत सकता है कि कौन सही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रिपोर्ट तो सभी चीजों की पेश करने की आवश्यकता नहीं। मन्त्री कहते हैं, उसको भी सच मानना चाहिये, कोई ढोल फूटे हुए नहीं थे और न कोई ढोल फूटा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फिंगरलिंग्स के बारे में, स्टॉकिंग्स के बारे में सुझाव हैं कि इस इस सीज़न में स्टोकिंग नहीं किया जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार के सर्कूलर के माफिक अप्रेल के महीने में स्टोकिंग नहीं किया जाना चाहिये और हमारे यहां स्टोकिंग किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई सर्कूलर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि ढोल में पोल थी, इस कारण पानी निकल गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं, ढोल में कोई पोल नहीं थी। बहुत हीं कामयाबी के साथ आमेर में और माउन्ट आबू में मछलियां आई हैं और बहुत ही अच्छी रफ्तार से बढ़ रही हैं। कोई ढोल में पोल नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

सरकारी कर्मचारियों को दिते फिक्स्ड मेडीकल अलाउन्स

१५५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार की ओर से किन किन सरकारी कर्मचारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकारी कर्मचारी राज्य की इस उपरोक्त दी हुई सुविधा का दुरुपयोग करते हैं और इससे भ्रष्टाचार फैलता है ?

Page No.10

(श्री मूलचन्द डागा)

(ग) सन् १९५९–६० में सरकारी कर्मचारियों के इलाज में सरकार को कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

(घ) क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स देने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राज्य की ओर से राज्य कर्मचारी जिनका उल्लेख राजस्थान सर्विसेज़ मेडिकल एटेन्डेन्स रूल्स, १९५८ के रूल १(बी) में व रूल ३ (ए) के नीचे दिये गये नोट में दिया गया है उनका इलाज मुफ्त किया जाता है।

(ख) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) चूंकि अस्पताल में सब रोगियों को समान दवा दी जाती है और सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होने वाली धनराशि का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता, अतः यह बताना असम्भव है कि सन् १९५९–६० में सरकारी कर्मचारियों के इलाज में सरकार को कुल कितना खर्चा करना पड़ा।

(घ) जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इसका लाभ वर्क चार्ज स्टाफ को भी दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि राजस्थान सर्विसेज़ मेडिकल अटेन्डेन्स रूल्स हमारे यहां बने हुए हैं, उनके माफिक यह सुविधा दी जाती है, उनमें वर्क चार्ज नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप आवश्यक समझते हैं कि नहीं कि उनको भी यह लाभ मिलना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता का सवाल नहीं, मेरी ओपीनियन का सवाल नहीं; जो सुविधा जिनको दी जाती है, उसके रूल्स बने हुए हैं और उन्हीं रूल्स के माफिक दिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स में यह बात नहीं है तो सरकार इसको रूल्स में लाना चाहती है कि नहीं कि डेली वेजेज़ पर काम करने वाले वर्क चार्ज स्टाफ को भी यह लाभ पहुंचाया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आपने अलग सवाल कर लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित !

जयपुर जिले की बुनियादी पाठशालाएं

१५६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर जिले में कितनी बुनियादी पाठशालाएं हैं ? उन्हें बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करने के बाद कितनी अधिक धनराशि स्वीकृत की गई ?

(२) क्या बुनियादी प्राथमिक शालाओं में प्रशिक्षण हेतु पूर्ण सामग्री है ?

Page No.11

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(३) क्राफ्ट के कार्य हेतु सरकार ने इन स्कूलों में क्या व्यवस्था रखी है ?

(४) क्या इन स्कूलों में खेल के मैदान की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) लालसोट बेसिक प्राथमिक स्कूल में खेलने के लिए क्या कोई मैदान है ? अगर नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक की जावेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जयपुर जिले में ५२ बुनियादी पाठशालाएं हैं, उन्हें बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करने के लिए, ७६,५६०) अधिक धन—राशि स्वीकृत की गई ।

(२) जी. हां ।

(३) इन शालाओं में क्राफ्ट के सामान एवं शिक्षकों की व्यवस्था की गई है ।

(४) शहर की शालाओं में निजी खेल के मैदानों की तो कोई व्यवस्था नहीं है, पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अन्यत्र खेल के मैदानों में छात्रों के खेलने की व्यवस्था कर रखी है ।

(५) लालसोट बेसिक स्कूल के खेल के मैदान के लिए कोई फील्ड नहीं है, पर खसरा नम्बर ६४६ व ६५२ की भूमि काश्तकारों से लेने की कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मंत्री महोदय ने कहा कि हर स्कूल के लिए खेल के मैदानों की व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है, मैदान नहीं हैं ।

श्री रामकरणसिंह : यह कहा कि शहरों के अलावा सब जगह है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने यह जबाब दिया कि शहरों की बुनियादी शालाओं में निजी खेल के मैदान नहीं हैं, पर उनके खेलने के लिये मैदानों का प्रबन्ध उनके प्रधानाध्यापक करते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : गांवों की बुनियादी शालाओं में खेल के मैदानों का प्रबन्ध है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ में हैं व कुछ में नहीं है । जहां नहीं है वहां कोशिश कर रहे हैं, जैसे लालसोट की प्राथमिक शाला के लिए खेल का मैदान नहीं है, वहां प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री रामकरणसिंह : केवल लालसोट की बात नहीं है, जिले भर की बात कही है । आपने यह कहा कि शहरों की बुनियादी स्कूलों में नहीं है तो इससे यही माना जायगा कि गांवों की बुनियादी स्कूलों में सब जगह खेल के मैदान हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने अर्ज किया कि कहीं हैं, कहीं नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : गांवों की शालाओं में खेल के मैदान नहीं हैं, मैंने खुद ने देखा है; आप कहते हैं कि हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गांवों की

Page No.12

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बुनियादी शालाएं पंचायतों के जिम्मे कर दी हैं, उनको प्रबन्ध करना चाहिये, सारे अधिकार तो दे दिये हैं आपको।

श्री रामकरणसिंह : अभी आप जबाब दे रहे हैं उसमें तो बता रहे हैं न कि सब जगह है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने अर्ज किया है कि कहीं हैं और कहीं नहीं हैं।

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) : कहीं नहीं हैं।

प्रश्न संख्या १५७.

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

झालावाड़ जिले में बिना लाइसेंस के पैथडाईन इन्जेक्शन का क्रय-विक्रय

१५८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) ; क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५८–५९, १९५९–६० व १९६०–६१ में झालावाड़ जिले के किस किस व्यक्ति या फर्म को किस आधार पर कब २ किस २ अधिकारी द्वारा कितने २ पैथेड्राइन के इन्जेक्शन रखने, बेचने अथवा खरीदने का लाइसेंस दिया गया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि जगदीश मैडिकल स्टोर, झालावाड़ ने लाइसेंस से अधिक मात्रा में इन्जेक्शन खरीदे हैं और बिना डॉक्टर के पर्मिट के निर्धारित दरों से अधिक कीमत में बिक्री की है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध की जानकारी सरकार को बहुत पहले मिल चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(ग) जी हां, ड्रग्स इन्स्पैक्टर, झालावाड़ को इजाजत दे दी गई है कि उक्त फर्म के विरुद्ध ड्रग्स एक्ट, १९४० के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह आज्ञा कब दी गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है इसमें कि जनवरी ६० में शिकायत आई थी उस पर हमने एक्साइज़ डिपार्टमेंट को कहा कि डेन्जरस ड्रग्स एक्ट में कार्यवाही करें, पर उन्होंने लिखा कि उनके यहां रूल्स नहीं बने हुए हैं। उनका जबाब प्राप्त होने पर ड्रग्स इन्स्पेक्टर, झालावाड़ को इजाजत दी कि उक्त फर्म के विरूद्ध ड्रग्स एक्ट में कानूनी कार्यवाही करें।

श्री भैरोंसिंह : एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने कब इत्तला दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नवम्बर में इत्तला आई कि रूल्स नहीं बने हुए हैं, फिर भी रूल १२५, ड्रग्स एक्ट ५५ के तहत पार्टी ने २०० रुपया कम्पाउन्ड के वास्ते जमा करा दिया है जो आबकारी विभाग में विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस व्यक्ति को दुबारा इस प्रकार के इंजेक्शन्स खरीदने का लाइसेंस दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आबकारी विभाग द्वारा दिया जाता है। जगदीश मैडिकल स्टोर को लाइसेंस नहीं दिया है, दूसरी फर्म को दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि डेन्जरस ड्रग्स एक्ट के मातहत उसका प्रोसीक्यूशन नहीं हो सकता था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह एक्साइज़ डिपार्टमेंट के अधिकार की बात है, उन्होंने लिखा कि रूल्स बने हुए नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : डेन्जरस ड्रग्स एक्ट कैब लागू होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हमारे विभाग का नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि डेन्जरस ड्रग्स एक्ट के तहत उसका प्रोसीक्यूशन किया जा सकता था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हमें मालूम नहीं है, हम तो चैक करके यदि कोई इस तरह की बात पाई जाती है तो एक्साइज़ विभाग को लिख देते हैं, कार्यवाही उन्हीं को करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपके विभाग के तहत आपके विभाग के जिम्मे का काम इस केस में आपके विभाग ने किया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेन्जरस ड्रग्स एक्ट के तहत उन्हीं को कार्यवाही करनी चाहिये, वे ही करते हैं; डेन्जरस ड्रग्स एक्ट के तहत लाइसेंस दिया है, उन्हीं को एक्शन लेना चाहिये और हमने उन्हों को इत्तला दी।

प्रश्न संख्या १५६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

पंचायतों के चुनाव

१६०. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में पिछले दिनों कुल कितनी पंचायतों के चुनाव हुए थे ? उनमें से कितने निर्विरोध सम्पन्न हुए ?

(ख) पहली बार में कहां कहां और कितने चुनाव स्थगित करने पड़े थे ?

Page No.14

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(१) चुनावों के दौरान में कितने स्थानों पर उपद्रव हुए ? उक्त उपद्रवकारियों के विरूद्ध सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

(घ) पंचायतों से लेकर जिला प्रमुखों के चुनावों तक सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) राजस्थान में पिछले दिनों कुल ७,३०८ पंचायतों के चुनाव हुए; उनमें से १,६६२ पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हुए।

(ख) पहली बार कुल ३३ पंचायतों के चुनाव संलग्न सूची के अनुसार स्थगित करने पड़े।

(ग) चुनावों के दौरान में १६ स्थानों पर उपद्रव हुए। उपद्रवकारियों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

(घ) पंचायतों से लेकर जिला प्रमुखों के चुनाव तक का व्यय लगभग १४—१५ लाख रुपया होने का अनुमान है। पूर्ण हिसाब अभी तैयार नहीं हुआ है। कुछ मदों के व्यय की अदायगी अभी बाकी है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो हिसाब अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने निर्विरोध १,६६२ पंचायतों के चुनाव हुए बताये इसमें क्या उम्मीदवार खड़े नहीं हुए या उनके पर्चे खारिज कर दिये या हो गये ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या ये निर्विरोध चुनाव हुए उसका मतलब यह समझा जावे कि जनता इस सम्बन्ध में जागरूक नहीं थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो आपके कहने की बात है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या निर्विरोध चुनावों का मतलब यह समझा जावे कि दूसरों ने नोमिनेशन फॉर्म भरे ही नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका मतलब यह है कि कन्टेस्ट नहीं हुआ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह खर्चा जो हुआ वह जिले के विस्तार पर है या और किसी आधार पर। इसमें जो खर्चा बताया गया है वह कहीं कम और कहीं ज्यादा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कई बातों पर अवलम्बित है। उसका विस्तार कितना था, गांवों का फासला कितना था, वोटर्स कितने थे; उसके लिए सब प्रबन्ध करना पड़ा। आने—जाने वाले ऑफिसरों को रात दिन वहां पर आना—जाना पड़ा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। आप सूची में देखेंगे कि भरतपुर में १ लाख ५७ हजार ५०० का खर्चा हुआ है। यह विस्तार

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

में व जन संख्या में दूसरे डिस्ट्रिक्टों से छोटा होते हुए भी यहां खर्चा ज्यादा हुआ है? इतना खर्चा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं हुआ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्योंकि भरतपुर के लोग ज्यादा झगड़ालू हैं इसलिए वहां ज्यादा खर्चा करना पड़ा।

श्री मुरलीधर व्यास : पंचायतों में, जिनमें निर्विरोध चुनाव हुए उसमें आपने कहा कि लोगों ने पर्चे तो भरे, मगर कोन्टेस्ट नहीं हुआ; उसमें क्या दूसरों के पर्चे खारिज किये गये या उन्होंने अपनी मर्जी से वापिस ले लिये?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दे दिया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आपके पास इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं कि जिन्होंने पर्चे प्रस्तुत किये उनके पर्चे नहीं लिए गये और बहुत सों के यों ही रिजेक्ट कर दिये गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिए इलेक्शन पिटीशन का प्रोविज़न रखा गया है।

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

(अनुपस्थित)

ग्राम टोडा, जिला टोंक की पंचायत का नगरपालिका में होने वाला परिवर्तन

१६२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) [श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम टोडा, जिला टोंक की नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन कर दिया था? अगर हां, तो कब?

(ख) क्या यह सही है कि अब उपरोक्त पंचायत को वापिस नगरपालिका में सरकार परिवर्तन कर रही है? अगर हां तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) हां। दिनांक १३—९—५६ से पंचायत बनाई गई।

(ख) सरकार द्वारा पंचायत टोडा को पुनः नगरपालिका बनाने के बारे में विज्ञप्ति संख्या एफ १। ४२ एल. एस. जी. ६०। दिनांक ३०—११—६० के द्वारा जो दिनांक १ दिसम्बर, ६० को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित हुई, जनता से एतराज मांगे गये। इस संबन्ध में पंचायत टोडा से प्रस्ताव संख्या १ दिनांक ३०—९—६० राज्य सरकार के पास पहुँचने पर ही सरकार पुनः नगरपालिका बनाने का विचार कर रही है!

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जिस समय टोडा को नगरपालिका से पंचायत में परिणत किया उस समय जनता की राय नहीं ली गई थी?

Page No.16

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनकी राय मांगी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : जो तरीका नगरपालिका को पंचायत में कन्वर्ट करने का एडॉप्ट किया वह एडॉप्ट नहीं किया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १९६० में राय मांगी गई थी ?

श्री भैरोंसिंह : यह १९५९ का प्रश्न है। १९६० में आपने बताया कि ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये, उसके बाद में कन्वर्ट किये जा रहे हैं। मगर यह प्रश्न तो १९५९ का है। उसमें क्या किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले म्युनिसिपैलिटी थी, उसकी राय ली गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस म्युनिसिपैलिटी से राय ली गई थी वह अवैध थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि वह अवैध थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह बता देना चाहता हूँ कि वहां पर उस दिन कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं थी। वहां पर कांग्रेस हार गई थी और जनसंघ जीत गया था। इसलिये चार महीनों से वे लोग हार जाने के बाद में काम कर रहे थे। वहां पर बहुत मनमानी हो रही थी। अब भी हो रही है, वहां राजस्व मंत्री को खुश करने के लिये यह हो रहा है। पब्लिक के साथ गैर-इन्साफ होता है और जिसको राजस्व मंत्री चाहते हैं उनको पंचायतों में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाता है और जनता की कोई राय नहीं ली जाती, कारण यह कि रेवेन्यू मिनिस्टर की मौजूदगी में उनकी पार्टी लूज़ कर गई थी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मैं इस संबन्ध में एक बात निवेदन करूंगा। उस समय म्युनिसिपैलिटीज़ से मेरा संबन्ध था। उस समय राजस्थान सरकार ने ६००० से नीचे या ८००० से नीचे की आबादी की जो म्युनिसिपैलिटीज़ थीं उनसे पूछा कि आप पंचायतों में रहना चाहते हैं या म्युनिसिपैलिटीज़ में रहना चाहते हैं और जिस जिस ने कहा कि हम पंचायतों में रहना चाहते हैं उनको पंचायतों में परिवर्तित कर दिया गया और वही प्रोसेस इसमें भी काम में लिया गया। इसलिये यह कहना कि पब्लिक से नहीं पूछा गया, गलत है। अपने यहां जो कानून था उसके अनुसार किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह बात बिल्कुल गलत है....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप बैठ जावें। माननीय मंत्री महोदय अभी अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाये हैं। आप उनको सुनिये तो सही इतने उत्तेजित क्यों होते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिला परिषदों के एक्ट में आप जिस तरह से एमेन्ड करना चाहते थे उसके अनुसार हमने उसे अमेंड किया। आपने यह तय किया था कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ ८००० से नीचे की जनसंख्या की हैं उनसे पूछा जावे कि वे पंचायत बनाना चाहते हैं या म्युनिसिपैलिटीज़ रखना चाहते हैं। उसके अनुसार कन्वर्ट किया। इसमें किसी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रकार की रियायत की हो या किसी का पक्षपात किया हो, ऐसी बात नहीं है। आपने प्रोसीजर यह रखा था कानून में और यह गवर्नमेंट पर छोड़ दिया था। हमने म्युनिसिपैलिटीज़ से पूछा। उस समय म्युनिसिपैलिटीज़ थीं इसलिये पूछा और अब पंचायतें हैं इसलिए पब्लिक से पूछते हैं। यह बात पंचायत एक्ट में है। इसलिए अब अगर यह कहा जाता है कि किसी के साथ रियायत हुई है या ज्यादती हुई है, यह कहना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस नगरपालिका ने अपनी पंचायत बनाने की इच्छा प्रकट की थी और जिसको आपने टेलीग्राम दिये थे, क्या यह सही है कि वह इलेक्शन में लूज़ कर गयी थी और वैध नहीं थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस सम्बंध में यह नहीं कह सकते। मैं यह कहूँगा कि टेलिग्राम दिये गये और जिसने कहा कि हम पंचायत चाहते हैं उनको पंचायतों में परिवर्तित किया गया। मैंने ऑर्डर दिया था कि सबको कोन्टेक्ट किया जावे। वैध थी या नहीं, यह मैं इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस इश्यू को लेकर मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया और कह दिया कि यह म्युनिसिपैलिटी चार महिनों से अवैध थी। उसको पंचायत में कन्वर्ट नहीं किया जावे। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि राजस्व मंत्री के प्रभाव से ऐसा हुआ, वे पंचायत समितियों में अपना बहुमत प्राप्त करना चाहते थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह कहूँगा कि यह बिल्कुल गलत है। मैं यह कहूँगा कि यह गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिये कहा जा रहा है........

(शोरगुल)

अगर मेरी इसमें गलती हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ और आपकी बात गलत हो तो आप इस्तीफा देने को तैयार हैं। टेलीग्राम मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं।

(विराम)

आप हमेशा इसी प्रकार के एलिगेशन्स लगाते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा अभी मेज पर रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आपने टेलीफोन किया उस समय म्युनिसिपैलिटी अवैध थी और उसकी अवैधता को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने म्युनिसिपैलिटी को पूछा और टेलीग्राम मेरे पास मौजूद है और मैं आपको उनको दिखाने के लिये तैयार हूँ, आप चाहें तो आप देख सकते हैं।

(शोरगुल)

मैंने म्युनिसिपैलिटी को पूछा है और उसका जवाब आया है। इसलिये किसी को खुश

Page No.18

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करने का प्रश्न पैदा नहीं होता, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि राजस्व मंत्रीजी को खुश करने के लिये ऐसा किया गया। माननीय सदस्य हर वक्त इस प्रकार की बातें कह कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं और यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट उससे बदनाम हो, मगर मैं यह कहूँगा कि इससे गवर्नमेंट बदनाम नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, न तो मैं गवर्नमेंट को न माननीय मन्त्री को बदनाम करने के लिये यह कह रहा हूँ। यह हो सकता है कि उनकी जानकारी में नहीं है। मगर वह म्युनिसिपेलिटी चार महीने से अवैध रूप से काम कर रही थी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वह म्युनिसिपेलिटी अवैध थी जिसको हाई कोर्ट ने घोषित किया। अगर इस फेक्ट में किसी प्रकार की गलती हो तो मेरा रेज़िग्नेशन इसी वक्त स्वीकार कर लिया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने पांच साल तो पंचायत और म्युनिसिपेलिटीज़ डिपार्टमेंट को चलाया है, मेरे द्वारा कोई भी काम आज दिन तक नाजायज नहीं किया गया है और मैं माननीय सदस्य को चैलेन्ज करता हूँ कि एक भी कोई ऐसा केस बतावें ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कानोड़ की म्युनिसिपेलिटी काम करती थी और उसने स्पष्ट कहा था कि उसको म्युनिसिपेलिटी ही रहने दिया जाय और पंचायत समिति में उसको कन्वर्ट न किया जाय लेकिन उसके बावजूद भी उसको कन्वर्ट किया गया।

श्री अध्यक्ष : कानोड़ का इस समय सवाल ही नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई केस ऐसा नहीं है। कानोड़ के लिये मिनिस्टर महोदय जवाब देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर हो तो फिर.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई केस नहीं आया। कानोड़ के लिये ऐसा नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

राजस्थान इन्डियन मेडीसिन बोर्ड में स्टाफ का अभाव

१६३. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान इंडियन मेडीसिन बोर्ड में स्टाफ पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि स्टाफ के अभाव के कारण कार्य में बाधा व विलम्ब उपस्थित होता है ?

Page No.19

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या वहां पर स्टाफ की कमी नहीं है जिसके कारण बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट आदि इश्यू नहीं हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर स्टाफ की कमी है। वहां दो एल. डी. सी. और दो यू. डी. सी. काम करते हैं। हमने प्रोपोज़ल रखा था कि दो यू. डी. सी. दो एल. डी. सी. और इन्स्पेक्टर्स बढ़ा दिये जायं। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने उसको मंजूर नहीं किया। काम तो चल रहा है, शिकायत तो नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : बोर्ड्स में काम होता है, प्रोसिडिंग्स वगैरा होती हैं, निर्णय आदि कर देता है तो उनको एग्ज़ीक्यूट करने में विलम्ब हो जाता है, सर्टिफिकेट वगैरा इश्यु नहीं होते हैं, स्टाफ कम है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंजीकरण का काम था वह तो पूरा हो गया है। वैद्यों का पंजीकरण हो गया तो काम तो बहुत कम हो गया है। कमी और भी महसूस होगी तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को और कहेंगे लेकिन वैसे ही जब कि सब जगह कमी हो रही है तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट एग्री नहीं करेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : दुबारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो काम तो बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

डॉ. ए. एम. खान, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, बीकानेर के विरुद्ध यात्रा-भत्ता सम्बन्धी शिकायत

१६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सन् १६५८ में डॉ० ए० एम० खान, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर नोमेडिक ब्रीड्स, बीकानेर के विरुद्ध सरकारी काम पर थर्ड क्लास में यात्रा करके फर्स्ट क्लास का किराया सरकार से वसूल करने की शिकायत हुई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि विभाग (पशुपालन) द्वारा इसकी जांच करवाई गई तथा यह शिकायत सही पायी गई ?

(ग) यदि हां, तो यह जांच कब पूर्ण हो चुकी थी और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यां ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार के पास जांच विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : कब से विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आये हैं इसी महीने में।

श्री भैरोंसिंह : मामला किस समय का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह डेट तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं डेट बता दूं। १६५६ का है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ठीक याद नहीं हैं; १६५६ का होगा।

श्री भैरोंसिंह : जांच होकर कब तक आ जानी चाहिये थी। क्या यह सही है कि इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई गवाह नहीं मिला, कोई कैसे मिला। टाइम लिमिट नहीं दी थी कि इतने दिनों में भेज दें। अब जांच हो कर आई है।

श्री भैरोंसिंह : गवाह की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि खुद ने ही इसको एड्मिट किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सम्बन्धित आदमियों को भी, जिन्होंने शिकायत की थी और उनसे खुद से भी पूछना जरूरी था।

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी ने स्वयम् ने स्वीकार कर लिया कि उसने ऐसा किया तो फिर दो वर्ष का समय क्यों लगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच पूरी कर ली गई है।

श्री भैरोंसिंह : पूरी कर ली गई है तो फिर गवर्नमेन्ट को क्यों टाइम लगा इसमें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो चार दिन पहले ही तो कागज आये हैं। थोड़ा विचार करने में तो टाइम लग जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

रोहट पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत विकास कार्य

१६५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) रोहट पंचायत समिति क्षेत्र में २ अक्टूबर, १६५६ से आज तक कौन कौन से विकास के काम हुए और उनके लिए कहां कहां कितनी धन-राशि दी गई ?

(ख) उपरोक्त कामों में कौन २ से काम पूरे हो चुके हैं और कौन से काम अभी तक अधूरे पड़े हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : कुल ४६ काम हुए उनमें से ३५ काम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। इसका क्या कारण है ? क्या इस तरह से रुपया मंजूर किया जाता है कि ४६ में से ३५ काम अधूरे रहें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विकास अधिकारी देख रहे हैं कि उनको जल्दी ही पूरा कर दिया जाय।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जो अधूरे काम हैं क्या वे इसी वित्तीय वर्ष में पूरे हो जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पंचायत समिति में पूछिये; मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सकते।

श्री मूलचन्द डाग : पंचायत समिती में रुपया दिया है, काम पूरा नहीं हो सका। काम करने का सतूना पक्का बनाना चहिये ताकि काम पूरे हो सकें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: यह तो सरकार को फिर देखना पड़ेगा कि पंचायत समितियों को अधिकार दिये गये हैं वे कहां तक वाजिब हैं।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदार सिंह।

पंचायत समितियों को वितरित कृषि के औजारों का उपयोग

१६६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [(उनियारा) श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने समस्त पंचायत समितियों को कृषि के औजार वितरित किये थे ? अगर हां, तो कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त औजार पंचायत समिति, उनियारा और देवली में भी भेजे गये थे ? अगर हां, तो उनका कहां २ उपयोग हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उनियारा में गंदुम आदि बीज बोने को यंत्र भेजा गया था ? अगर हां, तो उसका उपयोग कहां २ हुआ ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं, जिन समितियों में औजार वितरित किये गये हैं उसकी सूची संलग्न है।

(ख) जी हां। उक्त औजार पंचायत समिति देवली और उनियारा को भेजे गये थे। जिन जिन काश्तकारों ने कृषि औजार लिये उन्होंने इनका उपयोग किया। उसके अतिरिक्त उनका प्रदर्शन ग्राम खातौली व कोकाड़ ग्राम वासियों और कृषि मुखियाओं के समक्ष किया गया। शर्मा एन्ड हयू का प्रयोग निराई गुड़ाई के लिए कृषकों के यहां प्रदर्शनी के रूप में किया गया।

(ग) जी हां। उसका उपयोग निम्न जगहों पर हुआ :—

ग्राम पंचायत चीरत, दुड्डरे, खातोली शोष सूयंग, पलाई, अलीगढ़, मोहम्मदपुरा और ग्राम उनियारा।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी।

बाली व देसूरी तहसीलों में बांध निर्माण की स्वीकृत योजनायें

१६७. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील बाली व देसूरी में कहां २ कौन कौन से बांध बनाने की स्वीकृति हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील की सेलो की नाल के बांध की सर्वे पूरी हो गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को और उसके लिये कितनी धन राशि मंजूर हुई है ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) तहसील बाली व देसूरी में निम्न लिखित बांधों की स्वीकृति हुई है :—

नाम बांध	तहसील
१. दांतीवाड़ा	बाली
२. ऊंगटी (लास का गुढ़ा)	बाली
३. राजपुरा	देसूरी
४. मुथानिया	देसूरी
५. काना	देसूरी

(ख) इस योजना की प्रारम्भिक सर्वे एक साल पूर्व की गई थी। इस काम के लिए धन राशि मन्जूर नहीं की गई हैं ।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : जिन बांधों की स्वीकृति हुई है उनमें से कितनों का टेन्डर हुआ है और कितनों का कार्य हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : दांतीवाड़ा का काम चालू है। ऊंगटी में किसानों का विरोध है और वह कलेक्टर और पंचायत समिति के पास विरोध पर राय देने के लिए भेजा गया है। राजपुरा के टेन्डर्स विचाराधीन हैं। मुथानियां में टेन्डर्स नहीं आये हैं लेकिन डिपार्टमेन्टल काम कराने के लिए ऑर्डर्स अभी हुए हैं। काना के लिए टेन्डर कन्सीडरेशन में है।

श्री बेनाराम गहलोत : ऊंगटी में किसानों का विरोध है यह आपकी सूचना गलत है। वहां पर किसानों का कोई विरोध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जो सूचना आई है वह यह है :

"The cultivators did not want this project, and, therefore, the matter has been referred to Panchayat Samiti and Collector."

श्री बेनाराम गहलोत : किसानों का कोई विरोध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : दुबारा इसकी जानकारी ले लेंगे।

श्री मोतीबाबा चौधरी : पब्लिक की रुकावट किस तारीख को हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख मेरे पास नहीं है। मुझे यह सूचना मिली है कि

Page No.23

(श्री दौलतराम सारण)

वहां के लोगों का विरोध है इसलिये पंचायत समिति और कलेक्टर के पास यह भेजा गया। विरोध नहीं है तो खुशी की बात है।

श्री मोतीबाबा चौधरी : सरपंच साहब हैं उनका उसमें कुआ आता है, उन्होंने फर्जी रिपोर्ट पेश की है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : साली की बात कही; वहां सर्वे हो चुका है।

श्री दौलतराम सारण : बांध नहीं बनाने की योजना है। बांकली बांध जालोर डिस्ट्रिक्ट में है उसके पानी पर असर आता है इसलिए इस बांध को नहीं बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली पंचायत समिति के अन्तर्गत पंचायतों के सचिव पद पर आसीन शिक्षक

१६८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली पंचायत समिति में कुल कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनके सचिव उन ग्रामों के अध्यापक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार की ऐसी आज्ञा है कि शिक्षकों को ग्राम पंचायतों का सचिव न बनाया जावे ? यदि हां, तो क्या उस आज्ञा को अमली रूप दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) पंचायत समिति पाली के अन्तर्गत कुल २२ ग्राम पंचायतें है जिनमें किसी भी पंचायत में अध्यापक सचिव नहीं है।

(ख) जी हां। यह आदेश दिनांक ८—१२-६० को सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। इस आज्ञा का पालन न होने की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

डी० एम० एन्ड एच० ओ० के कार्यालय का जयपुर से स्थानान्तरण

१६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) डी० एम० एन्ड, एच० ओ० का कार्यालय जयपुर से क्यों हटाया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि दौसा से भी यह कार्यालय हटाया जा रहा है ?

(ग) क्या इस कार्यालय को जयपुर से हटाने में दवाइयों को दौसा से जयपुर मंगाने व भेजने में खर्च पहले से बढ़ा है ? यदि हां, तो इसका वार्षिक विवरण बताया जावे।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जिला जयपुर के डिस्ट्रिक्ट मैडिकल व

Page No.24

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैल्थ ऑफिसर का कार्यालय पहले किशनगढ़ था वहां से दौसा भेजा गया था। जयपुर में जिला स्तर पर अस्पताल नहीं था जहां डी० एम० एच० ओ० जो कि एक प्रोफेश्नल मैन है कार्य कर सके। दर्मियान कुछ अर्से तक यह कार्यालय जयपुर में रखा।

(ख) विचाराधीन है।

(ग) कुछ खर्चा बढ़ा है मगर तहकीक रकम नहीं बताई जा सकती।

श्री रामकरणसिंह : जैसा कि आपने (ख) भाग के लिये बताया विचाराधीन है, आप कभी दौसा से हटाकर जयपुर ले जाते हैं और कभी कहां, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले डिस्ट्रिक्ट मैडिकल व हैल्थ ऑफिसर का कार्यालय किशनगढ़ में था, जब किशनगढ़ अजमेर में सम्मिलित हो गया तो इस कार्यालय को शिफ्ट करने के लिये जगह की तलाश की गई। उस समय दो प्रोपोज़ल्स थे दौसा को भी उसके लिये सिलेक्ट किया गया था लेकिन वह फाइनल नहीं हुआ तब तक यह कार्यालय जयपुर में रहा क्योंकि जयपुर में अस्पताल है। हमारा जो इस कार्यालय का इन्चार्ज होता है उसको काम करने के लिये हॉस्पिटल चाहिये यहां पर अस्पताल एक है और यहां के सब बैड्स डिवाइडेड हैं इसलिये नहीं भेज सकते। दौसा में यह बात ठीक है लेकिन वहां जगह की कमी है और बैड्स भी बहुत कम हैं। दवाइयां भी जो जाती हैं दौसा से फिर डिस्ट्रिब्यूट होती हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम विचार कर रहे हैं, कहां इसको एडजस्ट किया जाय, जयपुर या अन्य किसी जगह।

श्री रामकरणसिंह : जब आप विचार कर रहे हैं विचार के साथ साथ आपके ध्यान में वह जगह भी होगी जहां आप इस कार्यालय को रखना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारा विचार तो जयपुर लाने का चल रहा है। उसके बारे में डी० एम० एच० ओ० से बैड्स की व्यवस्था के लिये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमारा डॉक्टर केवल इन्तजाम के लिये नहीं रहता उसको प्रोफेशन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, इसलिये यहां इनके बैड्स की व्यवस्था के बारे में बातचीत चल रही है। जहां तक हमारा लाने का विचार है वह जयपुर में ही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य

१५०. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

1. What were the production targets of our State during 2nd Plan period and what have been our achievements so far ?

2. On what basis these production figures had been arrived at ? Please place the production potential figures of each item on the table of the House.

3. What has been contemplated

Page No.25

(श्री भीमसेन)

as our production targets during Third Plan period and on what basis ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य एवं अपेक्षित (एक्सपेक्टेड) लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

	द्वितीय योजना लक्ष्य	६०-६१ का प्राप्ति	अपेक्षित उत्पादन
(१) खाद्यान्न अतिरिक्त उत्पादन (टन में)	८.१२	१०.८६	५०.३५
(२) तिलहन (कुल उत्पादन) (टनों में)	२.४०	२.७६	२.७६
(३) कपास (कुल उत्पादन) गांठ लाखों में	२.६५	२.००	२.००
(४) गुड़ का गन्ना (कुल उत्पादन)	१.१२	०.६०	०.६०

(२) उत्पादन के आंकड़े प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत किये गये काम एवं अतिरिक्त उत्पादन के लिये कल्पित (एज्यूम्ड यार्डस्टिक) पर आधारित हैं। ये प्रत्येक फसल की प्रति एकड़ उपज पर आधारित अनुमानित उत्पादन एवं क्रोप कटिंग प्रयोगों द्वारा निकाली गई अनुमानित उत्पादन द्वारा प्रनाणित किये जाते हैं। क्रमानुसार उपज के आंकड़ों की सारिणी संलग्न है।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

	इकाई	मूल वर्ष का उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन	कुल उत्पादन
(१) खाद्यान्न	००० टन	५०३५	१६००	६६३५
(२) कपास	००० गांठें	२००	१५२	३५
(३) गन्ना	००० टन	६००	६००	१८००
(४) तिलहन	००० टन	२७६	११०	३८६

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

ग्राम पंचायत रानी खुर्द के भूतपूर्व सरपंच द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

१७१. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम पंचायत रानी खुर्द, तहसील देसूरी, जिला पाली के भूतपूर्व सरपंच श्री गणेश पारीक ने अपने कार्यकाल में कुल कितने विक्रय विलेख आबादी भूमि के विक्रय के जारी किये और इस मद में कितनी रकम जमा हुई ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने कोई आज्ञा जारी कर आबादी क्षेत्र की भूमि विक्रय सम्बन्धी अधिकार ग्राम पंचायतों से वापिस ले लिये थे ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.26

(श्री मोतीबाबा चौधरी)

(३) उक्त सरकारी आज्ञा जारी होने के पश्चात् कितने पट्टे उक्त ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री गणेश पारीक ने जारी किये हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) कुल १६१ विक्रय विलेख आबादी भूमि के विक्रय किये । २०,५०३) १४ न० पै० जमा हुए ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच ने जो पट्टे दिये हैं वे सब नाजायज़ तौर से दिये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्लान के मुताबिक कुछ उन्होंने कार्यवाही नहीं की, सस्ते दर पर पट्टे दिये गये ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या जब वह सरपंच नहीं रहा उस अर्से में पहले की तारीख लगा कर पट्टे जारी किये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरपंच ने अवैधानिक रूप से कार्यवाही की उसकी जांच हो रही है, उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री शंकरलाल : यह शिकायत कब आयी । कितना अर्सा हुआ इसकी जांच करते ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: शिकायत आने की तारीख तो नहीं बता सकता । ४-७-६० को आदेश दिया और २५-१-६१ को रिमाइन्डर किया गया है ।

श्री शंकरलाल : इसकी जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है, कलेक्टर के पास रिमाइन्डर भेजा है ।

(विराम)

नैक्स्ट ।

पाली जिले की अवसायन में आई हुई सहकारी समितियां

१७२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली जिले में कुल कितनी सहकारी समितियां लिक्वीडेशन में जा चुकी हैं और उनमें बैंक की कुल कितनी रकम बकाया हैं, सूची सदन की मेज पर रखें ?

(ख) उन समितियों में कितनी रकम डूबने लायक है और उस डूबने लायक रकम का कौन जिम्मेदार है ? सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) कुल ५८ सहकारी समितियां लिक्वीडेशन में हैं जिनमें से केवल ७ समितियों पर बैंक की कुल ३६,२८६ रु० ६० नये पैसे रकम बकाया है । इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

Page No.27

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ख) किसी समिति की कोई रकम डूबने योग्य नहीं है, अतः अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : क्या बकाया रकम वसूल की जा रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

तहसील खानपुर में हींचर तथा भीमसागर बांधों का निर्माण-कार्य

१७३. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा-सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील खानपुरा, जिला झालावाड़ में हींचर बांध और भीमसागर बांध को कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

(२) क्या यह सही है कि गत वर्षा ऋतु में हींचर बांध टूट गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या इन दोनों बान्धों के केनाल बनाने में जिन किसानों की जमीन आ गई थी उनको मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) हींचर गांव के पास काली सिंध नदी पर जो पिक-अप वियर बना हुआ है उसे जून, १९६२ तक पूरा करने की तजवीज़ है ।

भीमसागर योजना के टेन्डर सरकार के विचाराधीन हैं । स्वीकृति के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जावेगी ।

(२) जी हां । बांध टूटने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है ।

(३) जी नहीं । मुआवजा देने की कार्यवाही जारी है जो शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इसी हींचर बांध के केनाल के बारे में पहले दो साल पहले प्रश्न पूछा गया था, उस पर बताया गया था कि मुआवजा चुका दिया गया और अब आप कह रहे हैं उस पर विचार किया जा रहा है, कौनसी बात को सही माना जाय ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका मुआवजा देने के बारे में चेयर से भी यह आदेश हो चुके हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाये, लेकिन कई जगह अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : कौन कौन से मामले हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : पार्वती डेम की बात लीजिये, उसमें आपने मुआवजा अभी तक नहीं दिया । माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि इर्रिगेशन के जो मुआवजे हैं वे जल्दी से जल्दी निपटाये जाने चाहिये, उसके बावजूद भी अभी कई जगहों पर मुआवजा नहीं मिला है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महो-

(श्री दौलतराम सारण)

दय, इस मुआवजे के बारे में गवर्नमेन्ट बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है, फिर भी इसका प्रोसीजर काफी लंबा है इसलिये इसमें समय अधिक लग जाता है, फिर भी सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। हम सब मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास में हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-मु०) : क्या भीमसागर बान्ध के मामले में भी मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, प्रोसीजर बड़ा लम्बा है, तो प्रोसीजर लम्बा है या जटिल है ?

डॉ० बहादुरसिंह : सदन में मुआवजा देने की तारीख निश्चित कर दी जाती है, फिर भी मुआवजा नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जोधपुर डिविज़न को सहकारी समितियों के पर्सनल डिपोज़िट अकाउन्ट्स का प्रचलन

१७४. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविज़न की बहुत सी सहकारी समितियों की रकम उनके पर्सनल डिपोज़िट अकाउन्ट्स में जमा हैं ?

(ख) यदि हां, तो किन समितियों की, कितनी कितनी रकम जमा है और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) उपरोक्त रकम अभी तक समितियों को नहीं लौटाये जाने के क्या कारण हैं ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। ७६३ समितियों में से ११७ समितियों को।

(ख) सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ये रकमें समितियों ने ही ट्रेज़रियों में जमा कराई थीं जिनने उनकी वापसी की मांग ही नहीं की है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : मैं सूचना देता हूँ कि मांग की है, पर यह कह कर टाल दिया गया कि अकाउन्ट्स मिल नहीं रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक बात है। ढील तो सहकारी समितियों ने की है। बहुत सी तो सुस्त पड़ी हैं। जब यह प्रश्न हमारे नोटिस में आया तो यह मालूम हुआ कि उस समय सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं था तो इसलिये सहकारी समितियों की रकमें ट्रेज़रियों में जमा होती थीं। रकम इस तरह से पुराने जमाने की जमा है और इसके बाद बहुत सी समितियां ठंडी हो गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि जमा रकम मांगी नहीं गई बहुत समय तक और मामला खटाई में पड़ गया है। अब मालूम करा रहे हैं, पूरा मामला कम्पलीट हो जावेगा; जांच हो जावेगी तो रुपया वापिस लौटा देंगे।

Page No.29

प्रश्न संख्या १४७

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल ।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम ।

किशनगढ़ हाथ-कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड

१४८. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु.) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) किशनगढ हाथ-कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना कब हुई तथा स्थापना से अब तक उसकी सदस्य संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त सहकारी समिति की कार्यशील पूंजी क्या है तथा उसमें हिस्सा पूंजी कितनी है ?

(ग) क्या उक्त सहकारी समिति को कर्जा अब तक भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक दे दिया जावेगा ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) दिनांक ८ फरवरी, सन् १६५५ को तथा स्थापना से अब तक उसकी सदस्य संख्या ३२ है ।

(ख) कार्यशील पूंजी २७,७५४.४६ नये पैसे तथा हिस्सा पूंजी ६५०) है ।

(ग) जी नहीं । अतः अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या यह सुचारु रूप से चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसकी वार्षिक आय का कोई ब्यौरा है सरकार के पास ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ब्योरा तो है, पर आपने पूछा नहीं, पूछते तो बता देते ।

श्री लादूराम सुलाणियां : सरकार ने कर्जा कितना दे रक्खा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत दे रक्खा है ।

लाडनू नगरपालिका क्षेत्र में पिरांजी स्थानान्तर्गत अधिकृत भूमि

१५०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लाडनू नगरपालिका क्षेत्र में पिरांजी स्थान के अन्तर्गत कितनी कितनी और किस किस प्रकार की भूमि है ?

(ख) इस भूमि पर इस स्थान का कब कब से अधिकार है ?

(ग) क्या इस अधिकार को नगरपालिका द्वारा मान्यता दी हुई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि इस सम्बन्ध में की गई कोई

(श्री भैरोंसिंह)

लिखावट हो, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने गलत तरीके पर विरांजी को अधिक भूमि पर अधिकार करवा कर उसके चौतरफ बाहर दीवारी तैयार करवा दी है ?

(ङ) क्या सरकार इस सम्बन्ध की जांच करवायेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) लाडनूं नगरपालिका क्षेत्र में विरांजी के स्थान के अन्तर्गत २२ बीघा भूमि थी जो अब लगभग १६।८ बिस्वा रह गई है, बाकी भूमि को ठिकाना लाडनूं द्वारा बेच दिये जाने से अन्य लोगों के अधिकार में आ गई है।

(ख) लगभग ४०० वर्ष से।

(ग) जी हां, भूतपूर्व जोधपुर राज्य के न्यायाधीश के फैसले के आधार पर जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या १५१

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : इसका उत्तर दे दिया जावे।

सीकरी बन्ध, जिला भरतपुर के सांकीवाली जलमार्ग का विस्तार

१५६. श्री नत्थीसिंह (कामां) [श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया]) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

1. Is it a fact that Sankiwali sluice of the Sikri Bund, District Bharatpur ends at village Kishanpura, Tehsil Nagar ?

2. Is the Government aware that this canal can irrigate many acres of land, if it is extended beyond Kishanpura to other villages of Sub-Tehsil Pahari ? If so, is there any schem for its extension ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) किशनपुरा गांव के आगे, पहाड़ी उप–तहसील के जिन गांवों में सिंचाई सम्भव है उनमें दूसरी नहरें बनी हुई हैं; इस कारण यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकन्द।

(अनुपस्थित)

अल्प–काल सूचना प्रश्न

श्री अध्यक्ष : अल्पकाल सूचना प्रश्न।

(विराम)

Page No.31

(श्री अध्यक्ष)

मानसीय सदस्य कल या परसों ले लें।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. ०८ म० प०)

आय-व्ययक प्रस्तुति सम्बन्धी आपत्ति

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to seek certain information from the Chair, Sir. Yesterday, the budget was presented. According to the rules, budget should be presented in a form already decided upon. In that form the following information is necessary to have been included in the budget, which has not been supplied to us :-

1- Details of officers and establishment provided.

श्री अध्यक्ष : This is no occasion to raise this. If you have anything, please give it in writing and I will see.

श्री पी. के. चौधरी : Even the budget...

श्री अध्यक्ष : Whatever objection the Hon'ble member has, he should give it in writing and he should not raise it like this without previous notice. We shall see what we can do about it.

राज्यपाल महोदय का सन्देश

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राज्यपाल महोदय से धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न सन्देश प्राप्त हुआ है :

"दिनांक २३ फरवरी, १६६१ को विधान सभा के समक्ष दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ है।'

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १६६०

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री रामचन्द्र (पृथक राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६१

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १६६१।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मैं सूचना चाहूँगा कि इस पर गवर्नर महोदय का असेन्ट आ गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कृपया यह सूचना देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble

Page No.32

(श्री पी. के. चौधरी)

Speaker. Sir, the point which I raised also involves a question of privilege of this House.

श्री अध्यक्ष : That too should be raised in the proper form. The House is already in possession of different business.

श्री पी० के० चौधरी : The point is, unless...

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member may please resume his seat. The other Hon'ble Member has raised a point which we are going to consider.

राज्यपाल महोदय की रिकमन्डेशन आ चुकी है। इस सम्बन्ध का एक पत्र आया है जिसको पढ़ कर मैं सुना देता हूँ माननीय सदस्यों को :

"The Governor, having been informed of the subject matter, recommends, under Article 207 (3) of the Constitution, its consideration by the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री भैरोंसिंह : इसके साथ में फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम होना चाहिये, वह इसके साथ नहीं पेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष : ज्ञापन है इसके साथ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

Dr. Bahadur Singh.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। समिति के सदस्यों की सूची बाद में प्रकाशित की जावेगी।

यह जो बिल है, इस पर विचार करने के लिये, सदन में प्रस्तुत हुआ है और मेरा प्रस्ताव इस प्रकार का है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन दो सप्ताह के अन्दर दे।

समय की बात इसलिये रखी गई है कि इस बारे में एक ऑर्डिनेन्स भी जारी किया गया है और ऑर्डिनेन्स जब जारी किया है तो सदन को उसे अपनी बैठक के प्रारम्भ से लेकर ६ सप्ताह के अन्दर अन्दर पास करना होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि दो सप्ताह तो हो गये विधान सभा को चलते हुए और दो सप्ताह और लग जावेंगे इस बजट के पास करने में। तो इसके बाद विचार करें इस पर तो ज्यादा उपयुक्त होगा। तब तक सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर ले। वह क्या विचार करें, इस पर अपने विचार रखता हूँ। हालांकि मैं कोई विधि विशारद नहीं, पर साधारण नागरिक की हैसियत से और जिस प्रकार से कानून की व्यवस्था की जा रही है उस पर विचार प्रगट करना चाहूँगा।

सबसे पहले मैं अपने विधि विभाग से पूछना चाहूंगा कि जब तक सरकार को विधान

(डॉ० बहादुरसिंह)

सभा यह अधिकार न दे दे तब तक वह किस प्रकार के रूल्स आदि बना कर इम्प्लीमेन्टेशन करना कैसे शुरू कर सकती है क्योंकि राजस्थान सरकार ने पांच अक्टूबर के दिन अपने एक ऑर्डर के अन्तर्गत नियम जारी किये और ऑर्डिनेन्स २८ अक्टूबर को लागू कर दिया ; यानी २३ दिन पहले ही जिन नियमों को लागू करने के लिए सरकार को अधिकार नहीं थे उन २३ दिनों तक के रूल्स अल्ट्रावायर्स हुए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार से २३ दिन के अन्दर जो कार्यवाही हुई उसके अन्दर क्या हुआ ? आपके ऑर्डिनेन्स के द्वारा जो चुनाव हुए उनको वैध कर दिया गया या क्या होगा ? जहां हमारे विधि विशेषज्ञ बैठते हैं वहां इस प्रकार की गल्ती हो वह क्षम्य नहीं है। हालांकि मैं कोई विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके लिए कह सकता हूँ कि इसके अन्दर बड़ी भारी कमी है। हमारे विधि विभाग वाले इस बात पर गौर नहीं कर सकते कि कब रूल्स लागू करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। उन्हें जब याद आया कि रूल्स नहीं हैं तो उन्होंने रूल्स लागू कर दिये और जब चाहा तब ऑर्डिनेन्स जारी कर दिये। इस प्रकार की जो गलतियां हैं उन गलतियों के लिए राज्य सरकार को भुगतना पड़ता है और उसको आलोचना का सामना करना पड़ता है। हालांकि वह गल्ती विभाग की होती है, इसलिए जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है।

इस अध्यादेश के अन्दर, जो लागू हुआ और जो बिल हमारे सामने आया है, उसकी कुछ धाराओं पर विचार करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं इसको ज्यादा उपयुक्त समझता हूँ। हालांकि जब इस विधेयक पर हम क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ विचार करेंगे उस समय भी कहा जा सकता है, लेकिन सामुहिक रूप से इस समय विचार कर लिया जावे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसमें कलेक्टर्स को अधिक पॉवर्स दी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी कलेक्टर विशेष की यहां आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निजी अनुभव से कहता हूं कि यहां हम कलेक्टर्स को अधिक अधिकार देने जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत कलेक्टर्स को अधिकार होगा कि कलेक्टर अपनी जगह पर किसी भी गजटेड ऑफिसर को नियुक्त कर सकता है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि कलेक्टर या इस प्रकार के अधिकारी, जो भी नियुक्त किये जाते हैं, वे उपयुक्त या न्यायप्रद नहीं होते हैं। वेटेरिनरी डॉक्टर को उठाया और रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, चाहे किसी इन्जीनियर को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया। इस प्रकार के फैसले इन न्याय पंचायतों के चुनावों में मौजूद हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर लिखता है वह शुद्ध नहीं लिख सकता। उनके फैसले की कॉपी अगर मैं सदन के सामने रखूं, हालांकि उसकी कॉपी अभी मेरे पास नहीं हैं, केस में पिटीशन चल रहा है ; अगर उसको रख दिया जाये तो माननीय सदस्य जान लेंगे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वे स्वयं शुद्ध हिन्दी नहीं लिख सकते। इस प्रकार के हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, और वे भी कलेक्टरों के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। यह जो कलेक्टर को पॉवर दी है वह उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से हमने कलेक्टरों को पावर्स दी थीं कि इलेक्टर रोल्स

(डॉ० बहादुरसिंह)

तैयार करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि चुनावों में मैं सबसे ज्यादा निकट अपने डिस्ट्रिक्ट में हो रहा। वहां के कलेक्टर ने किस प्रकार से एक पार्टी के रूप में सामने रह कर काम किया कि शायद वैसा उदाहरण दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। मैं इसकी बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जहां उसको अधिकार मिले हैं उसका उसने पूरा, खुल कर इस प्रकार से उपयोग किया जो शायद ही कोई निर्वाचन अधिकारी या कलेक्टर कर सकता है। वह चूंकि इलेक्टोरल ऑफिसर भी था इसलिए उसको अधिकार दिया गया और जब लोगों ने उसके पास नाम बढ़ाने के लिए दरख्वास्तें दीं तो उसने नाम नहीं बढ़ाये। जब कहा गया कि नाम बढ़ाइये तो बहुत मुश्किल से कुछ लोगों के नाम बढ़ाये। जिन व्यक्तियों के नाम बढ़ा दिये गये उनको एट दी स्पोट (at the spot) जाकर पोलिंग स्टेशन पर कह दिया गया कि इनके पर्चे रिजेक्ट कर दिये जायेंगे, केवल यह श्रेय लेने के लिए कि मैंने इतनी पंचायतों के चुनाव निर्विरोध कराये हैं। मैं आपका ध्यान इस समय इसकी खण्ड २ व ३ की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कलेक्टर्स को पॉवर्स दी गई हैं कि वे अपने जिले में जैसा भी उपयुक्त समझें अपने स्थान पर कोई भी गजटेड ऑफिसर नियुक्त कर दें, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन दिया है कि उसकी जगह कमिश्नर कर दिया जाये। लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कमिश्नर तो उड़ा ही दिये इसलिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसलिए जहां कलेक्टर है वहां कोई और दूसरा व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा ही नोमिनेट होना चाहिए। किसी कलेक्टर को ये पॉवर्स नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि कलेक्टर को इस प्रकार से अधिकार देना डिस्ट्रिक्ट में छोटी सी तानाशाही पैदा करना है। हमें कलेक्टर को इस प्रकार के पॉवर्स नहीं देने चाहिए। यहां पर कोई भी एस० डी० ओ० या तहसीलदार नियुक्त कर सकते हैं जो इस प्रकार के कैडर का अधिकारी होगा, जो कि चुनाव करायेगा। कलेक्टर को इस प्रकार के अधिकार देने की जरूरत नहीं है।

अब मैं खण्ड ७ के बारे में कहूँगा। उसमें इस प्रकार को व्यवस्था है कि एक सरपंच अगर प्रधान चुन लिया जाये और प्रमुख चुन लिया जाये और वह सरपंच भी बना रहे क्योंकि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आये तो कम से कम वह सरपंच तो बना रहेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने ये पंचायतें किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए नहीं बनाई हैं, या इसलिए यह कानून नहीं बनाया था कि हम किसी को हमेशा के लिए सरपंच नियुक्त कर देंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सरपंच इसलिए बन जाते हैं कि वे प्रधान बन जायेंगे। हमारे कानून में यहां तक व्यवस्था है कि सरपंच यदि उपस्थित नहीं होगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। तो सरपंच को भी हटाया जा सकता है। लेकिन यहां एक प्रकार से उसको प्रिविलेज देना उपयुक्त नहीं है। सरपंच कोई प्रमुख बन जाता है और उसके बाद अगर अविश्वास है तो हट जायेगा, अगर जनता के अन्दर विश्वास है तो दुबारा भी सरपंच बन कर आ सकता है, लेकिन यहां

(डॉ० बहादुरसिंह)

इस प्रकार के विशेषाधिकार की बात करना उपयुक्त नहीं लगता है। आप कुछ खास लोगों को जो कि आपकी निगाह में हैं, संरक्षण देना चाहते हैं। इस प्रकार से क्लॉज़ १० जिसके अन्दर कि हम जबरन श्रम की बात करते हैं कि पंचायतों को अधिकार दिया जाये, जो भी पंचायतें काम करने के लिए तय करें, हालांकि इसके उद्देश्य में बताया गया है कि आयोजना आयोग ने इस प्रकार की मांग की है और मैं आयोजना आयोग के निर्णय को मानता हूँ, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह बड़ा अटपटा सा लगता है कि किसी व्यक्ति से कम्पल्सरी श्रम लिया जाये और कहा जाये कि उसको काम करना ही होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पंचायतों में चुनाव अब राजनीतिक स्तर पर लड़े जाने लगे है। पंचायतों के चुनावों ने यह बताया है कि गांव गांव के अन्दर दलबन्दी सी हो गई है और इस तथ्य को हम आज सदन के अन्दर छिपा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि अगर वह नहीं करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना कर दिया जायेगा और वह जुर्माना एक श्रम के अनुसार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम विरोध का मौका देते हैं। यह एक तरह से कम्पलसरी लेबर थोप दिया गया है। इस प्रकार की आलोचना हमारे इस कानून से होगी। इसलिए मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग अपनी इच्छा से काम करें, हमें उनके जन—मानस को बनाना चाहिए; यह नहीं कि पंचायत कोई निर्णय कर ले और व्यक्ति काम नहीं करें तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाय।

इसी प्रकार से एक क्लॉज और है। वह यह है कि चुनाव के अन्दर वेहिकल्स का प्रयोग करने के लिये कलेक्टर्स को पॉवर देते हैं कि वह चुनाव के लिये वेहिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, किसी से कम्पल्सरिली ले सकते हैं, किराये की व्यवस्था कर सकते हैं। यह सारा का सारा कानून इस प्रकार का है कि इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलने की पूरी सम्भावना है, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि चुनाव में लगने वाला व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था करे कि दूसरे व्यक्ति की बस या ट्रक एन्गेज करवाले और सरकारी अधिकारी या कलेक्टर चुनाव की व्यवस्था के लिये उसकी ट्रक या बस को ले ले। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अधिकार कलेक्टर को या सरकार को नहीं हो तो चुनाव किस प्रकार से होगा। लेकिन किसी व्यक्ति पर जबरन बात नहीं करनी चाहिये। यह ठीक है कि आपके पास अनेक तरीके हैं, शासन तंत्र अनेक तरीके प्रयोग में ला सकता है। जैसे आर. टी. ओ. ट्रक या बस ओनर को कह सकता है कि चुनाव आ रहा है, उसमें आपकी ट्रक या बस काम में ली जायगी और जो कुछ आपको दूसरी जगह से किराये के रूप में मिलता है वह दिया जायगा। क्योंकि ठेले या ट्रक बराबर किराये पर चलते हैं तो रेगुलरली दूसरी जगह काम करने के बजाय चुनाव में काम कर सकते हैं। परन्तु सरकार का काम करने से लोग डरते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि बिल चुकाने का कुछ पर्सेन्टेज क्लर्क्स का होता है, कुछ ऑफिसर्स का होता है और कुछ पर्सेन्टेज दूसरे लोगों का होता है। इसलिये उनका जो किराये का बिल है उसके

Page No.36

(डॉ० बहादुरसिंह)

बारे में यह होता है कि वे यह समझने लगते हैं कि हम बेगार कर रहे हैं, जब कि कानून में यह व्यवस्था है कि किराया देंगे; लेकिन किराया वसूल करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मुआवजा देने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह ठीक नहीं है कि किसी से आप जबर्दस्ती लें।

दूसरी व्यवस्था यहां तक है कि यदि किसी ने आपको वेहिकल देने से मना कर दिया है तो उसको एक साल की सजा या जुर्माना, जो इन्डेफिनिट है, देना होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सदन को जुर्माना और सजा मानवता के नाते रखनी चाहिये। यदि एक ट्रक या बस ओनर ने ट्रक या बस देने से मना कर दिया या यह मान लीजिये कि आर. टी. ओ. या किसी अधिकारी ने इसलिये शिकायत कर दी कि उस व्यक्ति से उसकी जेलिसी है तो जहां तक सजा का प्रश्न है मैं उससे राजी नहीं हूँ। मेरा संशोधन है कि सजा पर विचार करना चाहिये। अब रह जाता है जुर्माने का प्रश्न, जिस पर सदन को अच्छी तरह से विचार करके रखना चाहिये।

जहां तक सिलेक्ट कमेटी में जाने की बात है, कुछ परम्पराएं ऐसी हैं कि क्योंकि ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया गया है इसलिये जल्दी पास करना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय के भाषण पर कुछ माननीय सदस्यों ने विकेन्द्रीकरण के बारे में सुझाव दिये थे। उन सुझावों पर राज्य सरकार को इस बिल को पेश करते समय विचार करना चाहिये। वहां जहां जिस चीज़ की जरूरत है उसके बारे में आज विचार करना चाहिये, आज उस पर बहस कर लेनी चाहिये। पंचायत बिल में कहां कहां संशोधन करना है, इस पर सिलेक्ट कमेटी दो सप्ताह में विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अभी यह जो बिल आया है इसमें दूसरे संशोधनों का प्रोविज़न नहीं है तो दूसरे संशोधन जो हैं उनकी भी व्यवस्था की जा सकती है और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को आगे बढ़ाने की व्यवस्था हो और यह आगे बढ़े, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन इसके द्वारा जिस प्रकार के संशोधन आये हैं, मैं कह सकता हूँ कि यह आगे ले जाने के लिये नहीं, बल्कि पीछे ढकेलने के लिये होगा; क्योंकि हमारे संशोधन में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद पुनः दोहराना पड़ेगा। कलेक्टर्स और अधिकारियों में एक भावना जाग्रत हुई है, अभी उनमें इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी की बात है, वे महसूस करते हैं कि जो जिला परिषदें या पंचायत समितियां हैं वे हमारे काम में रोड़ा अटकाती हैं और गांवों में जो प्रजातंत्र पनपा है उससे हमारे अधिकारों में कमी आई है, इस प्रकार की बात वे महसूस करते हैं।

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया था, आपको शायद ध्यान न हो। उसमें यह कर दिया था कि जो काम पंचायत समितियें या जिला परिषदें करें उनके बारे में कलेक्टर को सुप्रीम पॉवर्स दे दिये। मैं कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर को आप किस तरह से सुप्रीम रखना चाहते हैं, जब कि उसमें एम. पीज़. हैं, एम. एल. एज़. हैं और चुने हुए सदस्य बैठते हैं? हालांकि, एक सुझाव यहां पर आया था कि जिलाधीशों को जिला परिषदों का सेक्रेटरी रखा जाय, लेकिन राज्य सरकार उससे सहमत नहीं थी। लेकिन कलेक्टर को

Page No.37

(डॉ० बहादुरसिंह)

इन संस्थाओं के ऊपर सुप्रीम पॉवर मानकर चलते हैं तो यह उपयुक्त नहीं है। तो सदन को कम से कम जिलाधीशों की पॉवर बढ़ाने की बात बिल में हो तो उसका डट कर विरोध करना चाहिये। मैं सरकार का साथ देने को तैयार हूँ, यदि उसमें यह संशोधन रखा जाय कि कलेक्टर के बजाय गवर्नमेंट नोमिनेट करेगी तो मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि कलेक्टर को सुप्रीम पॉवर दी जाय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरा जो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी जाने का प्रस्ताव है उस पर अच्छी तरह से विचार कर लें, विधि अधिकारियों से पूछ लें। यह कह कर मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ७ दिन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक है वह समय समय पर, पिछले चुनाव पंचायतों के हुये थे उस समय राज्य सरकार की ओर से ऑर्डिनेन्सेज़ जारी किये गये थे उन सबको एक सूत्र में संगठित करके कानूनी रूप देने के लिये आया है। इस विधेयक के द्वारा चार ऑर्डिनेन्सेज़ को कानूनी रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये ऑर्डिनेन्स किस प्रकार के थे, इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनाव का काम प्रारम्भ किया तब सब जगह वोटर लिस्टें बनी थीं, कहीं वार्ड्स बने थे और नोमिनेशन फाइल किये गये थे। उस समय राज्य सरकार को कई दिक्कतें सामने आईं। सरकारी कर्मचारियों के सामने दिक्कतें आईं या उनकी पार्टी के लोगों के सामने दिक्कतें आईं। उनको किस तरह से दूर किया जाय, इसके लिए ये ऑर्डिनेन्स जारी किए गये थे। उन पर आज विचार करना पड़ रहा है। ये चुनाव के पहले जारी किये हुए ऑर्डिनेन्सेज़ थे, चुनाव के समय हमने अनुभव किये हैं उसके आधार पर सरकार कानून बना रही है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अनुभव हारने का या जीतने का ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप तो खुद हार कर आये हैं, इसलिये क्यों बोल रहे हैं ?

चुनाव में जो अनुभव हुये हैं उन्हें किस प्रकार से कानूनी रूप दिया जाय ? वार्ड बनाये गये, वोटर्स लिस्टें बनीं। किसी प्रकार से चुनाव हुआ उसके आधार पर बैठ कर विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में किस प्रकार का कानून होना चाहिये था, तब तो सही बात होती। लेकिन उन्होंने चुनाव के पहले ही जल्दबाजी में एक दिन एक ऑर्डिनेन्स जारी किया तो दूसरे दिन दूसरा और पांचवे दिन पांचवा जारी किया। इस प्रकार जहां पर निरन्तर ऑर्डिनेन्स जारी हो रहे हैं, इसी प्रकार के ऑर्डिनेन्स के आधार पर यह कानून है। उसके ऊपर सदन में विचार करना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति में भेजें और वहां पर बैठ कर अच्छी तरह से विचार करें।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यह इसलिए और भी जरूरी है, अध्यक्ष महोदय, इस कानून के द्वारा कुछ अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं, जो भविष्य में इस कानून के अन्तर्गत व्यवस्था करेंगे। पिछले चुनावों की व्यवस्था भी उन्होंने की है। वैसे तो जो केन्द्रीय निर्वाचन आयोग है, उसके सचिव हैं, उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है कि हम कलेक्टर को ही नहीं, बल्कि उसके नीचे के अधिकारी, एस. डी. ओ. और उसके समकक्ष अधिकारी हैं उनको निर्वाचन अधिकारी बनाने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय कहेंगे कि जब वहां पर यह तय हो रहा है तब हम पंचायतों के चुनावों के लिए यह बात करते हैं तो कौन सी बात है। मैं समझता हूँ कि यहां करने में और वहां करने में बहुत अन्तर है, क्योंकि जो आम चुनाव होते हैं, उसके लिए निश्चित नियम हैं और हमने कभी नहीं देखा कि आमचुनावों के लिए भारत सरकार ने ऑर्डिनेन्स जारी करके चुनाव की विधि में कोई परिवर्तन किया हो। आज तक आम चुनावों के सम्बन्ध में कोई ऑर्डिनेन्स जारी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग नहीं है, केवल हमारा विकास विभाग है और उसके जो विकास आयुक्त हैं उनकी मर्जी के आधार पर वार्ड्स बने, वोटर्स लिस्ट बनी और चुनाव हुए। जहां पर राज्य सरकार ने किसी जिले में देखा कि चुनाव की तारीख में चुनाव होने से विपरीत स्थिति होगी वहां तारीख बढ़ा दी। हमने कुछ जिलों में देखा कि चुनाव के लिए ३०–३१ तारीखें तय हो गईं; जैसे झुंझुनू जिले का सवाल है, वहां जब चुनाव होने वाले थे और उसकी तारीख निश्चित हो गई थी, लेकिन फिर ठीक समय पर दो दिन का अन्तर डाल दिया गया। वह इसलिये डाल दिया गया कि दूसरी जगह चुनाव हो रहे थे और वहां के आदमी झुंझुनू जिले में नहीं पहुँच सकते थे। इस कारण झुंझुनू जिले की पंचायत समितियों के चुनाव सरका दिये। वहां पर कोई चुनाव आयोग तो था नहीं जिससे जो तारीख तय कर दे उसको अधिकारियों को मानना पड़ता। इस प्रकार स्थानीय हितों के आधार पर काम हो रहा है। जिस प्रकार अधिकारी की मर्जी हुई, वैसा ही कर दिया गया। पहले कलेक्टर को अधिकार दिया गया था कि वह वोटर्स लिस्ट बनावेगा और उस लिस्ट में जो नाम जोड़ा जायगा, घटाया जायगा, वह कलेक्टर के फैसले से होगा। लेकिन अब यह अधिकार गजटेड ऑफिसर्स को दे दिया गया है। इन ऑफिसर्स ने किस तरह गलत ढंग से काम किया उसके कई उदाहरण हैं। सीकर जिले की एक पंचायत का एक आदमी पंच रहता आया है, पांच साल तक पंच था। इस चुनाव में उसने सरपंच का चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन उनका विपक्षी सरपंच था वह नहीं चाहता था कि यह आदमी चुनाव लड़े। इसलिए वह सीकर गया और कलेक्टर को दर्ख्वास्त की और उसका नाम काट दिया गया। अध्यक्ष महोदय, नाम काटने का प्रोसीजर यह है कि जिनका नाम काटा जाय उसको सूचना देनी चाहिये। लेकिन वह आदमी एस. डी. ओ. महोदय की मर्जी का था, इसलिये उन्होंने बिना सूचना दिये हुए उनका नाम काट दिया। जो आदमी पांच साल से पंच चला आ रहा है और चुनाव सरपंच का लड़ना चाहता है, उसका नाम काट दिया, २५ साल की उम्र हो चुकी है, उसके लिये डिक्लेअर किया जाता है कि उम्र कम है। इसके लिए कोई डॉक्टर का

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सर्टीफिकेट नहीं था, कोई स्कूल का सर्टीफिकेट नहीं था, केवल व्हिम थी और व्हिम पर डिपेन्ड करके वह नाम काट दिया गया और वह आदमी चुनाव नहीं लड़ सका। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार एक प्रोविज़न किया है कि जो चुनाव होंगे, जिस एरिया का निर्वाचन होगा, उसकी एक वोटर लिस्ट होगी और उसमें लोगों के नाम होंगे, उस लिस्ट में परिवर्तन करने के लिए या काटने के लिए, जो केन्द्रीय आयोग है, उसने कुछ नियम बनाये हैं और वोटर लिस्ट में नाम उन्हीं के आधार पर जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार जो हमारे यहां नामों में घटा-बढ़ी हो जाती है, उसके कारण उस लिस्ट में वे ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। हमारे यहां जो अधिकारी हैं, एस. डी. ओ. हैं, वे जैसी उनकी मर्जी आये, वैसा करते हैं। इसके बाद जो चुनाव के सम्बन्ध में एक्ट है, उसके अन्दर नियुक्ति का प्रश्न आता है, रिटर्निंग ऑफिसर का, फिर पंचायतों में कोऑप्शन का सवाल आता है, जो सरपंच है, वे कोऑप्शन करते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी के आधार पर संवरण कर लिए। इस पर हमारे यहां जो अधिकारी लोग हैं वे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि इनको कानून का पता नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, प्रजातंत्र का नाम नहीं जानते, जिसके लिए मर्जी हुई उसका कोऑप्शन किया, जिसकी मर्जी नहीं हुई उसका नहीं किया। इस प्रकार का सरपंच के लिए आरोप लगाया था। अधिकारी ने इस एक्ट में यह प्रावधान किया कि पंचायत समितियों के चुनाव सरपंच से न करवा कर बी. डी. ओ., एस. डी. ओ. और तहसीलदार आदि से करवाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप तालिका मंगा कर देख लें, जहां पर भी निर्विरोध चुनाव हुए हैं, अभी अभी प्रश्न पूछा गया था इस सदन में, उसका जो उत्तर दिया इसमें भी इस प्रकार के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि जहां पर भी निर्विरोध चुनाव पंचायतों में हुए हैं, वे इसलिए हुए हैं कि उनमें विरोधियों के फॉर्म्स रिजेक्ट किये गये और वे इस आधार पर रिजेक्ट किये गये कि पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस कानून में यह धारा थी कि जो हिन्दी सरपट बोलना—पढ़ना जानता है उसका फॉर्म स्वीकार किया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि सीकर के तहसीलदार को बुला कर हिन्दी पढ़ाई जाय, तो वे हिन्दी की चार लाइन भी नहीं पढ़ सकते। उन्होंने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किये; एक का नहीं, दो का नहीं, दस-पन्द्रह के फॉर्म्स रिजेक्ट किये। सीकर की एक समिति में जो बी. डी. ओ. थे उन्होंने प्रधान से कहा था, पहले मैं एस. डी.-एम. था, अब बी. डी. ओ. बना दिया गया; अगर अब भी अपने अधिकारियों की मर्जी के अनुसार काम नहीं करूंगा तो बी. डी. ओ. से न जाने कहां फैंक दिया जाऊंगा। एक आदमी ने फॉर्म भरा, उसका रिजेक्ट कर दिया गया और उसके मुकाबले में जिस आदमी का फॉर्म स्वीकार किया गया, जिसको वास्तव में हिन्दी नहीं आती है। मैं निवेदन करूं कि एक स्थान पर एक नहीं, चार आदमियों के फॉर्म हमने भरवाये, यह सोच कर कि एक फॉर्म रिजेक्ट करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, फिर भी एक तो रहेगा। लेकिन चारों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिये और जिस व्यक्ति का फॉर्म स्वीकार किया था वह इसलिए किया था क्योंकि वह प्रधान का सम्बन्धी था। इसलिये

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसका स्वीकार कर दिया और बाकी चारों को फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिये । सीकर तहसील में जितनी पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं और जितने फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जिनके फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं और जिनके फॉर्म्स स्वीकृत हुए हैं, उन सबको बुला कर उनसे किताब पढ़ा कर आप देखें, फिर देखें कि कौन स्वीकार करने योग्य था और कौन नहीं। इस सम्बन्ध में हम जब कहते हैं तो जवाब मिलता है," जाओ, हमने पिटशीन का प्रावधान कर रखा है, पिटीशन करो और जो मर्जी में आये वह करो", लेकिन मर्जी में जो आये वह कैसे करें क्योंकि प्रजातंत्र की बात है और प्रजातंत्र में आखिर अधिकारी लोग ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा ? इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही हमने व्यवस्था की है कि हम बैलट के आधार पर राज्य की व्यवस्था करना चाहते हैं मत के आधार पर व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि जहां पर एक आदमी के नौ वोट हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के सात वोट हो सकते हैं, वहां पर नौ वोट वाला आदमी हार जाता है और तीन वोट वाला व्यक्ति जीत जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वोट थे, उसका फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है। जिसको आपने अधिकार दिया है, उसको सुरक्षित रखने की आपने व्यवस्था नहीं की है, लेकिन केन्द्रीय चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है और फॉर्म रिजेक्ट करने के, अस्वीकार करने के साफ निर्देश हैं। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश नहीं किया और इस कारण जैसी उनकी मर्जी हुई वैसा किया। इसी सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पिछले दिनों पंजाब सरकार की खबर अखबार में प्रकाशित हुई कि उन्होंने आठ आदमियों को निलम्बित किया था और निलम्बित इसलिए किया था उन्होंने गलत रूप से फॉर्म रिजेक्ट कर दिये थे और दंड के रूप में उनको निलम्बित किया था। उन्होंने लोगों के मूलभूत अधिकारों पर, चुनाव लड़ने के अधिकारों पर कुठाराघात किया था, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार द्वारा बनाये कानून के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, और जब प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश इसलिए जारी किये कि किसी प्रकार अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाय। जो चुनाव के समय अध्यादेश जारी हुए, उनके द्वारा यह व्यवस्था की कि अपने लोगों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाय। यह इस प्रकार गम्भीर बात है कि इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव जैसे मसले के सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर पहले भी कई बार मांग की गई है कि इसके लिए चुनाव आयोग बनाया जाय और पंचायतों के चुनाव, नगरपालिकाओं के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के चुनाव उसके द्वारा हों; क्योंकि ये चुनाव एक दिन होने वाले नहीं हैं, रोजाना होंगे और तीन साल में एक दफा पंचायतों के चुनाव होंगे, नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे। इस प्रकार यह बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं समझता हूँ, मन्त्री महोदय इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, यह मन्त्री महोदय के वश की बात नहीं है। हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय दिल से यह नहीं चाहते हों कि चुनावों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में इस प्रकार की गड़बड़ी हो और प्रजातंत्र में सब को अधिकार मिलें, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, जिनको हम अधिकार दे रहे हैं इस विधेयक के द्वारा, वे गड़बड़ी करेंगे ।

एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, कि हमने जिला परिषद् कानून में व्यवस्था की थी कि कोई आदमी है, उसको प्रशासनिक अनुभव है या नहीं, उस पर निर्वाचन अधिकारी अन्तिम निर्णय करेगा । अगर कहीं झगड़ा पैदा हो तो उसका फैसला निर्वाचन अधिकारी के सामने होगा कि अमुक अमुक आदमी प्रशासनिक अनुभव रखता है या नहीं । इसका फैसला करने का अधिकार अधिकारियों को दिया गया । मैं निवेदन करूं कि सीकर तहसील की पंचायत समिति के अन्दर एक आदमी जो जीतने वाला था उसका फॉर्म इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रशासनिक अनुभव नहीं है । जिनका फॉर्म स्वीकार किया गया था, उन्होंने कोई काम नहीं किया था न उनको प्रशासनिक अनुभव था, लेकिन जिसका रिजेक्ट किया था वह उसी गांव का रहने वाला था, वह ग्राम समिति में भी रहा, उसने अपने प्रत्यन करके कुंए भी बनवाये, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और उसके चुनाव लड़ने के अधिकारों का हनन किया ।

तो इस प्रकार सरकार ने इमीजियेट ऑफिसर्स को वे अधिकार दे दिये हैं जो सरकार के पास थे । जो विधेयक जिला परिषद् का बना उसमें विधान सभा की मंशा थी कि निर्वाचन अधिकारी को अधिकार नहीं दिये जायं, सरकार खुद तय करे, पर सरकार ने बी.-डी. ओज़. वगैरह को ऐसे अधिकार दे दिये हैं जिससे कि गांवों में असंतोष का वातावरण फैल गया है । हमने विकास के काम जनता के हाथों में दिये। वहां गांव गांव में इस प्रकार के अधिकार बी० डी० ओज० वगैरह के हाथों में दे देने से असंतोष फैल गया है । किसी पार्टी से चुनाव लड़ना हो तो वह लड़ा जा सकता है, पर उन चुनावों में गांव गांव में पार्टी से और सरकारी अधिकारियों से चुनाव लड़ने पड़े हैं । जहां सरकारी अधिकारी चुनाव लड़ने आ जायं वहां तो भगवान् ही मालिक है । पर वस्तुस्थिति यह है कि इन चुनावों में सरकारी अधिकारी चुनाव लड़ने गये और मर्जी आई उसको लिया ।

एक और बात है, वह यह है कि जैसे जागीर के जमाने में बेगार ली जाती थी जिसकी बड़े जोरों से खिलाफत की जाती थी यहां इस विधेयक में उसी बेगार का प्रोविज़न रखा गया है; चाहे नाम उसका और रखा हो, श्रमदान रखा हो । श्रमदान में स्वेच्छा से काम करें, वही है; पर फोर्स से, जबरदस्ती कराया जाय, ऐसा करने के लिये बाध्य किया जाय, वह श्रमदान नहीं कहा जा सकता । अगर स्वेच्छा से ही श्रमदान का रखा जाता तो इसमें पैसे का नहीं रखा जाता । इसमें रखा है कि जिसके पास पैसा नहीं है वह श्रम करके श्रमदान करे, पैसा है तो पैसे दे । जैसे अनावृष्टि के समय में गांव वालों को काम करना है तो जिसके पास पैसा है उसके सिवा सब को काम करना पड़ेगा, ऐसी दोहरी बात सरकार ने क्यों की ? श्रमदान तो सभी के लिये बराबर होना चाहिये ।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इसमें और भी इस प्रकार की कई बातें हैं तो ऐसी सब बातों पर विचार करने के लिये, और पिछले चुनावों में जो गड़बड़ियां हुई हैं जिनका कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को अनुभव है उनको सुधारने के लिये इस बिल को प्रवर समिति में भेज कर प्रवर समिति की रिपोर्ट आने पर इस पर विचार किया जाय ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का । अध्यक्ष महोदय, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव इसलिये रखा है कि इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं कि उन पर अच्छी तरह से गौर करके फैसला करना चाहिये, वह सिलेक्ट कमेटी में ही अच्छी तरह से हो सकता है ।

क्लॉज़ २ में वार्ड्स हैं, उनके बनाने का अधिकार पंचायत कानून में कलेक्टर को था, क्लॉज़ टू में यह अधिकार दे रहे हैं : 'Collector or such subordinate Gazetted Officer of the State Government as the Collector may authorise in this behalf'.

यह अमेंडमेंट हम राजस्थान पंचायत एक्ट के सेक्शन ५ में कर रहे हैं । पंचायत सर्कल में कितने होने चाहिये, यह कलेक्टर करता था और कलेक्टर एक रेस्पोन्सिबल ऑफीसर है । पंचायत के वार्ड्स बनते हैं तो प्रेशर पोलिटिक्स काम करती है तो उसमें निष्पक्ष तौर से, इम्पार्शियल वार्ड्स बनने चाहिये । एस. डी. ओ., तहसीलदार को अधिकार दे दिये तो जो सेटिस्फेक्शन लोगों को होना चाहिये, इम्पार्शियल वार्ड्स बनने चाहिये, वे नहीं बन सकते ।

और क्लॉज़ २ सब-क्लॉज़ (२) में लिखा है कि रूल्स को अमेंड कर रहे हैं, इसमें यह है : "The word 'Collector' wherever appearing in rules 3, 4 and 5 of the Rajasthan Panchayat and Nyaya Panchayat Election Rules, 1960 shall include and be deemed always to have included such subordinate gazetted officer of the State Government as the Collector may authorise in this behalf."

इसमें कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्जेक्शन यह रेज़ होता है, अध्यक्ष महोदय, कि रूल्स का अमेंडमेंट, रूल मेकिंग ऑथोरिटी है, उसी को करना चाहिये । जो वर्ड रूल में है, उसको एक्ट बना कर डिफाइन करें, यह ठीक नहीं । रूल में "कलेक्टर" शब्द यूज़ किया, उसको एक एक्ट बना कर डिफाइन कर रहे हैं कि उस "कलेक्टर" शब्द का मतलब है कलेक्टर या सबोर्डिनेट ऑफिसर । रूल्स में अमेंडमेंट रूल मेकिंग ऑथोरिटी ही कर सकती है, रूल्स में एक्ट बना कर अमेंडमेंट नहीं किये जा सकते, चेंजेज़ नहीं किये जा सकते । रूल्स में दिये गये शब्द की डेफिनिशन एक एक्ट बना कर डिफाइन करते हैं, यह कोई अच्छा प्रोसीजर नहीं है ।

इसी तरह क्लॉज़ ३ में देखते हैं तो क्लॉज़ ७ में दिया हुआ है : "The term of a Pnachayat shall be for a period of three years computed from the date of it's first meeting."

क्लॉज़ ३ में इसको अमेंड करके इस

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रकार कर रहे हैं : "or such date as may be notified by the State Government in this behalf." टर्म ऑफ ऑफिस हमने डिफाइन कर दिया था कि पंचायत की फर्स्ट मीटिंग से तीन साल तक रहेगी। अब यह कहें कि पंचायत की दसवीं मीटिंग से तीन साल तक या इलेक्शन होने के दिन से तीन साल तक रहेगी तो यह उचित नहीं होगा। एक पंचायत का चुनाव हुआ और उसने फंक्शन करना शुरू नहीं किया उससे पहले रिट कर दिया गया और उसका फंक्शन बन्द हो गया तो चुनाव से ही तीन साल का टर्म गिनेंगे तो यह उचित नहीं होगा।

जिला परिषद् एक्ट हमने पास किया था तब हमारा इन्टेन्शन साफ था कि नोर्मल तौर से इलेक्शन हों उसके बाद ही महीने, डेढ़ महीने में पंचायत की मीटिंग होती है उस दिन से तीन साल माना था; तो इसमें यह अमेंडमेंट कर रहे हैं तो इससे तो दो साल, डेढ़ साल तक का भी टर्म ऑफ ऑफिस रह सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि जब स्टे हासिल करने के बाद पंचायत का फंक्शन बन्द रहा और हाई कोर्ट के फैसले के बाद में पंचायत ने फिर से फंक्शन करना शुरू किया तो उस दिन से टर्म ऑफ ऑफिस माना जायगा।

क्लॉज ८ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लॉज़ ८ में लिखा है : "After section 27 C of the principal Act, the following new section shall, as from the 28th day of October, 1960, be inserted and be deemed to have been inserted, namely :

"Nowithstanding anything contained in Section 24 of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955) or in any other law for the time being in force- (a) rules made by the State Government for the formation of Nyaya Panchayats under sections 27B and 27C shall come into force on the date on which they are published in the official Gazette even though those sections had not come into force on or before that date, and..."

तो यह जो इस प्रकार का क्लॉज़ रखा कि रूल्स जो हैं वे फोर्स में आ जाते हैं, before the Act has come into force., "It is completely unconstitutional. इस बात के लिये माननीय मंत्री महोदय हाउस की सेंक्शन चाहते हैं और हाउस से मोहर लगवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह किसी भी प्रकार से देखा जावे तो सही नहीं है कि एक्ट अमल में आने से पहले रूल्स लागू हो जाते हैं और आफ्टर ऑल किस प्रकार के रूल्स बनाये जावें, इसका प्रावधान एक्ट में रखा है। जिस तारीख को एक्ट अमल में आता है उस तारीख से रूल्स बनाये जा सकते हैं, मगर यहीं तो एक्ट फोर्स में नहीं और कोई सेंक्शन अमल में नहीं आया और रूल्स को एन्फोर्स में लाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वे रूल्स हम उस एक्ट की तहत में बने हुए नहीं कह सकते। इसलिये यह जरूरी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देकर इस पर विचार करके उसके बाद इसको पास करना चाहिये।

(श्री पी. के. चौधरी)

इस सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्लॉज़ १३ की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि चार चार बार ऑर्डिनेन्स निकाल कर चुनावों से पहले, इस बिल में चार चार ऑर्डिनेन्सों का समावेश किया गया है। बहुत से ऐसे ऑर्डिनेन्स थे जो अन्धाधुन्ध निकाले गये। जिस प्रकार चुनाव चले हैं उसके लिये मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जिसके लिये दूसरे लोगों ने काफी कहा है। चुनावों में जिस प्रकार से मनमानी हुई है उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने बताना चाहूँगा। बांदीकुई पंचायत समिति में क्या हुआ? बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य हैं आज वे यहां नहीं हैं। उसमें सरपंच के लिये चार आदमियों ने नोमिनेशन पेपर्स फाइल किये। तीन व्यक्तियों के नोमिनेशनों को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उसको एक को ही सरपंच बनाना था इसलिये बाकी के नोमिनेशनों को रिजेक्ट कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जितने आदमी २५ या ३० पंचों के लिये कॉन्टेस्ट करने के लिये आये थे उन सारों के सारों ने उसके प्रोटेस्ट में अपने नोमिनेशन विड्ड्रा कर लिये। क्योंकि वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने मनमाने तरीकों से लोगों के नोमिनेशनों को रिजेक्ट कर दिया था। इसके प्रोटेस्ट में उन २५ या ३० आदमियों ने अपने नोमिनेशन वापिस ले लिये मगर उसका गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं हुआ। इसका उल्टा असर यह हुआ कि सरपंच को तो चुन ही लिया गया और दूसरे पंचों ने जिन्होंने प्रोटेस्ट में चुनाव नहीं लड़े थे उनकी एवज में सारे के सारे पंचों को नोमिनेट कर दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अच्छा ही हुआ।

श्री पी० के० चौधरी : Such protests are from the entire public. जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मनमानी की, complaints from the entire population of the area came तो जितने भी राइवल केन्डीडेट्स पंचों के लिये आये थे वे चले गये। सरकार को चाहिये था कि सरकार वहां चुनाव स्टे करती और उसकी जांच करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरपंच ने जिन पंचों के नाम दिये उनको एस. डी.-ओ. ने स्वीकार कर लिया। बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन बिल जिसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की प्रणाली लागू होने के बाद पंचायत और जिला परिषद् और पंचायत समितियों की एक कड़ी बनी थी और हम आशा करते थे कि इन संस्थाओं के बारे में भी राजस्थान सरकार एक ऐसा स्वस्थ कानून बनाएगी जो जन–साधारण की उपयोगिता को समझानेवाला कानून होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मुझे कम से कम इस बात का खेद है कि राजस्थान पंचायत कानून और जिला परिषद् कानून का जहां तक प्रश्न है उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट

(श्री शंकरलाल)

ने गंभीरता से विचार नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का आपस में सम्बन्ध है तो फिर उनके लिये अलग अलग कानून क्यों हों। राजस्थान पंचायतों के लिये अलग कानून है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने समय समय पर संशोधन भी किये हैं उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सम्बन्ध के सभी कानून एक ही किताब में होंगे। लेकिन जब पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिये कानून आये उसमें उसके सेक्शन २ के जरिये राजस्थान पंचायत एक्ट को एमेंड किया। राजस्थान पंचायतों के कानून अलग अलग रखने हैं तो इससे क्या लाभ होगा। और जब हम इन सबको शामिल कर लेते हैं तो फिर एक काम करना होगा जहां तक मैंने कानून का अध्ययन किया, हमने उस एक्ट को राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के अन्तर्गत संशोधन किया है और जब संशोधन हुआ तो उसके बाद में, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् के एक्ट को रिपील करने का प्रावधान रखा है। धारा १३ है उसमें पहले रखा है "Sections 2,3 and 4 of the Rajasthan Panchayats and Panchayat Samitis and Jila Parishad (Amendment) Ordinance, 1960." जब पंचायत समिति और जिला परिषद् का अलग कानून आने वाला है तो इस ऑर्डिनेन्स को पंचायत एक्ट के जरिये रिपील कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस कन्फ्यूज़न को किस प्रकार मिटाएगी ? मैं यह निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् और पंचायत समिति के लिये एक कानून बनावें एक ही किताब में और ऐसी भाषा में जिसको राजस्थान की जनता पढ़ सके और जिससे विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य पूरा हो। जहां तक ये कानून अलग अलग रहेंगे जनता में कन्फ्यूज़न होता रहेगा और साधारण जनता इसको समझ नहीं सकेगी। पंचायत समितियों का चुनाव सरपंचों के जरिये से होता है। इसलिये अलग अलग कानूनों से क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये हमें इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये और प्रवर समिति जो सदन के माननीय सदस्यों की बने वह इस पर विचार करे कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों, तीनों का एक ही कानून का मसविदा बनावें और फिर वह कानून सदन में आए जिससे हम अपना उद्देश्य राजस्थान में पूरा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि इसके लिये चार–चार दफा ऑर्डिनेन्स बने और चार पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिये बने। इस प्रकार ८ ऑर्डिनेन्स निकाले जाकर इसको पूरा किया। इसके लिये माननीय मंत्री इस बिल के सम्बन्ध में बोलते हुए या दूसरे बिल में स्पष्टीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से बार बार ऑर्डिनेन्स जारी करना और एक साल में चार चार ऑर्डिनेन्सों का आ जाना, इससे मालूम होता है कि सरकार गंभीरता से उन पर विचार नहीं करती थी जिस समय ऑर्डिनेन्स निकालती थी। जब कभी कोई दिक्कत उनके सामने आती तब ऑर्डिनेन्स निकाल दिया

(श्री शंकरलाल)

जाता। जब दूसरी दिक्कत उसके सामने आई तो दूसरा ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये क्यों न एक सिलेक्ट कमेटी बैठाई जावे और वह मोडिफाइड बिल बनावे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगा कि कलेक्टरों को पॉवर्स दे रखे हैं और कलेक्टर्स दूसरों को पॉवर्स डेलीडेट करेंगे। इसमें दिक्कत आवेगी। मैं यह कहूँगा कि जब पंचायतों के लिये जिला परिषदें बनी हुई हैं और वहां सेक्रेट्री एसिस्टेन्ट कलेक्टर का काम करता है तो उसको ही पॉवर्स क्यों नहीं दे दिये जावें। कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा काम रहता है और सेक्रेट्री के पास तो केवल जिला परिषद् का ही काम रहता है और उसकी जिम्मेदारी पंचायतों के काम की होती है और वह उसको ठीक तरह से कर सकता है। वह आर. ए. एस. ऑफिसर होता है। अगर कलेक्टर को पॉवर देते हैं तो वह ज्यादा बिज़ी रहता है और फिर वह अपने पॉवर्स दूसरे को डेलीगेट करे तो फिर यह रेड–टेपिज्म रखा ही क्यों जाता है ! ये पॉवर्स असिस्टेन्ट कलेक्टर्स को दिये जांय और असिस्टेन्ट कलेक्टर इस काम को करें। आपने यह प्रावधान रखा है कि पॉवर्स कलेक्टर डेलीगेट करेगा तो फिर वह मन–चाहे जिसको करेगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि हो सकता है कि किसी तहसीलदार को कर दे, किसी नायब तहसीलदार को कर दे या उसके किसी सबोर्डिनेट को कर दे। उसमें कई प्रकार की दिक्कतें होंगी, लोगों की शिकायत होंगी। इसलिए वास्तव में इस केडर का ऐसा आदमी ही होना चाहिये जिसको ये अधिकार दिये जा सकें। असिस्टेन्ट कलेक्टर्स को ही ये पॉवर्स रहें, इसलिए इस बिल पर इस सम्बन्ध में भी विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(१.०० म० प०)

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को मैंने देखा है। पंचायत एक्ट में पंच सरपंच को नामजद करने का अधिकार है उसका प्रोसिजर कहीं भी पंचायत एक्ट में नहीं दिया गया है। इससे बड़ी भारी कमी हमारे सामने आती है। जैसा मान लीजिये कि जिस किसी पार्टी का कलेक्टर के ऊपर प्रभाव पड़े तो वह मन चाहे तरीके से उस पंचायत में जहां कि सरपंच और पंच चुन कर न आवें तो कलेक्टर को अधिकार है कि वह पंच और सरपंच को नामजद कर दे। किस आधार पर वह ऐसी नामजदगी करेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है; उसका प्रावधान इस बिल में कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर प्रवर समिति में यह बिल जायगा तो चुने हुए आदमियों की जगह यदि नामजद आदमी करते हैं तो उसके लिए कोई आधार होना चाहिये और वह आधार क्या होना चाहिये इसलिए वहां विचार हो सकेगा। या तो पंचायत समिति की रिकमन्डेशन हो, कोई भी एक प्रोसीजर इसके लिए हो। न तो पहले प्रावधान था और न ही इस बिल में इसका कोई प्रावधान रखा गया है, न ही कोई आधार और तरीका सुझाया गया है; इसलिए इस बिल को इस सम्बन्ध में प्रोसीजर एडॉप्ट कराने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये।

Page No.47

(श्री शंकरलाल)

जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि किस प्रकार से नामजदगियें हुई हैं। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये जहां पर इसके बारे में विचार किया जा सके और कोई आधार कायम किया जा सके ताकि आगे के लिए इस विषय में इस प्रकार की कोई शिकायत न आवे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इलेक्टोरोल्स के बारे में असेम्बली की मतदाता-सूची को मान्यता दी गई है। विधान सभा की मतदाता-सूची में परिवर्तन करने का कानून है। इसका प्रोसीजर और प्रावधान पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन इसमें कलेक्टर को संशोधन करने का अधिकार दिया है। मुझे इसमें शंका है कि यह कहां तक न्याय संगत है। असेम्बली की मतदाता सूची को भी आधार मान लेते हैं और फिर भी कलेक्टर को अधिकार दे देते हैं कि वह जिसको चाहे मतदाता सूची में से हटा सकता है, उस सूची में काट-छांट कर सकता है और जोड़ सकता है। मुझे यह बात कानून और विधि के अनुसार नहीं लगती है कि क्यों यह अधिकार कलेक्टर को दिया जाय। जब असेम्बली की सूची को मान्यता देते हैं तो वह गलत हो या सही, वह आधारित है पिपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट पर, फिर कलेक्टर को क्यों अधिकार दिया जाय कि वह उसमें काट छांट कर सके। पिपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में जब परिवर्तन होगा तब ही मतदाता-सूची में भी परिवर्तन होगा। इसलिए कलेक्टर को अधिकार देकर एक कन्फ्यूज़न पैदा करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल में सेक्शन ५९ को अमेंड करने जा रहे हैं। इससे तहसील पंचयतों के एबोलिशन के बाद में उनके पेन्डिंग केसेज़ कहां जावेंगे ? इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, नया सेक्शन लाये हैं और यह बताया है कि जो क्रिमिनल केसेज़ हों वे मजिस्ट्रेट को और सिविल होंगे वे मुन्सिफ को भेजे जावेंगे। लेकिन वे केसेज़ जो डिसाइड हो चुके हैं, जिनके लिए, अध्यक्ष महोदय, बहुत दिक्कतें आती हैं। उन डिसाइडेड केसेज़ की अपील करने के लिए न तो तहसील पंचायतें रिकॉर्ड की नकल देती हैं, यह भी सवाल आता है कि वह रिकॉर्ड भी कहां जावेगा, किस ऑथोरिटी के पास जावेगा, किस ऑथोरिटी को उनकी नकलें देने का अधिकार होगा और मयाद निकल गई नक़लें न मिलने से उनकी अपीलें कैसे होंगीं ? लोगों को तहसील पंचायत के एबोलिशन के बाद उन के फैसलों की नकलें नहीं मिलीं क्योंकि जब तहसील पंचायत के पास नकल लेने के लिए गये तो कहा गया कि तहसील पंचायत ऑफिस एबोलिश हो गया और सरकार ने कोई दूसरा कानून नहीं निकाला कि वह नकलें दे सके। इस तरह से उनके फैसलों की अपीलों के लिए मयाद निकल गई। उस रिकॉर्ड का कौन जिम्मेदार है, नकल देने का किसको अधिकार है, न दिया उसकी मयाद निकल गई। इसलिए इन सब बातों के लिए और नकलें न देने से उनकी मयाद निकल गई उस मयाद को बढ़ाया जाने का प्रावधान रखा जाय क्योंकि यह न्याय का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

यह भी निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि एक प्रस्ताव आया है कि गांव के विकास

(श्री शंकरलाल)

कार्यों के लिए पंचायतें लोगों से मेन्युअल लेबर लेने का अधिकार रखती हैं। प्लानिंग कमीशन का यह सुझाव हो सकता है । इस बिल में भी रखा गया है । किन शब्दों में और किस प्रकार लिया जायगा, लेकिन कम्पलसरी मेन्युअल लेबर लोगों से ली जाती है तो मुझे शंका होती है, अध्यक्ष महोदय, की विकास के कामों के लिए लोगों में स्पोन्टेनियस, स्वतः उत्साह उनमें इनके प्रति पैदा हो, यह करना चाहते हैं तो इस प्रावधान से यह न होकर उनमें एक दबाव की भावना पैदा हो जायगी और हमारी जो भावना है वह भी निरर्थक हो जावेगी। कानून के जरिये नियम बना कर श्रमदान लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसको दूसरे शब्दों में लोग बेगार कहें और वह सही भी हो सकता है। इसलिए पंचायतों को इस प्रकार का प्रावधान रख कर अधिकार दे देना, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा । काम स्पेसिफाई किया जाय, किन लोगों से कितना लिया जायगा। यह बताया गया कि पूवर हों और ब्लाइन्ड हों, उन लोगों से न लिया जाय। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी काम ही न दे सके क्योंकि १२ दिन जहां काम देने का है उसके पास ही खुद के खाने को नहीं है, भूखा है, वह कहां से देगा ? उस पर मेन्युअल लेबर देने के लिए दबाव डाला जाय और उस पर जोर दिया जाय तो यह उसको महसूस होगा कि उसकी स्वतन्त्रता खतरे में है। वह स्वेच्छा से गांव के लिए काम नहीं कर रहा। उस पर दबाव दिया जा रहा है इसलिए उसको मानने के लिए लाचार है। तो आज के इस डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन में इस प्रकार का कानून बनाने से पूर्व इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जहां पर इस पर विचार किया जा सके तथा और कोई हल निकाल सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूं कि चूंकि ऑर्डिनेन्सेज़ निकल चुके हैं और सरकार उनको वेलिडेट करना अपना कर्त्तव्य समझती है और सदन में भी वे पास होंगे। उन ऑर्डिन्सेज़ को इस प्रकार से कानून का रूप तो फिलहाल दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वह चीज़ लानी पड़ेगी। जिस रोज इन सारे कानूनों को एक करना होगा चाहे यह कानून राजस्थान पंचायत कानून हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे जिला परिषद् का हो इन तीनों कानूनों को कोडिफाई करना पड़ेगा और इसको एक कोडिफाइड लॉ करने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये । मैं बहुत ही नम्र शब्दों में अर्ज करूंगा कि यदि इस प्रकार से अमेंडमेंट कानून में निकलते गये तो एक प्रकार से कन्फ्युज़न पैदा हो जायगा। जब पंचायत कानून को लेकर जाते हैं तो जो बात होनी चाहिये वह उसमें नहीं मिलती है और पंचायत समिति के कानून में जो बात होती है वह जिला परिषद् के कानून में नहीं मिलती है। इस दृष्टि से इन तीनों कानूनों का एक कोडिफाइड लॉ बनाना होगा। तीनों एक प्रशासन की कड़ी हैं। सही कानून ही जो होना चाहिये उस दृष्टि से वास्तव में सदन में पास नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव आया है वह बिल्कुल न्याय संगत है और वास्तव में इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के साथ सरकार की ओर से जो इसके उद्देश्य और कारण बताये गये हैं उनको अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो उसमें एक खास बात आती है। जिन महानुभाव के हाथ में यह कानून बनाने की सत्ता थी उन्होंने इस सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार को कोई ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का अधिकार नहीं था। मैं यह नहीं कहता कि किसी ऑर्डिनेन्स द्वारा इस प्रकार के कानून में कोई संशोधन करने का सरकार को अधिकार नहीं था। इस प्रकार से दोनों अधिकार रहने के बावजूद हमें इस एक तथ्य पर विचार करना पड़ेगा कि क्या किसी ऑर्डिनेन्स द्वारा सत्ताधारी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से तो यह कार्यवाही नहीं की गई है ? अध्यक्ष महोदय, इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में पेज ८ पर लिखा है, जिसका सारा सारांश यह है कि कुछ पंचायतें जिनके चुनाव पहले हो चुके थे और उन पंचायतों में डी-लिमिटेशन के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा उन पंचायतों के दुबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिये हमारी सरकार तारीख तय करेगी; उस तिथि के बाद जितने भी चुनाव इस प्रकार के हुए हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनका आम चुनावों के साथ आगामी चुनावों के साथ चुनाव नहीं होगा। अब अगर यह समझा जाय कि सरकार ने जो तिथि निश्चित की है वह तिथि सरकार की किस कार्यवाही का बैक ग्राउन्ड है, किसी कानून के अन्तर्गत की गई है या किसी सरकारी कार्यवाही का सारांश रूप से द्योतक है या सरकार ने बड़ी समझ के साथ सारे कॉम्पलीकेशन्स को हटाने की दृष्टि से इस प्रकार की कोई तिथि निश्चित की है। वह तिथि कौन सी निश्चित की ? ९ सितम्बर, १९५९। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूँगा। ९ सितम्बर की तिथि आपने किस कारण से तय की है ? क्या १९५९ में आम चुनाव हुए या इस कानून को इस तारीख को इमीजियेट इफेक्ट दिया गया ? मैं ऐसा समझता हूँ कि ९ सितम्बर की जो तारीख मुकर्रर की गई वह किसी कानून के आधार पर नहीं, किसी स्थिति के आधार पर निश्चित नहीं की गई। हमारे मंत्री महोदय ज्योतिष के ज्ञाता हैं, इसलिये शायद ९ सितम्बर का कोई मुहुर्त निकलवाया हो उसी मुहुर्त के आधार पर शायद यह ९ सितम्बर की तिथि निर्धारित की है। इसमें भी एक जबर्दस्त चाल है और वह भी किसी दूसरे मंत्री की नहीं, किसी कलेक्टर की नहीं, यह चाल किसी कमिश्नर की नहीं, यह चाल है माननीय मंत्री महोदय की जो आज इस कानून को पायलॉट कर रहे हैं। वह चाल क्या है, यह मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। वह यह चाल है, कि अजमेर जिले के अन्दर कुछ ऐसी पंचायतें थीं जिनके तीन वर्ष समाप्त हो चुके थे, बदकिस्मती से यह समय ऐसा था जिस समय के अन्दर माननीय मंत्री महोदय के पक्ष के आदमी सरपंच के नाते चुन कर आ गये थे और जिन सरपंचों के आधार पर पंचायत समिति का गठन करवाना चाहते थे, उन सारी पंचायतों के

(श्री भैरोंसिंह)

पंच और सरपंच जिनको अपनी सत्ता के प्रभाव के कारण विजयी बनाया था वे उसी प्रकार से वैसे ही बने रहें। अजमेर की ८० पंचायतों के लिये यह ऑर्डिनेन्स इश्यु किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह कानून इस बात का है कि पंचायतों के चुनाव कराये जायें। सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, उसको माननीय मन्त्री महोदय जानकारी कर लें, वे प्रोसीडिंग्ज़ उठा कर देख लें। जिस समय पंचायत विधेयक पर, ३१ जनवरी के बारे में, इस तारीख के सम्बन्ध में जब वाद-विवाद हो रहा था उस समय माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि किसी भी पंचायत का चुनाव चाहे वह एक महीने पहले हो गया हो या कुछ दिनों पहले हुआ हो, उसका चुनाव भी दुबारा होगा। आप इस बारे में उस तारीख की प्रोसीडिंग देख सकते हैं; जैसे ही आम चुनाव होंगे सारी पंचायतों की मयाद खत्म हुई या नहीं सब के एक साथ चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन जब अजमेर की मिसाल सामने आती है, माननीय मंत्री महोदय की खुद की मिसाल सामने आई उस समय यह आश्वासन कहां जाता है? इस सम्बन्धी सारी कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन पंचायतों के चुनाव ९ सितम्बर से पहले यानी ८ सितम्बर को हो गये क्या उसके चुनाव की दुबारा आवश्यकता नहीं होगी? आपके इस ९ तारीख के पहले यानी १ तारीख को या ४ को या ५ को हो गये, उनकी तारीख आपने तय क्यों नहीं की? माननीय मंत्री महोदय ने यह निश्चित करने के पहले अपने उन सब पंचों और सरपंचों के चुनाव के आंकड़े सामने रख लिये, उनकी तारीखें सामने रख लीं कि किस किस तारीख को किस पंचायत के चुनाव हुए, वह तालिका सामने रख ली और देख लिया कि किस तारीख के बाद को पंचायतों में उनके पक्ष के सरपंच आये, उसी आधार को लेकर उन्होंने यह ९ सितम्बर की तारीख तय कर दी। ९ सितम्बर से पहले जिनके चुनाव हुए थे उनके लिये तो यह लागू नहीं किया। ९ सितम्बर के बाद का नहीं कराना है क्योंकि उसके बाद जितने भी पंचायतों के चुनाव हुए उनमें सरपंच उनके पक्ष के थे इसलिये उनको उनके दुबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं हुई और इसीलिये गवर्नर महोदय से कह कर ऑर्डिनेन्स इश्यु करवा दिया। मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि विधान के अन्तर्गत सारी परिस्थितियां गवर्नर महोदय के सामने नहीं रखी गई। यदि वे रखते तो शायद निश्चित रूप से माननीय मन्त्री महोदय के पक्ष में इस प्रकार की तारीख निश्चित नहीं हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, जहां यह ८० पंचायतों पर लागू किया गया है वहां इसका हाल क्या होगा? हमने चुनाव डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रे-लाइज़ेशन के आधार पर लड़े हैं। उसके अनुसार हमने यह व्यवस्था कर दी, इसके अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव होंगे वहां पंचा-यतों को एग्ज़ीक्युटिव पॉवर्स होंगे, दूसरी न्याय पंचायतों का गठन होगा, इस तरह से दो प्रकार की पंचायतें बन रही हैं। पहले की व्यवस्था के अनुसार पंचायतों के अन्दर हरिजन मेम्बर नहीं आता था तो उसकी नामजदगी कर दी जाती थी। यह अजीब परि-स्थिति थी। इसमें नामजदगी की चिन्ता नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

की गई। आज बिल में जो प्रोविजन रखा गया, "not withstanding anything contained in section" such and such, इसका मतलब यह हुआ कि किसी आदमी को नामजद किया गया हो या नहीं, पिछले कानून की धाराओं के अनुसार चुनाव हुआ हो या नहीं, ६ सितम्बर से पहले की जितनी पंचायतों के चुनाव हुए हैं वे सारे वैध माने जायेंगे। उनके चुनाव आइन्दा कराने की आवश्यकता नहीं।

अजमेर में दो गुट हैं। एक तो माननीय मन्त्री महोदय के पक्ष का और दूसरा विरोधी गुट है। विरोधी गुट को किस प्रकार से क्रश किया जाय, उसी के लिये यह स्टेप लिया गया है। यदि डेमोक्रेसी में इस प्रकार डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के अन्तर्गत किया जा रहा है तो यह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन नहीं बल्कि हरिभाऊ डीसेन्ट्रलाइज़ेशन है। आज वहां के लोग यह आशा लगाये बैठे थे कि हम भी आगामी पंचायतों के चुनाव में भाग लेंगे। जिन लोगों ने पिछले पंचायतों के चुनाव में भाग लिया वे चुनाव पीपुल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट के अन्तर्गत हुए, उस समय जो वोटर्स लिस्ट थी उसी के अनुसार हुए। उस समय किसी का नाम यदि वोटर्स लिस्ट में रह गया है तो नाम एड करवाने का बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर था। अब हमने जो अमेन्डमेन्ट नये एक्ट में किया है उसके अनुसार कलेक्टर्स के पास अर्जी देने से वह अपना नाम लिस्ट में शामिल करवा सकता है, वह वोट देने का अधिकारी हो सकता है, अपना नाम एड करवा सकता है और उसके बाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन यह क्या व्यवस्था है ? पिछली व्यवस्था के अनुसार, रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराओं के अनुसार जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना नाम एन्टर करा सकता था कलेक्टर के यहां जाकर या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के यहां जाकर दर्खास्त करनी पड़ती थी। तो इस तरह नाम एन्टर करने का प्रोसीजर बड़ा जटिल था। इस कारण कई व्यक्ति रह गये और अपने नाम एन्टर नहीं करा पाये और इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सके और जो सहूलियतें दीं उनका लाभ नहीं उठा सके। कानून के अन्तर्गत जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया वे सब वन्चित रह गये। मैं तो निवेदन करूंगा कि क्या सरकार ने इस बात की भी जांच की है ? मैं उसके प्रमाण देने को तैयार हूँ कि ६ सितम्बर के बाद पंचायतों के चुनाव कराये हैं और उन पर डीलिमिटेशन का प्रभाव नहीं पड़ा। ६ सितम्बर के बाद अजमेर में चुनाव न हों, और जगह चुनाव हो गये हैं वहां प्रमुख और प्रधान को वोट देते रहें। अगर ऐसा करना था तो सितम्बर–अक्टूबर में विधान सभा का अधिवेशन हो रहा था आप सूचना दे सकते थे। एक-दो महीने पहले क्यों चुनाव करा रहे हैं जब कि ३१ दिसम्बर को उनका पीरियड समाप्त हो रहा है ? उस समय इस बात का नोटिस देते और प्रावधान करते कि ३१ दिसम्बर को मयाद खत्म नहीं होगी तो धारणा जो लोगों में बन गई थी कि दो महीने के लिये चुनाव लड़ कर क्या करेंगे वह धारणा उनकी दूर हो जाती और वे भी चुनाव में लड़ते। वे यही सोचते रहे कि अपने को तो आगे की तैयारी करनी चाहिये। इस धोखे में पड़ कर और सरकार के विश्वास

(श्री भैरोंसिंह)

में आकर जिन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया उनके साथ जरूर अन्याय किया गया है और अपनी पोज़ीशन की सुरक्षा की दृष्टि से इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा उस अधिकार का मन्त्री महोदय ने भी दुरुपयोग किया है। मैं चाहूँगा माननीय मन्त्री महोदय स्वयं इसका स्पष्टीकरण करेंगे। इसके साथ एक अजीब स्थिति मैंने देखी। धारा ४ के अनुसार कोई संशोधन करना चाहता है, उसकी लैंग्वेज है : "Continuance and validation of certain panchayats." आगे फिर लिखा है : "For the removal of doubt it is hereby declared..." मैं ऐसा समझता हूँ कि कानून बनाने में डाउट को रिमूव करने की दृष्टि से भाषा को आप कानून के रूप में प्रयुक्त करना चाहें तो यह उपयुक्त नहीं होगा। आपको कार्यवाही करनी है तो सीधी करिये, for the removal of doubt. अब डाउट तो है या नहीं; वह शंका तो है। इसके आधार पर माननीय मन्त्री जी को भी शक है कि मैं जो कार्यवाही कर रहा हूँ वह ठीक है या नहीं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके स्वयं ने सन्देह पैदा किया है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : यह हट्टूंडी की भाषा है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि वे इसके बारे में एक सही प्रकार का स्पष्टीकरण करें। इसके साथ साथ पहले जो कानून बना था ५३ का उसकी धारा ६५ का एक प्रावधान था और उसका मतलब यह था कि जब किसी पंचायत के अन्दर कोई आकस्मिक घटना हो जावे, कहीं सारे गांव को कलेक्टिव लेबर की आवश्यकता हो, जैसे बन्ध टूट गया हो, आग लग गई हो, कहीं से पानी आ गया हो या कोई आकस्मिक घटना हो उन सब की रोकथाम के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके आधार पर सारे गांव के लोगों की कलेक्टिव सर्विस को युटिलाइज़ किया जा सके। सदन ने धारा ६५ को पास किया। इसके बाद अब इस बात का अधिकार लेने का संशोधन आया। इसके द्वारा सरकार ने आड़ ली किस बात की? प्लानिंग कमीशन ने इस प्रकार की सिफारिश की उसकी। क्या सिफारिश की? लोगों से बेगार ली जावे। क्या इस बात की सिफारिश की है कि जो बेगार नहीं दें उनके ऊपर जजिया कर लगाया जावे?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह क्या?

श्री भैरोंसिंह : जज़िया कर। कोई फर्क नहीं है जजिया कर में और इस कर में आप कहते हैं कि काम नहीं करो तो टैक्स लगाओ। औरंगजेब कहता था उसके अपने जमाने में कि या तो मुसलमान हो जाओ नहीं तो टैक्स दो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह तो नहीं था मतलब।

श्री भैरोंसिंह : यही था। मैं समझता हूँ उस वक्त के जजिया कर में और आज के इस कर में कोई अन्तर नहीं है। अब तो हमने इसको शख्त बनाया है और हमने यह व्यवस्था कर दी है कि पंचायत कुछ लोगों को राहत भी दे सकती है। कोई आदमी मेडिकल अन–फिटनैस दे दे या कोई डिसए-

(श्री भैरोंसिंह)

बन्द हो या इसकी व्यवस्था कर दे जिससे कि पंचायत जिसे छोड़ना चाहे स्वेच्छा से तो छोड़ दे।

अब यहां, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय भी जानते हैं और यह सदन भी जानता है कि पंचायत इलेक्शन में किस प्रकार की सरगर्मी थी और इसके कारण पंचायतों में किस प्रकार का वातावरण बना। आज चाहे सरकार यह कहे कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के कारण गांव में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि जिसके अन्दर लोग स्वयं मामूली बातें नहीं करने लग गये बल्कि तीसरी योजना को किस प्रकार से सफल बनाया जावे, कौन कौन सी मदें शामिल की जावें, इसके लिए प्रस्ताव भी देने शुरू कर दिये हैं। जिस समय पंचायतों की बात की जाती है इस तरह से उनकी बड़ाई की जाती है, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। फिर क्या स्थिति पैदा हो गई कि आज बहीं के लिए बेगार का प्रावधान रख कर सदन में प्रस्तुत करने की तैयारी यह सरकार कर रही है? आप कह देते हैं, पंचायतें तो बहुत एक्टिव हैं। किन्तु प्लानिंग कमीशन ने कह दिया इसलिए यह बेगार का प्रावधान रखा है। मैं कहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है। उसका तो यह कहना है कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के जरिये लोगों में इस प्रकार की भावना पैदा करें कि वे स्वेच्छा से कोई काम करने लगें। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का भी यही मकसद होना चाहिये कि वे लोगों में इस प्रकार की प्रेरणा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करें कि वे स्वेच्छा से काम करें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून बनाने का सवाल है, सरकार को अधिकार है कि वह कानून बनावे। पर कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं समाज में होती हैं जिसमें कानून की आवश्यकता नहीं होती और सोसाइटी को स्वयं अपने इन्सपायरेशन से काम करना होता है। हम गांवों में जावेंगे तो किस तरह से जावेंगे? इस तरह जावेंगे, पानी पीवेंगे तो इस तरह से पीवेंगे, कुंए पर जावेंगे तो जूता उतार कर जावेंगे, जूता पहिन कर अगर चढ़ गये तो जूते को साफ करके नीचे उतरना होगा और उस प्रकार नहीं करेंगे तो एक रुपया जुर्माना होगा। इस प्रकार के भी अगर सरकार कानून बनाने लग गई तो फिर सोसाइटी के कोई फंक्शन्स नहीं रह जावेंगे। जो काम लोगों को, सोसायटी को अपने आप करने चाहिये उनके अन्दर अगर सरकारी यन्त्र घुस जावेगा तो लोगों का स्वयं का इन्सपायरेशन खत्म हो जावेगा। कानून का जंगल खड़ा कर देने से सोसाइटी ठीक तरह से चलेगी, यह नहीं होता। यह जहां तक मैं समझता हूँ कॉम्यनिटी डेवलपमेंन्ट के हमारे प्रोग्राम का भी यह मकसद नहीं है, न प्लॉनिंग कमीशन का है। इनका मकसद और लक्ष्य यही है कि सोसाइटी में स्वयं काम करने का इन्सपायरेशन क्रियेट किया जाय। ट्रेडीशन और कन्वेन्शन इस तरह के एस्टेबिलिश करें कि जिससे बिना कानून के लोग सोसाइटी के काम को ठीक तरह से चला सकें। पर ऐसे ट्रेडीशन कायम करने में और सोसाइटी में यह फीलिंग और इन्सपायरेशन पैदा करने में, मुझे ऐसा लगता है कि हम कामयाब नहीं हो सके। यह सरकार इसमें असफल हुई है और इसका सबूत यह

(श्री भैरोंसिंह)

है कि इस प्रकार का कानून लाया गया है। ऐसा लगता है, जहां हर बात का कानून बनाने की चेष्टा सरकार करती है वहां ऐसा लगता है कि जनता का स्तर इन्सपायरेशन की दृष्टि से गिरता जा रहा है। सोसाइटी का काम जनता स्वयं नहीं करना चाहती और इसलिये उनको कानून के द्वारा करवाना चाहती है यह सरकार। ये दोनों चीजें कॉम्यनिटी डेवलपमेंट के सिद्धान्त के बिल्कुल विरूद्ध जाती हैं। एक सिद्धान्त स्वीकार किया गया है संविधान में भी और सब जगह कि लोग अपने स्वयं के विकास के बारे में अपने आप विचार करें, योजना बनावें और उसके आधार पर कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था करें।

इस संशोधन से एक बात और स्पष्ट है कि सरकार यह मानती है कि वह कॉम्यनिटी में स्वेच्छा से काम करने की फीलिंग पैदा करने में असमर्थ रही है, नाकामयाब रही है और आज कॉम्यनिटी में स्वयं काम करने की फीलिंग नहीं है और इसका मतलब यह भी है कि कॉम्यनिटी डेवलपमेंट का हमारा जो वर्क है वह फेल रहा है। हमने स्वयं काम करने की फीलिंग इस कॉम्यनिटी डेवलपमेंट के द्वारा जनता में पैदा करने की व्यवस्था की थी पर हमें उसमें असफलता प्राप्त हुई है और इसका नतीजा यह है कि जबरन श्रम के आधार पर हम अपना प्रोग्राम पूरा कराना चाहते हैं। सरकार अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए लोगों पर बेगार थोपने का प्रावधान रख रही है।

कई बार सदन में सामन्तों को, राजा-महाराजाओं को और कई बार जिस प्रकार हमारे राजस्व मन्त्रीजी कहते हैं कि प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के आधार पर समय समय पर संशोधन होंगे, उनके समय में जो बेगार ली जाती थी उसको हमने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के द्वारा संशोधित किया है और बहुत संशोधन करके हमने प्रोग्रेस की है। जितने उनके जमाने के दकियानुसी कानून थे उन सब को समाप्त कर दिया है। मैं कह देना चाहता हूँ कि जिन दकियानुसी कानून-कायदों की व्यवस्था और प्रथाओं को आपने बदला है, जिनके बदलने की आप बात करते हैं उनको बदला नहीं है, आपने सिर्फ उनके नाम पलटे हैं। पहले बेगार का कोई कानून नहीं था। राजा-महाराजा जबानी ही सब कर लेते थे, अपने हाथ में डंडा रख कर बेगार लेते थे। पर आज कानूनन से इसे लिया जा रहा है, मिनिस्टर या मन्त्री कह सकते हैं कि हमारे हाथ में डंडा नहीं है, हमने तो कानून बना दिया है। यह सही है, डंडा आपके हाथ में आपने नहीं रखा। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एग्ज़ीक्युटिव के हाथ में आपने डंडा दे दिया है। मैं मानता हूँ, मन्त्री के हाथ में डंडा नहीं है। पर किसी को पकड़ा दिया है। ऐसी संस्थाओं को भी पकड़ा दिया है जो निश्चित रूप से इनका दुरुपयोग करेंगी। अभी बताया गया कि कनफ्लिक्ट पैदा हुआ और जातिवाद की भावना पनपी है और उन जातिवाद की भावनाओं के आधार पर हमने देखा है कि गांव गांव में वातावरण बड़ा गन्दा हो गया है........

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कहा था उस समय यह कहा था कि जातिवाद

(श्री सोहनलाल भटनागर)

की भावना समाप्त हो गई।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कहा था कि जातिवाद नहीं है और अब भी नहीं है। जो जातिवाद आप सोचते हैं वह नहीं है। यों तो जातिवाद नहीं है पर सब कौमों में जातीयता पनपी है। जाट हैं, राजपूत हैं, महाजन हैं, ब्राह्मण हैं इन सब का पंचायतों में इस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है जिसको मैं कहता हूँ कि कोई भी मन्त्री महोदय इन्कार करता है तो गलती करता है। पंचायतों में जातीयता पनपी है और इस हद तक पनपी है कि जैसे ब्राह्मण हैं उनमें भी देखना यह है कि कौन गौड़ है और कौन दायमा है और यह जातीयता का भूत एक जगह ही नहीं है लेकिन इस भूत ने नीचे से लेकर ऊपर तक शिकार किया है। आज हमारा समाज जातीयता में इतना फंस गया है कि इस चीज़ से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। जाटों में किसी प्रकार की कोई जातीयता है, मैं अब भी इसको नहीं मानता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रसंग पर अपने विचार प्रकट कर रहा था उसके ऊपर पुन: आता हूँ और वह बेगार के बारे में था। मैं फिर हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां आज पंचायतों के अन्दर वातावरण दूषित है, जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने के अवसर का फायदा उठाना चाहता है वहां एक पंचायत में किसी पार्टी विशेष का बहुमत हो गया और दूसरे वर्ग का नहीं हुआ तो क्योंकि आपने कानून के अन्दर व्यवस्था कर दी इसलिए एक पक्ष दूसरे पक्ष से बेगार लेने का प्रयत्न करेगा। इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जायेगा। जो पंचायतों के पंच, सरपंच या जो पंचायतें सरकार के पक्ष में होंगी उन पंचायतों को तो सरकार अधिकार दे देगी और इस प्रकार के अधिकार देकर बाकी के लोगों को परेशान कराने की कोशिश की जायेगी और जिस पंचायत समिति में सरकार के लोग नहीं होंगे उनको यह अधिकार नहीं दिये जायेंगे क्योंकि अधिकार देने की बात सरकार ने अपने हाथ में रखी है। यदि ये सारी चीजें एमर्जेन्सी में पैदा हो जायें तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई एमर्जेन्सी की फोलिंग भी नहीं है। सरकार की पूर्व अनुमति से इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी तो जहां यह चीज़ आती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार रेड–टेपिज्म की सरकार है। एमर्जेन्सी हो और उसके लिए कोई प्रोवोज़न किया जाये सो तो माना जा सकता है लेकिन उपरोक्त परिस्थितियों में ऐसी भावना नजर नहीं आती जिसके आधार पर कहा जाये कि एमर्जेन्सी में व्यवस्था की गई है। अब यदि गांव के हित का मामला है तो मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक पाल टूट रही है तो कौन बेवकूफ होगा जो नुकसान उसको होता हो उसको बचायेगा नहीं ? आज भी गांवों के अन्दर इस प्रकार भी भावना है कि जहां गांव में बन्धा है जिस समय पानी ज्यादा आता है उस समय गांव का एक आदमी ढोल बजाता है और सारे गांव के लोग फावड़े लेकर इक्ट्ठे हो जाते हैं और मिट्टी की बोरियां जहां बीच होता है वहां डालते हैं। कॉम्युनिटी के सारे वर्क्स ऐसे होते हैं। लेकिन यहां वर्क्स अजीब प्रकार के हैं और इसका मतलब यह है कि जिस तरह की हमारी भारत सेवक समाज की

(श्री भैरोंसिंह)

काम करने की व्यवस्था है यहां काम पंचायतों द्वारा कराया जायें। भारत सेवक समाज के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है....

(१. ३५ म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

मैं इस क्लॉज़ का और इस प्रावधान का निश्चित रूप से घोर विरोध करूंगा। इसके अलावा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जागीर रिज़म्पशन के बाद तो कम से कम इसको लागू न करें और लोगों को जो बेगार से चिड़ है उससे और ज्यादा उनको न चिड़ावें, सोसाइटी के कामों में दखल नहीं करें और अपना काम स्वत: करने की लोगों में भावना पैदा करें और जनता को इस कानून के दखल से बचावें। मैं, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूँगा कि कलेक्टर्स को कुछ पॉवर्स देने के सम्बन्ध में जिक्र आया है और उसके साथ ही साथ इसमें कुछ संशोधन भी किये गये हैं। मैं कलेक्टरों द्वारा चुनाव कराये जाने की व्यवस्था का विरोध नहीं करता हूँ। आखिर कोई न कोई तो सरकार की एजेन्सी होगी जिससे कि चुनाव कराये जायें। इसके बाद में यह भी सही है कि कलेक्टर इतना बिज़ी आदमी है कि जिससे यह सारी व्यवस्था कराई जाये कि इलेक्टोरल रोल में वह नाम लिखे, जितने भी नोमीनेशन्स होंगे वे उसके सामने फाइल किये जायेंगे, वही स्क्रुटिनी करेगा, विथ्ड्रॉअल के फॉर्म्स भी उसके सामने पेश किये जायेंगे और हर ग्राम पंचायत के चुनाव कलेक्टर कराये और फिर उसका दूसरा रुटीन काम इतना है कि यह सब काम उसके अकेले के लिए करना सम्भव नहीं है। मैं इसको सिद्धान्तत: स्वीकार करूंगा कि कलेक्टर को अधिकार होने चाहिये। अब इसके अन्दर सरकार ने कुछ सबोर्डिनेट ऑफिसर्स को भी अधिकार देने की व्यवस्था की है। अब सबोर्डिनेट ऑफिसर्स को जो अधिकार दिये जायें वह ऐसे अधिकारियों तक दिये जा सकते हैं जो बी०डी०ओ० हों या एस०डी०एम० हों या इसी केडर के अधिकारी हों। कई माननीय सदस्य ने उदाहरण दिये। मैं कहता हूँ कि उदाहरणों की तो कोई कमी नहीं है। उनके आधार पर आज हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थिति है कि हमारी सरकार उन सब बातों की जांच कराये और जांच कराने के बाद में यदि उनमें विश्वास हो जाये कि वाकई में चुनाव पंचायतों के हुए हैं या जनता और सरकार के बीच में हुए हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि चुनाव जनता और सरकार के बीच में हुए हैं उनका पलड़ा भारी रहेगा। कई हन्ड्रेड एग्ज़ाम्पल्स आई हैं कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिये सरपंच का नोमीनेशन भरते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर लिखते हैं कि आदमी अनपढ़ हैं और जो डिक्टेशन लिखवाते हैं उस पर अपना डिसीज़न देते हैं, उसके ऊपर अपना जजमेंट वह रिटर्निंग ऑफिसर लिखता है क्योंकि उसको उन्हें देखने का अधिकार दिया गया है। न्याय पंचायत के चुनाव होते हैं। एक तहसीलदार उसमें जाता है तो जिन लोगों ने मिडिल क्लास की परीक्षा पास की है वही न्याय पंचायत के लिए वैलिड माना जा सकता है। इसके अन्दर ऐसा उदाहरण सामने आया है कि एक व्यक्ति जो सात–आठ साल पहले जयपुर में अध्यापक के रूप में काम कर चुका

(श्री भैरोंसिंह)

है उसका फॉर्म रिजेक्ट होता है । इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी है कि जो सुपाठ्य हिन्दी पढ़ और लिख सकता है। पर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति न्याय पंचायत के लिए रिजेक्ट कर दिया गया वह व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिए ले लिया गया। इसके अलावा सभापति महोदय, जो छः छः साल तक सरपंच रहता आया है और जहां छः साल तक किसी ने जजमेंट दिया है और जिसके डिसीज़न्सन रिवीज़न और अपील में गये हैं, जो आदमी पढ़ा-लिखा होने की वजह से सरकार की डेवलपमेंट कमेटी में नोमीनेट किया गया ऐसे ऐसे लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए गए। मैं आज भी कहता हूँ कि उन सारे अधिकारियों ने हमारे राजनीतिक नेताओं के सहारे से और उनके कहने के नाते से आठ-आठ और नौ-नौ व्यक्तियों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिये । मैं भी मान लेता हूँ कि अनपढ़ होने का डिस्क्रीशन उनके हाथ में था। लेकिन सभापति महोदय, कुछ घटनायें इस प्रकार की सामने आई हैं कि न्याय पंचायतों में इतनी धांधली की है कि जिस समय फैसला पब्लिक को सुनाया जाता है कि न्याय पंचायत के अध्यक्ष के लिए भैरोंसिंह का चुनाव हो गया और जब कलेक्टर के पास कागज़ जाते हैं तो भैरोंसिंह की जगह हरिभाऊ का नाम लिखा हुआ मिलता है। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, इस सारे जनतन्त्र का हाल क्या होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): वहां पर भी आप हरिभाऊजी की खिलाफत कर रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : वह चुनाव मैंने नहीं लड़ा था। तो ऐसी स्थिति में आज यह कोई कहे कि पंचायतों के चुनाव हमने न्यायसंगत रूप से करवाये हैं, हमारे राजस्व मन्त्रीजी कहें कि पंचायत समितियों से हमने सफाया कर दिया और अगले चुनावों में सफाया कर देंगे, मैं कहता हूँ कि यदि चुनाव ईमानदारी से कराये जायें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किXXXXलेकिन चुनाव में राजस्व मन्त्रीजी के साथ अधिकारियों का सहयोग रहता है। हमारे मन्त्रीजी सरकारी सेवाओं की मदद लेकर चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि आगामी चुनाव में सफाया कर दिया जायगा । इसकी चिन्ता मुझे हो रही है और इसलिए हो रही है कि सन् ५२ में और सन् ५७ में चुनाव हुए थे उनमें कुछ हिस्से को छोड़ कर सरकारी अधिकारी निष्पक्ष रहे थे। लेकिन अभी पंचायतों के चुनाव सरकारी दबाव से और राजनैतिक दबाव के आधार पर हुए थे और सरकारी अधिकारियों को डीमोरेलाइज़ किया गया और वही डीमोरेलाइजेशन सन् ६२ तक कन्टिन्यु कर गया और राजस्व मन्त्रीजी का वश चल गया तो मेरा तो सफाया हो ही गया....

एक माननीय सदस्य : वह तो पहले ही हो गया था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या प्रवर समिति को भेजने के लिए ये पॉइन्ट्स जरूरी हैं कि चुनाव में क्या हुआ और क्या न हुआ ? मैं समझता हूँ, जरूरी नहीं हैं ।

श्री सभापति (श्री बिशंभरनाथ जोशी):

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सभापति)

He is pointing out the defects in the present Act.

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय,....

श्री सोहनलाल भटनागर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जो....

श्री सभापति : Yes.

श्री सोहनलाल भटनागर : इस बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जो प्रोविज़न्स हैं इस बिल में उन पर डिस्कशन कर सकते हैं। कौन रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता; इन बातों पर डिस्कशन नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : There has been a ruling from the Chair, Sir. ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को शायद बुरा लगा होगा। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं वे जन-हित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनको खुद को फायदा होगा क्योंकि अगली बार शायद टिकट नहीं मिला और पंचायत समिति का प्रधान बनने की कोशिश करनी पड़े, इसलिए मैं उनके लिए प्रावधान कर रहा हूँ। उनको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि मैं हारूं या जीतूं, मुझे इस बात की भी चिन्ता नहीं है कि राज्य किसका हो। लेकिन हमारा यह मौलिक अधिकार है कि चुनाव के मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिये। सरकारी मशीनरी को निष्पक्ष होना चाहिये। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जो पॉवर्स बी० डी० ओज़., एस० डी० ओज़. को या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को दिये गये हैं, उनका दुरुपयोग किया गया है। जो वोटर्स वोट देने गये उनको कहा गया कि लाओ तुम्हारे बैलट और उन्होंने उनको जेब में रख लिया और फिर अपनी इच्छानुसार बैलट बॉक्सेज़ में डाल दिया। यहां तक कि एक जगह वोट पड़े, उसका हिसाब ही नहीं मिला कि कितने इश्यू हुए और कितने डाले गये। इस प्रकार की बेईमानी करके लोगों को हराया गया और इस जीत का श्रेय राजनैतिक आधार पर सरकार लेना चाहती है तो सरकार गल्ती कर रही है और भ्रम है। इस स्थिति में राजस्थान में जितनी पंचायतों के चुनाव हुए उनमें से कुछ स्थानों को छोड़ कर जिनको सूचना मेरे पास नहीं है उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, बाकी जो उदाहरण प्रस्तुत किए उसी प्रकार के उदाहरण हर जिले में मिलेंगे। यदि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सरकार के मंत्रियों के जितने टी. ए. बिल्स हैं, नकशे हैं वे बताये जावें, जिनसे पता चले कि चुनावों के समय कहां कहां कौन कौन मंत्री मौजूद थे और यदि वे वहां मौजूद थे तो ट्रन्क कॉल बिल्स का रजिस्टर देख लें, सीकर में कितने टेलीफोन किये, जोधपुर में कितने किये, नागौर में कितने किये? हमारे मिनिस्टर या तो दौरा करने में व्यस्त थे या ट्रन्क कॉल्स के द्वारा अधिकारियों को नसीहतें देने में व्यस्त थे। ये नसीहतें राजनैतिक हो सकती हैं या सरकारी हो सकती हैं, लेकिन वे इसमें व्यस्त थे। यदि यह कहा जाय कि इसका असर नहीं पड़ा, तो यह गलत है।

Page No.59

(श्री भैरोंसिंह)

जहां तक कमियों का सवाल है, मुझे इसमें बहुत सी कमियें नजर आ रही हैं। सदन में केवल वाद-विवाद के जरिये और संशोधन प्रस्तुत करके सरकार से कोई बात मनाई नहीं जा सकती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय जहां पर सदस्यों ने जो बातें कही हैं उन पर विचार कर लिया जायगा, जिन संशोधनों की आवश्यकता होगी उन पर विचार करके संशोधनों पर भी विचार कर लिया जायगा। मैं समझता हूं यह कानून आज न बन कर १५ दिन बाद बनता है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक तरह से व्यवस्था हो जायगी। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिलको प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव रखा है उनका उद्देश्य यह हो सकता है कि हम किसी प्रकार से इसमें देरी करें। अभी जो चुनाव राजस्थान में हुआ और जिस तादाद में यह पंच चुने गये, यह हमारे लिये एक बड़े गौरव की बात है। हिन्दुस्तान की भूमि पर सबसे पहले राजस्थान में ७५,००० पंचों का चुनाव बहुत तेजी के साथ हुआ और इस चुनाव का श्रेय राजस्थान सरकार को भी है और साथ हो साथ यहां की जनता को भी है....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : ईमानदारी की बात कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन ईमानदारी और बेईमानी के बाबत बात कही जाती है वे भूल जाते हैं, उनको विचार करना चाहिये। सवाल यह नहीं है, यदि कोई आदमी तालाब में डुबकी लगाने जाता है या तैरने जाता है और डूबने लगता है तो कहते हैं कि तैरने क्यों गया था? जो तैरने जाता है वह डूब भी सकता है। यदि वह तैर कर पार हो जाय तो लोग समझते हैं कि तैराक था। राजस्थान सरकार ने कदम उठाया मजबूती के साथ और उसका परिणाम यह हुआ कि हम राजस्थान में ७५,००० पंचों का चुनाव एक ही टाइम पर कर पाये और बता पाये कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में चुनाव किस तरह से होते हैं और कितने दिनों में होते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इलेक्शन कमीशन सारे भारतवर्ष के चुनाव १५ दिनों में कराता है।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन विकेन्द्रीकरण होने के बाद छोटी छोटी पंचायतों में इतने पंचों का चुनाव कहीं नहीं हुआ और ७५ प्रतिशत और कहीं कहीं १०० प्रतिशत वोटर्स ने कहीं भाग नहीं लिया पर चुनाव जो पंचायतों के यहां पर हुए उनमें ७५ प्रतिशत और १०० प्रतिशत वोटर्स ने वोट डाले।

श्री सभापति : The time is up.

श्री अर्जुनदास : 'Impossible' is the word. 100 per cent? It means there has been impersonation.

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) कभी

(श्री मूलचन्द डागा)

कभी सही बात पर भी बौखलाते हैं तो दोष हमारा नहीं है। दोष इस बात का है कि मतदाता अब समझ चुके हैं कि हमें क्यों वोट देना है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिये कि जब ऑर्डिनेन्स निकाला जाता है और बिल के रूप में आता है तो आप कहते हैं कि इसे प्रवर समिति को सौंपना चाहिये, लेकिन हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हुए हैं उनके रूल ६३ में साफ है कि लेजिस्लेशन जल्दी बनना चाहिये और ऑर्डिनेन्स क्यों निकाले जाते हैं यह, भी देखना चाहिये। एक एक्ट में चलते चलते कुछ कमियें नजर आती हैं, जैसे कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि दफा ५ के नीचे प्रत्येक पंचायत के चुनाव के लिये इतने वार्ड बनाये जायं जितने चुनाव के लिये सुविधाजनक हों। एक ऑर्डिनेन्स निकला कि कलेक्टर की जगह सब डिविज़नल ऑफिसर हो। क्योंकि एक जिले में २००—३०० पंचायतें होती हैं, क्या यह सम्भव है कि कलेक्टर हर पंचायत में जाकर उनको वार्ड्स में विभक्त कर सकेगा? हर पंचायत में कलेक्टर नहीं जा सकेगा, इसलिये यह ऑर्डिनेन्स निकाला कि कलेक्टर या कोई गजटेड ऑफिसर यह काम कर सकेगा। एक ऑर्डिनेन्स निकाला, उसके द्वारा हम एक काम करवाना चाहते थे। फिर दूसरा ऑर्डिनेन्स निकाला, इस बात का निकाला कि हमारे यहां जो चुनाव हो चुके हैं और किसी कारण किसी पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं, तो कलेक्टर उसको नोमीनेट कर सकता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि कलेक्टर ने यह पूरी कोशिश की कि पंचायतों ने प्रपोज़ल के रूप में जिनके नाम भेजे उन नामों का स्वागत किया और जहां तक हो सका उन नामों को रख दिया।

एक बात और कही गई कि जजिया कर शुरू हो गया। मैं समझता हूँ, यह कहना अतिशयोक्ति है। कहते कहते हम भूल जाते हैं। अगर इसका एक एक क्लॉज़ पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि इस क्लॉज़ को किस रूप में रखा है। हम देश में क्रान्ति लाना चाहते हैं और हम तेजी के साथ काम करना चाहते हैं, उसमें कुछ लोग रुकावट पैदा करने के तरीके अख्तियार करना चाहते हैं। उसमें कहा है कि ग्राम पंचायत की एक मीटिंग बुलाई जाय और उसमें एक प्रस्ताव रखा जाय और उसको बहुमत से नहीं, २/३ हिस्से से पारित कर लें और उसके द्वारा अपने गांव में जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए गांव वालों को इतना श्रमदान करना होगा। उस काम को जब असली रूप देना चाहते हैं तो हम उस हालत में कहते हैं कि यह जजिया कर हो गया। एक पूरे साल में उन्होंने बतलाया है १२ डेज़। मैं समझता हूँ हिन्दुस्तान की भूमि, भारतवर्ष की भूमि में पंचायतों का जन्म एक मामले में हुआ है और शुरू से हमारी परम्परायें रही हैं कि हम पंचायतों के बनाये हुए कानून को, नियमों को, प्रस्तावों को मान लें। इन्होंने एक तरीका निकाला है कि एक साल में १२ दिन तक श्रमदान करे। यह भी दिया है कि यदि कोई आदमी अन्धा है, अपंग है, बीमार है तो उस स्थिति में उससे काम नहीं लिया जायगा। जो ऐसे लोग हैं, जिनसे शारीरिक श्रम नहीं किया जाता, जो शारीरिक श्रम करना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं, उनसे कहा जाय कि अगर तुम चाहो तो पैसा

(श्री मूलचन्द डागा)

भी दे सकते हो। यह आपके लिए जजिया कर हो गया। आज हम चाहते हैं कि नियम बनें, जीवन में डिसिप्लिन आये, अनुशासन में काम किया जाय, अनुशासन इस हद तक लगे कि वह नियम, वह अनुशासन जनता में नई नैतिकता, नया जीवन पैदा करने वाला हो। उसको जजिया कर के नाम से पुकारना बुद्धि को चुनौती देना है। आप इसको पूरा पढ़िये। यह भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस बात को सोचेगी कि कौनसा काम शुरू करवाया जाना है, जैसे गांव में सफाई का काम शुरू हो रहा है, उससे गांव की तरक्की होती है तो गांव के अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए आप कहें कि यह औरंगजेब के समय का जजिया कर है, मैं समझता हूँ कि यह प्रतिक्रियावादी ताकत है, और जनता को भुलावा देना है। इस प्रकार मेरे ख्याल से प्रवर समिति को भेजते समय यह कहा जाय कि यह जजिया कर लग गया; मैं समझता हूँ कि यहां जजिया कर का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सारे लोग सामूहिक रूप से जोश के साथ एक राय होकर, जुट कर काम को सम्पन्न कर सकते हैं। इसके अन्दर बतलाया है।

"(4) No resolution passed under sub-section (1) shall come into operation until it has been submitted, in the prescribed manner and after observing the prescribed formalities, to, and has been approved by the State Government..."

और यह भी कहा कि हरिभाऊजी साहब को समय कम मिलेगा। यदि किसी प्रस्ताव को पास करते समय चार-पांच दफा किसी मिनिस्टर का नाम लेकर ताने कस दें तो वे समझते हैं कि उनका भाषण सुन्दर हो जायगा। मैं समझता हूँ, इसमें यह सवाल नहीं है। गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनायेगी, वह कलेक्टर के जरिये से काम कराना चाहती है। ठीक है एक सही काम के लिए गवर्नमेंट नियम बना रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि गांवों में सार्वजनिक काम कैसे शुरू किये जायं, यह हो। अब आपने कहा, मानी हुई बात है, जितना हमारा रिकॉर्ड होगा, जब मुन्सिफ कोर्ट से मजिस्ट्रेटी कोर्ट में रिकॉर्ड ट्रान्सफर किये जाते हैं और उस हालत में जो दूसरा रिकॉर्ड है, वह पंचायतों में मौजूद है और जब वह ट्रान्सफर किया जाता है तो इसमें क्या दिक्कत होगी, मैं समझ नहीं सका। इसमें यह जरूर है कि इसमें कुछ बातें हमें सोचनी होंगी। लेकिन ऑर्डिनेन्स निकलने के बाद हम कहें कि प्रवर समिति में भेज दिया जाय; मैं समझता हूं कि डिस्कशन करने के लिए ठीक है कि ऐसे तरीके से हम कुछ कह दें। लेकिन इसमें कौनसी ऐसी बात है जिसके लिए कहें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है, कोई नियम ऐसा बना है, जो कानून के विरुद्ध है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। मेरे ख्याल से सारे भाषण हुए उनमें यह कहीं नहीं बताया गया कि बिल में कोई कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात हुई, कोई नियमों में कॉन्स्टिटयूशन के खिलाफ बात हुई। जो कानून है वह सारे राजस्थान के लिए है। एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि राजस्थान पंचायत एक्ट अलग बनना चाहिए और जिला परिषद् कानून अलग बनना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहिए । मैं समझता हूं कि ये दोनों बिल्कुल अलग कानून हैं, एक दूसरे का सम्बन्ध हो सकता है । राजस्थान पंचायत राज कानून है और जिला परिषद् कानून है, वे दो हैं । लेकिन कह दिया कि कानून अलग बनाया जाय । सवाल यह है कि जो कानून बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत है, अभी जो चुनाव हुए, उसके दौरान में कोई बात आपके सामने आई, उसको आपने इसमें रख दिया । यह अलग बात है कि कुछ निर्वाचन अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की, यह हो सकता है क्योंकि इतने चुनाव हुए, उनमें इतने झगड़े हुए । लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इस कानून में यह कमी है, या इस कानून में यह चीज होनी चाहिए । जो इसके अन्दर अमेंडमेंट आये हैं, उनको देखने से यह मालूम होगा कि उनमें कुछ नहीं है। तो सिर्फ इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाय जब कि जो काम हो चुका है, कर चुके हैं, जिसको लागू करना आवश्यक है, जो ऑर्डिनेन्स लागू हो गया है वह अब बिल के रूप में लागू नहीं होता तो अवैधानिक करार दे दिया जा सकता है, क्योंकि नियम यही है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहते हैं तो ठीक नहीं है । आप कोई भी क्लॉज़ ले लीजिये, जैसे क्लॉज़ ६ में सितम्बर को मुकर्रर किया गया है । अब उसके लिए कहें कि मंत्री महोदय की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में यह सवाल था, हम समझे नहीं, क्या सवाल था । इतने पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिनको वेलिड माना गया है, उन पर भी टीका-टिप्पणी हुई है, यह हो गया, वह हो गया । आखिर चुनाव होते हैं, हर तीसरे वर्ष चुनाव होंगे, उनके लिए एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह से क्या होगा ? मैं समझता हूं कि राजस्थान में हजारों रुपये, लाखों रुपये और कामों पर खर्च करें । लेकिन जो चुनाव से जागृति पैदा हुई है, चेतना पैदा हुई है, वह जागृति और चेतना और किसी काम से पैदा नहीं हो सकती। हर घर के आदमियों और औरतों ने हिस्सा लिया और जैसा मैंने कहा कि बहुत सी जगह सौ प्रतिशत वोट गिरे हैं और उससे जागृति पैदा हुई है । इसलिए मैं समझता हूं कि इसको न तो प्रवर समिति को भेजा जाय और न ही जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और यह जो बिल है, इसे पारित किया जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय सभापतिजी, मैं....

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, यह ऑर्डिनेन्स जो निकला पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में, उसके बारे में एक बिल है, जो हमारे सामने पेश है । आज हमको अधिकार है ऑर्डिनेन्स निकालने का, इसको कोई चैलेन्ज नहीं करता, यह तो अंग्रेजों के वक्त बात थी....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): हाउस को डिज़ोल्व करने का भी अधिकार है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक कानून था, जिसको काला कानून कहा जाता था । और अंग्रेज लोग, जब तक कि कोई लॉ एण्ड ऑर्डर की, एमर्जेन्सी की बात नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

होती थी, तब तक इस तरह का ऑर्डिनेन्स नहीं निकालते थे। अब जनतंत्र आ गया है, हमको एक अधिकार है और एक अधिकार मिल गया है, उसका सरकार उपयोग करती है। और फिर हरिभाऊजी, हमारे मिनिस्टर साहब, वे तो बिल्कुल एक परमहंस हैं, किसी मामले के अन्दर उनको कुछ आपत्ति नहीं है। इसलिए उनके सामने जो वक्तन—फ—वक्तन दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में उनके सामने और कोई कायदा नहीं रहा, एक अधिकार मिला है जनतंत्र में ऑर्डिनेन्स का, उसके तहत उन्होंने इस तरह के उन मौकों पर ऑर्डिनेन्स निकाले और उस अधिकार का उपयोग किया।

अब उस उपयोग के बारे में आपके सामने यह बिल मौजूद है। इस बिल को देखने से मालूम होगा कि लोगों में इलेक्शन्स की पिछली दफा कुछ तारीखें नियत हुईं और फ्लोर ऑफ दी हाउस पर यह आश्वासन दिया गया कि सब जगह इलेक्शन्स होंगे। गांव वालों ने तैयारिया कीं और तैयारियों के माने हैं आम लोगों का पैसा खर्च हुआ, डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिये गांव गांव में जो चेतना आई उसके लिये आगे बढ़ना पड़ता है तो गांव वालों को सलाह करनी पड़ती है और उस सलाह में सारे राजस्थान में मुतवातिर प्रचार हुआ और गांव वालों ने भले से भले लोगों को भेजने की कोशिश की, आपस में संघर्ष का वातावरण बना ताकि जनता के प्रतिनिधि सही तरीके से जिम्मेदारी लें। तैयारियां कम थीं, काम बहुत बड़ा था; एक मर्तबा, दो मर्तबा इलेक्शन्स पोस्टपोन हुए, फिर चुनाव सामने आये, तब हरिभाऊजी के सामने एक समस्या आई....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): On a point of order, Sir, 'हरिभाऊजी—हरिभाऊजी' न कहें, 'माननीय हरिभाऊजी' कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको एतराज हो तो मैं हमेशा १००८, श्री हरिभाऊ जी कहने को तैयार हूँ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि उनके सामने समस्या आई, और और जगहों को तो मिनिस्टर देख सकते थे पर अजमेर को कौन देखे, क्योंकि वे ठहरे पंचायत मिनिस्टर। तो अजमेर की देख-भाल कौन करे, दिक्कतें सामने आई तो अजमेर की समस्याओं को जितना वे समझते थे, दूसरा नहीं समझता, इसलिए चूंकि वे ठहरे परमहंस, उन्होंने निर्लिप्त सन्यासी की तरह, गांधीवादी की तरह फैसला दे दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए तो क्या असर हुआ, क्यों शोर मचाया जाता है, अजमेरवाले शोर मचायें नहीं, हम इस ऑर्डिनेन्स का सपोर्ट करें, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य को क्या चिन्ता है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आपसे हमदर्दी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो समस्या यह आई कि किस तरह इन चुनावों को किया जाय कि कम से कम अजमेर तो इस आग से बच जाय। क्या आप यह चाहते

Page No.64

[श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

हैं कि सारे राजस्थान का वातावरण अजमेर में भी बना दिया जाय? हम नहीं चाहते, अजमेर में जातिवाद की चर्चा नहीं, विरोध की चर्चा नहीं, वहां राजपूत का सवाल नहीं, जाट का सवाल नहीं, अजमेर तो कॉस्मोपोलिटन है, तो उसकी रक्षा करना हमारे सम्माननीय मन्त्री महोदय का कार्य था........

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : मन्त्री महोदय तो सारे राजस्थान के हैं, उन पर पक्षपात का क्यों आरोप लगाते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इतने बड़े बनने की कोशिश मत कीजिये। आप अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का ख्याल जरूर रखेंगे। वे सारे राजस्थान के हैं, पर पहले अजमेर के हैं; हम उनको छोटा नहीं बनाना चाहते। वे सारे राजस्थान के हैं, पर अपना अपना असर अपनी अपनी जगह का देखना पड़ता है। तो यह समस्या उनके सामने आई कि अजमेर को इस बम शोट से कैसे बचाया जाय......

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : दा साहब दूसरा चुनाव कोटा से लड़ेंगे।

श्री सभापति : No speculations please.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : २१६ पंचायतों के इलेक्शन्स थे, इसमें हमने इस बात की तैयारी की है कि हम किस तरह से, जो पंचायतें हमारे बस की नहीं हैं उनको डिस्टर्ब कर दें, चाहे उस पंचायत में ६ मील दूर का गांव भी मिलाना पड़े, पर जहां के पंच हमारे नहीं थे, हमें डेमोक्रेटिक सरकार चलाने का अधिकार मिला है तो हम उन अधिकारों को काम में लेकर चलायेंगे। तो हमारे सामने समस्या आई कि जो पहले के सरपंच हैं, हमारी निगाह में ठीक नहीं हैं, हमारे कहे अनुसार करने वाले नहीं हैं तो हमने उनकी पंचायत के एरिया को ही डिस्टर्ब कर दिया, चाहे वह गांव उस पंचायत से ६ मील दूर पड़ता हो, उसको उसके साथ जोड़ दिया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : असम्भवं हेम मृगस्य जन्। असम्भव बातें ही बड़े आदमियों के दिमाग में आती हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : असम्भव को सम्भव करते हैं। तब हमारे सामने समस्या आई, गांवों में चर्चा हुई तो हमने देखा कि यह सारी बीमारी राजस्थान में फैली है, डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन की जो खराबियां हैं उनसे कैसे बचा जाय। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन एक बहुत अच्छा कदम है, यह मैं ही नहीं कहता, इतिहास कहेगा कि राजस्थान ने सबसे आगे बढ़ कर काम किया। पर अजमेर की चर्चा चली है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो हमारी निगाह में ठीक नहीं थे उन सरपंचों को, उन पंचायतों को, पंचायत के गांवों को डिस्टर्ब कर दिया, हमने दोनों हाथ लड्डू रख लिये। जो पंचायतें हमारे हाथ में नहीं थीं उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया, ऑर्डिनेन्स देख लें, तरकीब की बात बताता हूँ। दोस्त डागा साहब ने कहा, ६ तारीख क्यों की जाती है? दोस्त, इस राज़ को समझना पड़ेगा, इससे शिक्षा लें। इसलिये इस राज़

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को खोल देता हूँ ताकि वक्त पड़ने पर काम में ला सकें इस तरह की तरकीब।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने मनमाने ढंग से तय किया कि कहां चुनाव कराने हैं, कहां चुनाव नहीं कराने हैं, इसका फैसला किया जिसमे कि कोई बुराइयां नहीं आयें, अच्छाइयां ही अच्छाइयां आयें। वह डेमोक्रेटिक ढंग हमने यह अपनाया कि ८६ पंचायतों को तो डिस्टर्ब नहीं किया और बाकी सब को डिस्टर्ब कर दिया। है इलेक्शन्स हो जाय बाकी रह जाय, पर एक गलती हो गई इसलिये ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा। ८६ पंचायतों में भी लोग भागने लगे। कई जगह इलेक्शन्स नहीं हुए जब कि फ्लोर ऑफ दी हाउस पर यह कहा गया था कि सब जगह इलेक्शन्स होंगे। अगर नहीं कहा हो तो हाउस में अभी इन्कार करें कि ऐसा नहीं कहा था।

पर हमको पता नहीं था कि गांवों वाले भी इतना समझते हैं। तो लाखा सरपंच है वह हाई कोर्ट में चला गया। हम हाई कोर्ट की वैसे इज्जत करते हैं, पर लैंग्वेज के लिहाज से हम सुधार कर लेते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सोचा कि यह लाखा....

एक माननीय सदस्य : यह लाखा कौन है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लाखा एक सज्जन आदमी है। श्री लाखाजी साहब हाई कोर्ट में चले गये तो यह मामला पड़ा कि लाखाजी के मन में यह डाउट क्यों पैदा हुआ? हमने फिर ऑर्डिनेन्स निकाला, हमें तो काम करना है, मजबूरी से ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा। हाई कोर्ट में लाखाजी चले गये, उसके बाद निकालना पड़ा। लॉ की या कानून की इमर्जेन्सी नहीं; लॉ की, कानून की सब परिधियों को पार करके, आप दुनिया के किसी कानून को पढ़ लें, किसी कानून की किसी सेक्शन में कहीं नहीं मिलेगा, "To remove doubt." Law must be precise & Law must be clear. लेजिस्लेचर कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। Law never comes to remove doubts.

(२ म. प)

लॉ डिपार्टमेन्ट जिसने इसको ड्राफ्ट किया वह इस बात के लिये जिम्मेदार है। इस एक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं थी। यह चुनाव पहले हो चुके थे। लॉ डिपार्टमेंट चाहता तो इसको इन्कॉम्पीटेन्ट कर सकता था। इसमें फोरसाइटेडनेस जैसी चीज को सोचा नहीं जा सकता। इसमे ऐसी बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैं यह कहूँगा कि इसमें फोरसाइटेडनेस की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन हो चुका था। आपने पहले फ्लोर ऑफ दी हाउस पर यह कहा था कि सब जगह के चुनाव कराएंगे लेकिन आपने उन लोगों के साथ फ्लोर ऑफ दी हाउस पर यह कह कर विश्वासघात किया और जो आपने किया उसे करने का आपको कोई हक नहीं था। यह जो कुछ आपने किया वह अपने हक के लिये किया न कि जनता के लिये।

श्री सभापति : No direct reference please.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Why not?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a point of information. Is it the definition of 'Param Hans' ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It hurts us and these are my feelings.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Is it pinching ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के युग में यह नहीं समझा जाना चाहिये कि भैरोंसिंहजी ने कुछ कहा है, इसलिये मैं उनका विरोध करूंगा लेकिन इसके पीछे जो कहा गया है कुछ स्कीम है। जहां अजमेर में इलेक्शन होना चाहिये, एक एक गांव में होना चाहिये, मैं यह कहूँगा कि ६ मील का एक गांव बारडोली में मिलाया है क्योंकि आपको उस एरिया को डिस्टर्ब करना था। कहा जाता है कि वहां एक मशीन लगा दी थी। मगर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने उसको डिस्टर्ब क्यों किया ? आपको उसे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत पड़ी ? अजमेर जिले की पंचायतों को क्यों डिस्टर्ब किया गया और एक दूसरे में लगाया गया ? वार्ड पहले बंधे थे। आपने उसको इसलिये डिस्टर्ब किया कि वहां के लोग वहां के पंच और सरपंच की अच्छाई और बुराइयों को अच्छी तरह से जान गये थे और इस वजह से आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। आपने वहां की कॉन्स्टिटयुएन्सीज़ को बिगाड़ दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपको ऑर्डिनेन्स लाने की क्या जरूरत थी जब कि तीन साल के लिये चुनाव हुआ था और दो साल बीत चुके थे। एक साल रहा था ? इतने अर्से के लिये क्यों डिस्टर्ब करें ? अजमेर वालों ने....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और बोलूंगा।

श्री अर्जुनदास : I press that my me should also be given to him.

श्री सभापति : Chair does not require any directions. I call upon the Hon'ble member to state whether he wants to support the motion or oppose it. The Hon'ble member should speak relevantly and clearly.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The Hon'ble member should use the Mike."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I accept the retaliation from the Chair

श्री सभापति : I am sorry. This is not the retaliation. This is only an admonition.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले में अजमेर के जिले में इसमें जो पर्पेज़ लिखा है उसमें 'डाउट' शब्द रखा है। मैं यह कहूँगा कि 'डाउट' शब्द निकाल दिया जाना चाहिये। कानून डाउट के लिये नहीं। भाषा में डाउट की क्या जरूरत है ? जो चाहे अधिकार मिले हों और जो चाहे आप करना, कर लें। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय यह बतावेंगे कि एक साल का समय है वह कब से ले रहे हैं, अब से या बाद में, इनको पूरे दो साल हो जावें। इससे अजमेर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

का तो उद्धार हो ही जावेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, अब से आपने पूरा समय रख दिया है। तीन साल और दे दिये हैं। इस तरह से पूरे चार साल हो गये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : चार साल तक मन्त्री रहेंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मन्त्री तो रहेंगे या नहीं....

श्री सभापति : Please continue your speech and finish it within two minutes.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am just finishing it.

पहले तो आपने मुझे लाइन से उतार दिया। आपने ६ तारीख चुनावों के लिये रखी थी लेकिन ६ तारीख के बाद भी १८ पंचायतें ऐसी हैं जिनके चुनाव करा दिये। अगर वे चेलेंज करें तो मैं उनका नाम बता दूं। एक-आध को तो मिनिस्टर महोदय भी जानते हैं, मगर मैं यह कहूँगा कि इसका उपयोग सिर्फ अजमेर के लिये ही किया गया है। इसलिये इसको अजमेर पंचायत समिति अमेंडमेंट एक्ट रखा जावे तो कोई अनुचित नहीं होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसके बाद मैं सबसे अपील करूंगा कि इसको पास किया जावे।

श्री सभापति : I feel that the debate on this motion is being unduly prolonged. Now I think I have the leave of the House to place limitation on the debate and I think the debate on this motion should not prolong more than 2. 45 P. M. and no speech should prolong more than 10 minutes.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : an application of closure It will be motion. You can fix the limitation for speeches.

श्री सभापति : That is in exercise of Rule 182. This is a fixation of limit on the speeches. It can be done and I think I have the leave of the House for that. The motion may be discussed till 2.45 and no future speech will exceed ten minutes.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६१ को प्रवर समिति के पास भेजने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ। अभी राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हुए। मैं यह समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ और इस प्रयोग की पवित्रता को जिस प्रकार से रखना चाहिये था वह हमारी राजस्थान की सरकार नहीं रख सकी। इससे कई गांवों में जागृति उत्पन्न हुई और दिखाई दी और कुछ नये लोगों को आगे आने का मौका मिला वहां हमारी सरकार की पार्टी है उसके कार्यकर्त्ताओं ने जा जा कर और विशेष तौर से जिनके बारे में कहा जा सकता है हमारे मंत्रियों ने जा जा कर अपनी अपनी पार्टी के लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रचार किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसकी पवित्रता को एक ऊंचे स्थान से गिराया है और अपनी नैतिकता को गिराया है। मैं समझता हूँ कि इतिहास के लिये यह एक कलंक होगा। और जिस प्रकार का विकेन्द्रीकरण करके हमारी सरकार ने कदम उठाये थे उनको गिराने वाले हमारे माननीय मंत्री रहे हैं। अगर इस सम्बन्ध में मैं मिसाल दूं तो मेरे जिले की कितनी ही मिसालें दी जा सकती हैं कि कहां कहां पर किस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने जातिवाद को प्रोत्साहन दिया; किस प्रकार से लोगों के नोमिनेशन फोर्मों को खारिज करवाया। किस प्रकार से लोगों को अपने घरों में बन्द करके रखा और किस प्रकार से उनको घुमा–फिरा कर समय पर वोट देने से वंचित रखा गया। इस सारी काली कहानी को अगर मैं यहां पर कहने लगूं तो सदन का बहुत ज्यादा समय लिया जा सकता है। उसी काली कहानी का चित्रण बहुत से माननीय सदस्यों ने रखा। सबसे बड़ी गलतियां यह हुई हैं कि समय समय पर ऑर्डिनन्स निकलते रहे और जिस प्रकार से इनकी प्रतियां भेजी जाती रही हैं उनसे बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को होता रहा है। ज्यों ज्यों जिला कार्यालयों में ऑर्डिनेन्स पहुंचते उसके अनुसार कार्यवाही वे करते।

जैसा कि सबसे पहले जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि जहां नाम बढ़वाने की तारीख का सवाल है उसके लिये अमुक तारीख मुकर्रर कर दी, उन्हीं तारीखों में नाम बढ़वा सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान जिला परिषद् एक्ट और उसके बाद में पंचायत एक्ट में जो धारा ५० या ५५ है उसके सब क्लॉज़ ४ में इस प्रकार का प्रावधान था इसके बाद कोई आदमी अपना नाम नहीं लिखा सकता लेकिन बाद में ऑर्डिनेन्स द्वारा जो टाइप हो करके सब जिला कार्यालयों में गया है उसमें वह चीज बदल दी गई जिसकी कल्पना नहीं थी। जो लोग उस स्थान पर नहीं रहते पहले इस प्रकार का प्रावधान था कि १८० दिन वहां रहना होता है उसी का नाम लिखा जायगा, उस धारा को हटा दिया गया। लेकिन इसके तहत जो नाम जुड़ाने की अवधि थी उसके कारण वहां रहना आवश्यक था लेकिन जब वह धारा हटा दी गई और उसके बाद जो ऑर्डिनेन्स आ गया कि कोई भी नाम बढ़ा सकता है उसके लिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इससे क्या हुआ जो लोग शहर में रहने वाले लोग थे वे वहां सरपंचों को लिवा ले गये और कहलवा दिया कि ये यहीं के रहने वाले हैं उनके नाम जोड़े जायं इस प्रकार नाम जोड़े गये और उन्होंने चुनाव लड़े हैं। जिन लोगों ने कभी गांव के अन्दर पैर नहीं रखा जिन्होंने नगरपालिका के चुनावों के अन्दर भाग लिया और दो महीने बाद पंचायतों के चुनाव में भाग ले लेते हैं, इस प्रकार का परिणाम इस ऑर्डिनेन्स द्वारा हुआ और जो इलेक्टोरोल में नाम बढ़ाने की बात थी उसमें भी नाम बढ़ाये गये उसके लिये यह क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि उसके लिये १८० दिन वहां रहना आवश्यक हो जो पहले इस प्रकार का प्रावधान था उसको निकाल दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो लोग शहरों में रहते हुए गांवों में गलत राजनीति का प्रचार करना चाहते हैं और अपनी सत्ता गांवों में कायम रखना चाहते

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं उनके लिये कोई न कोई समय की अवधि अवश्य निश्चित की जानी चाहिये। इस बारे में मैं दो एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारे कोटा तहसील में जब न्याय पंचायतों के चुनाव होने लगे तो कोटा के रहने वाले एक कांग्रेसी गांव में अपना नाम लिखाने के लिये, पहुंच गये न्याय पंचायत के चुनाव के दो दिन पहले पहुंच गये, जिनका वहां के इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं था वे अपना नाम लिखा लेते हैं और न्याय पंचायत के चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार कई दूसरी तहसीलों में भी हुआ है। इस ऑर्डिनेन्स के क्लॉज ५ में जब कि इस प्रकार का लिमिटेशन नहीं हुआ हर आदमी नाम बढ़ा सकता है तो उसमें किसी आधार की जरूरत नहीं। इस प्रकार ऑर्डिनेन्स का निकाल देना बिना किसी आधार को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। हो सकता है इससे कुछ लोगों को राहत मिल जाती हो और वे इसका नाजायज तरीके से लाभ उठा सकते हैं और इसका लाभ ज्यादातर कांग्रेसियों ने ही उठाया है, चूंकि वे यह समझ कर कि उनका प्रभाव कलेक्टर्स पर है, वे, अपना नाम किसी प्रकार से उसमें एड करवा लेंगे। उन्हीं लोगों ने, उस गुट के लोगों ने इसका फायदा उठाया है और लोगों को तो इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स की कल्पना तक नहीं थी उनका फायदा उठाना तो उनके लिये दूर रहा। इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये यह नहीं कि ऑर्डिनेन्स निकाल दिया है इसलिये हमें इसको पास करना ही होगा। यह एक गंभीर मसला है। इसके अलावा समय की अवधि अवश्य निश्चित की जानी चाहिये ताकि ग्राम में काम करने वाले ही लोग चुनाव में खड़े हो सकें, वहां के जो सच्चे सेवक हों वे ही लोग सामने आ सकें। जिन लोगों का कभी गांवों में पता नहीं था वे आकर के इस प्रकार से गलत राजनीति में, गन्दी राजनीति में गांव के लोगों को डाल देते हैं, इसको रोकना चाहिये। इससे नुकसान होता है गांव वालों का। वहां गन्दी राजनीति का प्रचार होता है इसको हमें रोकना चाहिये। इससे यह भी होता है कि गांव का समुचित रूप से विकास नहीं होता, वे वहां के विकास में रुचि नहीं लेते हैं केवल सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिये वे ऐसा मार्ग अपनाते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

क्लॉज ७ के पार्ट फोर्थ में ग्राम पंचायतों के सरपंच किस प्रकार से प्रधान बन जाते हैं वहां पर चुनाव कराने की आवश्यकता रखी है, उसमें लिखा है:

"If an Up-Sarpanch represehting under clause (iii) of sub-section (3) a panchayat on the panchayat samiti concerned as a member of the latter is elected Pradhan of that panchayat samiti under the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 (Rajasthan Act 37 of 1959) such Up-sarpanch shall, as frcm the date of such election, cease to be the Up-Sarpanch of the panchayat and fresh elections to the office of the Up-Sarpanch of that panchayat shall be immediately held".

यह एक ऐसी चीज़ है कि सरपंच जो कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पंचायत का सरपंच या प्रमुख बन जाता है वह उप सरपंच को रिप्रेजेन्ट करता है वैसी हालत में उप सरपंच को प्रधान बनने का मौका नहीं मिल सकता। तभी वह रिप्रेजेन्ट कर सकता है जब कि प्रधान सरपंच बन जाता है। फिर उप सरपंच के बनने का मौका कब आता है यह एक इर्रिलेवेन्ट क्लॉज रखा गया। उप सरपंच किसी भी रूप में प्रधान नहीं बन सकता जब तक कि सरपंच उप सरपंच को रिप्रेजेन्ट करता है। उप-सरपंच प्रधान तब बनता है जब कि सरपंच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आता है। उसमें उप-सरपंच की क्या स्थिति होती है, जल्दी से हमें किसी चीज पर विचार किये बिना कदम नहीं उठाना चाहिये। यह तो हमें देखना चाहिये कि उप सरपंच किस प्रकार से प्रधान बन सकता है उप-सरपंच तो पंचायत समिति में रिप्रेजेन्ट कर सकता है इसलिये यह इर्रिलेवेन्ट रखा गया है इसको हटा देना चाहिये।

इसी तरह से जब हम कानून को बनाने जा रहे हैं, वहां नीति सम्बन्धी बात हो वहां हमारे दा साहब को जरूर विचार करना चाहिये। आप जहां अपने आपको गान्धीवादी मानते हैं, मैं तो अपने आपको न गान्धीवादी मानता हूँ और न समाजवादी, मेरा यथार्थ में विश्वास है मैं यथार्थ को देखक कर ही चलने की कोशिश करता हूं। आज के इस युग में जो बेगार प्रथा पहले प्रचलित थी राजाओं के समय में उसके खिलाफ बहुत आन्दोलन हुये हैं। बड़े बड़े साहित्यकारों ने इस पर बड़े बड़े साहित्य रचे हैं, बेगार प्रथा का बहुत सजीव चित्रण उनके साहित्य में हमें मिलता है। दा साहब जो गान्धीवादी हैं वे जहां हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं तो जहां श्रमदान का प्रश्न आता है, वहां हमें हृदय परिवर्तन के बाद ही उन लोगों से श्रम लेना चाहिये। इसके बारे में लोगों में दिलचस्पी पैदा करनी चाहिये। यह काम आप कानून के जरिये करना चाहते है वह कानून के जरिये नहीं हो सकता। विकास खंड जितने बने हुए थे पहले वहां विकास अधिकारी जनता से श्रमदान नहीं करवा सकते थे इसलिये जनता के नुमायन्दों को चुनकर रखने का प्रावधान किया। हम कानून के माध्यम से किसी को श्रम करने के लिये प्रतिबन्धित नहीं कर सकते कि उसको बारह दिन काम करना पड़ेगा। आखिर जहां तक इस प्रकार के श्रम करवाने की आवश्यकता होती है वहां कानून के भय से वह पूरी नहीं होती उसके लिये प्रचार की आवश्यकता है। अगर हम कानून से इस प्रकार प्रतिबन्धित करते हैं तो यह संविधान के विरुद्ध होगा जिसमें हरएक आदमी को स्वतन्त्रता दी हुई हैं, विचार करने की स्वतन्त्रता है, श्रमदान के नाम पर किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना कम से कम, आज के युग के तो अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार से प्रावधाम रखते हैं कि १२ दिन काम करना पड़ेगा, जो आदमी अपनी आत्मिक प्रेरणा से काम करवा हैं वह इस प्रकार से नहीं करेगा। इससे जनता में विरोधात्मक भाव भी इस प्रकार के होंगे कि वह जनता में एक प्रकार से अकर्मण्यता पैदा करेगा, जनता में आलस्य की भावना पैदा करेगा। इस प्रावधान से एक गलत प्रभाव पैदा होने वाला है। यह गांधीवादी नीति के खिलाफ है, हृदय परिवर्तन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से, मेल–मिलाप से और अच्छे बर्ताव से, कन्धे से कंधा बढ़ा कर यदि सरपंच चलेगा तो उससे जनता आगे आ सकती है। हरएक व्यक्ति आज चाहता हैं कि उसके गांव की तरक्की हो। आज जनता जाग चुकी है। हम हमारे श्रमदान, मेहनत और पैसे से जनता का काम कर सकते हैं।

(घंटी)

इसलिए इसमें जो इस प्रकार की क्लॉज़ रखी गई है वह गलत है और उसको हटाया जाना चाहिए।

जो मसला मैंने आपके सामने रखा है उसको आसानी से नहीं टाल सकते हैं और उस पर विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये।

कई माननीय सदस्य : माननीय सभापतिजी

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल के प्रथम वाचन पर कई माननीय सदस्यों ने यह बताने की कोशिश की है कि उनको चुनावों के क्या क्या अनुभव हुए हैं। लेकिन उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है।

राजस्थान सरकार ने पंचायतों के जनरल इलेक्शन करवा कर जो कार्य किया है वह बड़ा प्रशंसनीय है वरना ऐसी स्थिति थी कि कोई दूसरी सरकार होती तो ऐसे मौके पर चुनाव नहीं कराती और उनको वह स्थगित कराती रहती। इस दृष्टिकोण से भी यह प्रशंसा की बात है।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने और खास कर विरोधी दल के सदस्यों ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि सरकार के कर्मचारियों ने पंचायत के चुनावों में सरकार का साथ दिया है और इस तरह से पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष नहीं हुये हैं। माननीय सभापतिजी, मुझे इन पंचायतों के चुनावों में काफी काम करने मौका मिला है और मैंने यह प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि सरकार की सर्विसेज़ ने गत दो आम चुनाव कराये थे और जो अनुभव उनको उन चुनावों का हुआ था उस अनुभव के आधार पर उन्होंने पंचायतों के चुनाव भी कराये थे जब कि ये चुनाव उन चुनावों के बनिस्बत अधिक कॉम्पलीकेटेड थे और काफी खर्चीले भी थे। फिर भी उन्होंने निष्पक्ष रूप से चुनाव कराये। वे भी प्रशंसा के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मुद्दा जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कहा गया है वह यह है कि वार्ड बनाने के लिए अधिकार कलेक्टर को पहले दिया गया था उसको देने के बजाय अब कलेक्टर जिसको मुकर्रर करेगा उस गजटेड अधिकारी को दिये जावेंगे उससे अन्याय होगा और प्रेशर पोलिटिक्स काम में लायी जायगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कि इस पर आपत्ति उठायी हैं नियमों को देखा होता तो उनको विदित होता कि वे स्पष्ट हैं और उनमें साफ लिखा है कि जो वोटर्स लिस्ट है

(श्री मोहनलाल भटनागर)

उसमें न्युमरिकल के हिसाब से सीरियल बेसिस पर जैसे १ से १०० तक एक वार्ड और १०० से २०० तक दूसरा वार्ड होगा। इसके पश्चात् उसमें कोई लेकुना नहीं रहता है और कोई शंका नहीं रहती है कि नीचे के कर्मचारी उनका गलत उपयोग करेंगे। कलेक्टर के पास तीन सौ, चार सौ पंचायतें होती है और उन सब के वार्ड बनाना और जो इलेक्शन में कार्य उनके द्वारा किये गये थे उनमें जो उनको अनुभव हुए हैं उनके आधार पर उनके द्वारा मातहत अधिकारियों को इसके लिए अधिकार दिया जाना उपयुक्त है, वाजिब है और कोई इसमें शंका की गुन्जाइश नहीं है।

सभापति महोदय, इस बिल के बारे में एक बात फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही जो धारा पहले के बिल में थी कि उसके अनुसार पंचायत की अवधि मीटिंग में आने के दिन से गिनी जाती थी और अब अपोइन्टेड डेट से की जा रही है उससे खतरा है। इस सम्बन्ध में मैं, माननीय सभापतिजी निवेदन करूंगा कि यह इसलिए था कि सरपंच पंचायत समितियों के सदस्य होने जा रहे थे और पंचायत समितियां काम करने वाली थीं; इस दृष्टि से यह जरूरी था। अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों में चुनाव हुए हैं, उनका कार्यकाल भी निश्चित रूप से एक साथ शुरू हो इसलिए, यह जरूरी था।

एक खास बात क्लॉज़ ७ के बारे में कही गई थी। उसमें यह बात कही गई है कि पहले सरपंच था, प्रधान हो जाता था, सीट वेकेन्ट नहीं समझी जाती थी। अब उप-सरपंच सरपंच का कार्य करता रहेगा जब तक वह प्रधान या प्रमुख रहेगा। इसमें कई माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरपंच या प्रधान होता है तो इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटस नहीं होता है, उसको सरपंच पद से हटा देना या उससे उसका सम्बन्ध न रखना ठीक नहीं होगा। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दलील दी कि उप सरपंच प्रधान बन जाय। यह स्थिति नहीं बन सकती है। सरपंच प्रमुख बन जाता है तो उप-सरपंच प्रधान बन सकता है।

श्रमदान के बारे में विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। पंचायतों का निर्माण किया गया वह विकास के लिए किया गया। विकेन्द्रीकरण के बारे में जनता में काफी उत्साह हमने देखा है और लोगों ने गांवों में श्रमदान से कार्य भी किये हैं। लेकिन फिर भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें यह देखना है कि गांवों में जो जन-शक्ति बन्द पड़ी हुई है, जो उनमें श्रम अथवा शक्ति है, जिनके पास तीन चार महीने तक या तो कुछ काम रहता है या खाली रहते हैं, उनकी शक्ति को गांव के उत्थान के कार्यों की ओर लगाया जाय। जो भी कार्य होंगे वे गांव के लाभ के लिए होंगे, गांव की भलाई के कार्य ही उनसे कराये जावेंगे। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको जजिया कर बताया, किसी ने इसको बेगार बताया। इस कार्य में और उसमें बड़ा अन्तर है। पहले जो कार्य होते थे, वे केवल एक व्यक्ति; राजा, महाराजा या जागीरदार के लाभ के लिए होते थे। अब जो कार्य होंगे वे जनता की भलाई के लिए होंगे, गांव की भलाई के लिए होंगे। सामाजिक और आर्थिक क्रांति जो आज गांवों में लाना

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चाहते हैं इसके द्वारा वह निर्माण होगी । १२दिन सालभर के लिए लेना चाहते हैं । उसके लिए भी राइट्स रखे गये हैं । जो पंचायत श्रमदान द्वारा काम कराना चाहेगी उसको दो–तिहाई मत से एक प्रस्ताव पास करना होगा । सोच समझ कर ही यह होगा । आखिर उनको भी दुबारा चुनाव करना है । इसको वैसे ही पास नहीं करने वाले हैं । इस पर पहले वे सोचेंगे कि इससे जनता में कितना उत्साह है, कम से कम विरोध करने वाले लोग होंगे तब ही इसका उपयोग होगा । फिर यह प्रस्ताव सरकार के पास जावेगा, उसको देखते हुए सरकार सोचेगी । जो बेकार हैं, पूवर हैं और अन्धे हैं उनको काम नहीं दिया जावेगा । ऐसे अच्छे कार्यों का विरोध करना ठीक नहीं है ।

एक बात माननीय सभापतिजी, इस मौके पर जरूर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि धारा १२ में संशोधन लाया गया है । यदि माननीय मंत्री महोदय सोचने की कोशिश करते कि जो पंचायतों के चुनावों में खर्चा हुआ है वह आम चुनावों के खर्च के मुकाबले में अधिक हुआ है । फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम रखा है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो खर्चा हुआ है वह पंचायतों से वसूल होगा । जो उनको, पंचायतों को मदद सरकार की ओर से दी जा रही है उसमें से वसूल होगा । आज पंचायतों को यह शंका है कि कौन सा खर्चा वसूल होगा। यह स्पष्ट है कि सरकार के कन्सोलिडेटेड फन्ड से यह खर्चा नहीं होगा, बल्कि आर्थिक मदद दी जा रही है पंचायतों को वह उसमें से वसूल होगी । काफी खर्चा कर्मचारियों के भत्ते आदि में हुआ है और यह पंचायतों के ऊपर डालना बड़ा कष्ट-दायक होगा, इससे पंचायतों के ऊपर गहरा भार पड़ेगा । छोटी २ पंचायतें हैं; कागज़ कलम नहीं है, दूसरी चीजें नहीं हैं, जिनका कार्य भी नहीं चला है । जो कुछ राज्य सरकार की ओर से उनको आर्थिक सहायता मिलती उससे वह कार्य करती, इससे तो उनके इस कार्य में भी रुकावट होगी । यह सोचने की बात है । यह भी देखना होगा कि दफा १० को चेन्ज कर रहे हैं । माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पांच साल की अवधि पूरी देते तो खर्च में काफी कमी होती । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पंचायत एक्ट में अमेन्डमेंट किया जा रहा है और जो बिल पेश किया गया है उसमें सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूँ ।

जहां तक इसके अन्दर बहुत से क्लॉज़ेज़ हैं उनके सम्बन्ध में वाद-विवाद हो चुका है ।

मैं इस सम्बन्ध में अधिक विवाद नहीं करना चाहता । मैं तो मूल–भूत बुनियादी बात, जो मैं समझता हूँ वह यह है कि हमारा मुल्क आज समाजवादी समाज रचना के सिद्धान्त पर चल रहा है और इसी को हमने स्वीकार किया है । प्रजातन्त्री सोशलिज्म को स्वीकार किया है । इस दृष्टि से भी हमें इस मुद्दे पर सोचना चाहिये । दिखने में बात बहुत छोटी दिखती है, पर सिद्धान्त की दृष्टि से बात बड़ी

(श्री मुरलीधर व्यास)

महत्व की है। हमने अनिवार्य रूप से बारह दिन का श्रम रखा है। बात छोटी सी है पर आखिर ये परिस्थितियां हमारे सामने क्यों पैदा हुई ? यह जनता में स्वत: प्रेरणा से आना चाहिये, वह क्यों नहीं आया इसी को लेकर हमने विकेन्द्रीकरण की योजना बनाई ताकि लोग स्वयं काम कर सकें, पर इस प्रावधान से यह मालूम पड़ता है कि आपकी योजना में कहीं खामी है। लोगों में अभी स्वत: काम करने की प्रेरणा नहीं आई। यह कानून संविधान के द्वारा दिये गये मूलभूत अधिकारों का हनन है। एक ओर कहते हैं, काम करे कोई या न करे, उसकी स्वतन्त्रता में कोई दखल नहीं दिया जावेगा, दूसरी तरफ आप कानून के द्वारा उससे बेगार लेने की बात कहते हैं। यह हमारे मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। यह तो हमने चीन की शासन व्यवस्था के पदचिन्हों पर चलने जैसा काम किया है। वहां साम्यवादी व्यवस्था है जहां उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हरएक व्यक्ति को इस प्रकार का श्रम करना ही पड़ेगा, पर उन्होंने भी अपनी व्यवस्था इस प्रकार रखी है और इसके साथ साथ यह माना है कि हम लोगों को काम के साथ रोटी भी देंगे। पर इस माने में आप उससे भी आगे बढ़ गये। आप काम लेंगे, जबरन लेंगे, और रोटी की भी गारन्टी नहीं करेंगे। आखिर वह काम करेगा तो उसको रोटी भी चाहिये। एक ओर तो वे बेकार बैठे हैं, रोटी रोजी नहीं है। वहां आप काम देना चाहते नहीं, देना चाहते हैं तो रोटी देना नहीं चाहते। काम लेना चाहते हैं। यह तो चीन की साम्यवादी नीति के भी खिलाफ है। न जाने हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। मैं इसके विरोध में नहीं कि मुल्क की खिदमत के लिये श्रम किया जाय पर इसकी सख्त खिलाफत करने वाला हूँ कि जब हम जनतान्त्रिक समाजवाद की बात करते हैं तो उसे श्रम के बदले में रोटी भी देना नहीं चाहते। बल्कि नहीं काम करेगा तो उल्टा जुर्माना और करेंगे। मैं कहता हूँ तुमने मूलभूत नीति को ठोकर मार दी है। नया ही समाजवादी रास्ता अख्तियार किया है। आने वाला जमाना कहेगा कि इससे तो चीन का समाजवाद अच्छा है। रोटी रोजी तो देता है। रोटी भी देना नहीं चाहते और जबर्दस्ती से काम लेना चाहते हैं। कौन स्वीकार करेगा ? गंगानगर का इलाका है। तीन रुपया, चार रुपया रोज की रोजी एक मजदूर कमा लेता है। अब जिस दिन वह वहां रोजी पर जावे उसी दिन उसे कह दिया जावे कि तुम श्रमदान करो। नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा। अब वह काम भी करेगा और रोजी भी नहीं मिलेगी उधर काम करने जावेगा तो जुरमाना के रूप में दे देगा। यह कौनसा कानून है जो आप बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार का कानून जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का हनन करता है जनतान्त्रिक समाजवाद का मखौल है। आप ऐसा करके गांधीवादी बात भी मानते हैं या नहीं इसमें भी शंका है। मैं इसे छोटी बात नहीं मानता। मैं सिद्धान्त की बात पर सोचता हूँ। जो सरकार दस साल तक लगातार शासन करती रही, विकेन्द्रीकरण की योजना स्वीकार की तब भी आपने स्वत: काम करने की प्रेरणा लोगों में नहीं पैदा की। तो प्रार्थना करता हूँ कि यह बुनियादी सवाल है। संविधान में जो राइट दिया है उसको आप कुचलते हैं और जस जनतन्त्र की बुनियाद पर आप बैठे हैं

Page No.75

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसको आप अपने हाथों से गिराना चाहते हैं। इन कारणों से मैं कहता हूँ कि इसे प्रवर समिति को दिया जावे। यह बुनियादी मुद्दा है। प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति : I think we had decided earlier that the debate should not proceed beyond 2. 45.

हमने तय किया था कि इस मोशन पर बहस २.४५ के बाद न चले। मैं सोचता हूँ, यह ठीक है। क्या सदन की इच्छा है कि डिबेट इस मोशन पर पन्द्रह–बीस मिनिट और चले। Is it the sense of the House.

(स्वीकृत)

Yes, Shri Narayan Singh.

श्री नारायणसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कितने मिनिट ?

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय....

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : हम इस 'बेगार' का जवाब देना चाहते हैं। हमें भी बोलने का मौका दिया जावे।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर) : जब अनुसूचित जाति की ओर से बोलने को खड़े होते हैं तो उनको समय नहीं दिया जाता। उनको भी समय देना चाहिये।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : सदन में बार बार मौके आते हैं तो हमें समय नहीं मिलता। मैं आठ–दस बार खड़ा हुआ हूँ दिन भर में।

श्री सभापति : सदन में विरोधी दल और सरकारी दल का अनुपात एक और दो का है इसलिये दो स्पीकर्स जब इधर से बोलते हैं तो एक को उधर से बोलने का अवसर दिया जाता है।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का जो माननीय डॉक्टर बहादुरसिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं इसका समर्थन खास इसी मन्शा से करता हूँ, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने यहां कहा था कि पंचायत समिति और जिला परिषद् का एक्ट अलग है, उसको कार्य–धारा अलग चल रही है, उसके संशोधन अलग हैं और पंचायत एक्ट अलग चल रहा है और उसके संशोधन इत्यादि अलग चल रहे हैं, इसका समन्वय होना आवश्यक है। मैं इसकी ताईद करता हूँ। अब वह समय आ रहा है जबकि इसका समन्वय होना चाहिये क्योंकि वास्तव में विकेन्द्रित पद्धति में जनतन्त्र को स्थापित करने में आज इसका एक कन्सोलिडेटेड कानून हमारे सामने हो, यह आवश्यक है। लेकिन इसकी एक भूमिका थी। हमने भारतीय संविधान में एक विचार-धारा पंचायत राज्य स्थापित करने की रखी और उसके बाद बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई जिससे हमें एक प्रेरणा मिली

(श्री नारायणसिंह)

और एक विचार पैदा हुआ कि किस प्रकार यह पंचायत राज्य बन सकता है और उसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने थ्री टायर सिस्टम सोचा और पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून लाये। तो इस भूमि का में यह स्वाभाविक था कि यह कानून दोनों एक साथ नहीं चलते। लेकिन यह आवश्यक है कि यह हमारे विचाराधीन है। इसके अलावा जो तीन खास बातें हमारे सामने आती हैं इस कानून पर विचार करते हुए वह खास एक कानून का स्वरूप कानून का जो बुनियादी आदर्श है दूसरी बात यह होती है कि कानून का कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है। हम मानते हैं और जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया कि जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने किस प्रकार से पक्षपात की नीति बरती या जो ऑर्डिनेन्स बार बार जारी हुए वह किस प्रकार से बीच बीच में चुनावों के प्रोसिजर को दखल देते थे अथवा कलेक्टर ने कुछ रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये वह उपयुक्त थे या नहीं, ये सब बातें हमारे सामने आती हैं और कुछ ऐसी बातें आती हैं कि कहीं चुनाव हुए, कहीं नहीं हुए। लेकिन जिस तत्परता से हमें इस विकेन्द्रित पद्धति के शासन को यहां पर स्थापित करना चाहिए था उसको देखते हुए दूसरा चारा नहीं रह जाता था और हमें यह देखना पड़ेगा कि कानून का प्रयोग उस समय तक नहीं हुआ था और इतने विशाल रूप में एक चुनाव होने वाला था तो उसमें कई गड़बड़ियां हमारे सामने आ सकती थीं। आज भी अभी कोटा में पी० सी० सी० का अधिवेशन हुआ था उसमें यह निश्चित किया कि इसका वर्किंग किस प्रकार का हो। उसको शुरू किया जाये, यह बात आगे की रहती है उसके लिए हम जागरूक हैं। लेकिन इसके अन्दर कोई संशय नहीं है कि जन जागरूकता इसमें कितनी थी। अब रहा सवाल यह कि रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, क्या नहीं किया और किस प्रकार नामजदगी के पत्रों को खारिज कर दिया, यह बात दूसरी है। हमारा राष्ट्रीय मानस ज्यों ज्यों बनता जायगा, ज्यों ज्यों जनता में शिक्षा और जागरूकता आयेगी यह स्वतः लगाम में आ जायेगा और सब चीजें हल हो सकेंगी। लेकिन एक दम इसके लिए किसी कानून या पद्धति को गलत कहना शुरू करें तो वह उचित नहीं होगा। इसके साथ ही साथ यह भी जिक्र हुआ था कि कहीं पर कुछ पंचायतों का चुनाव करा दिया गया और कुछ नहीं कराया गया। ऐसा कुछ दिखाया गया कि जैसे उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ थे। जहां तक मैं समझ पाया हूँ उसमें कोई निहित स्वार्थ का सवाल नहीं आता है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की थी कि ६ सितम्बर, १६५६ ही किसी मन्शा से रखी गई है। वास्तव में ६ सितम्बर, १६५६ ही के दिन पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम को लागू किया गया था और यह स्वाभाविक ही था कि वह तारीख निश्चित होती और इसके बाद अब जो दूसरा प्रश्न इस जल्दबाजी में आ जाता था वह यह था कि कुछ पंचायतें जहां उस समय नहीं थी वहां उनके क्षेत्र का गठन किया जाकर बनाई गई। वह उस समय चुनी गई और उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून पास होते ही जो थ्री टायर सिस्टम का स्वरूप

(श्री नारायणसिंह)

था और वह काम में आया। अब कुछ पंचायतें ऐसी पुरानी रह जाती थीं जिनकी अवधि एक साल से अधिक आगे बढ़ चुकी थी और राज्य सरकार को एक साल से अधिक अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं था। तो उसको ठीक करने के लिए दूसरा संशोधन यह लाना पड़ा कि ३१ दिसम्बर तक सब पंचायतें बाकायदा रहेंगी। यह केवल उसी मन्शा से किया गया कि इस नई विधि के विकेन्द्रित जनतन्त्र को जल्दी से जल्दी स्थापित करना था और उसका प्रयोग देखना था। तो ये सब चीजें की गई और पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद जब ३१ दिसम्बर तक जिन पंचायत समितियों की एक नये संशोधन द्वारा अवधि बढ़ाई गई थी उनकी अवधि खत्म हुई, तो वहां चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन वहां ऐसा प्रश्न उठा कि जहां आधी पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं तो आधे में क्यों नहीं हों ? तो जहां तक मुझे मालूम है इस विषय में सरकारी स्तर पर भी और दूसरे स्तर पर भी काफी विचार हुआ और यही निष्कर्ष निकला कि जो पंचायतें ६ सितम्बर, १९५९ को चुनी जा चुकी है उनकी तीन साल की अवधि में कमी नहीं की जा सकती। यह एक सारी कानूनी व्यवस्था की बात है, ज्युरिस्प्रुडेंस की, और यह एक कान्स्टीट्यूशनल बात है कि ३ साल की अवधि किसी चुनी हुई व्यवस्था के लिए कर दी गई तो उसमें एक्सटेन्शन तो जगह जगह पर कानून में करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन उनकी अवधि को करटेल करने का या कमी करने का कहीं हमें अधिकार दिया गया हो ऐसा नहीं दिखता। तो कई सलाह मशविरे के बाद यह मालूम पड़ा कि जो ३ साल तक चुन ली गई हैं उनमें ३ साल के पहले करटेलमेन्ट किया जायेगा, उनकी अवधि को घटाया जायेगा तो फिर हाईकोर्ट का मसला खड़ा हो सकता है और लोग उसके लिए रिट इत्यादि कर सकते हैं। इसलिए इस बात की पूरी जांच करके ही....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर—सु०) : माननीय सभापति महोदय या तो समय बढ़ाया जाये या फिर माननीय सदस्य को हिदायत दी जाये कि वे अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री नारायणसिंह : तो सभापति महोदय, इसी आशय से उनकी अवधि नहीं घटाई जा सकी और वहां चुनाव नहीं हो सके। अब इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न आये कि डीलिमिटेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई या लोगों के रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं आये ; वस्तु स्थिति मुझे मालूम है, यह हुआ कि सब पंचायतों से सुझाव लिए गए....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप यह बतायेंगे कि वहां पर कौन कौनसी पंचायतें....

श्री सभापति : No direct references, please. You should address the Chair on a point of information or on a point of clarification-

श्री नारायणसिंह : सभापति महोदय, मेरी जितनी जानकारी है उसी के अनुसार अर्ज कर रहा हूँ। उसमें गलती भी हो सकती है। तो सुझाव लिए गए, उसके बाद सारे

Page No.78

(श्री नारायणसिंह)

सुझाव पंचायतों से बन कर समितियों के पास आये और समितियों ने जिला परिषद के पास भेजे और जिला परिषद में सर्व–सम्मति से कुछ सुझाव पास हुए रीऑर्गेनाइज़ेशन के और फिर उसके बाद चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट और डिवीज़नल कमिश्नर, जनरल डेवलपमेन्ट पंचायत कमिश्नर की कमेटी बनाई जाकर उनसे एग्ज़ामिन हुए और उसके बाद भी जो जायज़ तौर से ऑब्जेक्शन का समय था वह दिया गया और उसके बाद जो कुछ स्वरूप बना वह समक्ष आया। अब मुमकिन हो सकता है इस सारी कार्यवाही में त्रुटियां रही हों, कहीं गजट का इनफॉर्मेशन देर से पहुंची हो क्योंकि मेरे ध्यान में कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि गजट में इन्फॉर्मेशन जो

(३ म. प.)

ऑब्जेक्शन्स आदि के लिये थी वह गांवों में देरी से पहुँची। यह अक्सर कई बार हो जाता है कि हमारे यहां से कुछ ढिलाई रह जाती है जिससे प्रेस यथा समय सूचना गजटेड करके प्रसारित नहीं कर पाती अथवा यों कहा जाय कि सारी सूचना साधन, सुलभ नहीं होने से नहीं पहुँच पाती या अशिक्षित होने से सब लोग नहीं जान पाते। शहरों की बात और है लेकिन गांवों में शिक्षा का अभाव है इसलिये सही तरीके से उनके पास पहुँच जावे इसकी संभावना कम है। सब बातों को अलग रखते हुए मुझे जानकारी है कि सारी चीजों में ऑब्जेक्शन्स इत्यादि के बारे में, रिऑर्गनाइज़ेशन के बारे में की गई ऐसा प्रतीत होता है।

इसके अलावा कुछ और भी कमियें बताई गई। इस विषय में माननीय पी० के० चौधरी ने कहा कि वार्ड्स आदि के डिमार्केशन के लिये कलेक्टर्स के पास अधिकार रहने चाहिये और उन्हें डेलिगेट करने का अधिकार होना चाहिये, सबॉर्डिनेट गजटेड ऑफिसर्स हैं उनको पॉवर डेलिगेट करनी चाहिये। इस प्रकार की बात भी कही गई कि रूल्स पहले बन जाते हैं और कानून बाद में बनता है। तो मैं मानता हूँ कि ये इर्रेगुलेरिटीज़ हैं वे जिस जल्दबाजी से और द्रुत गति से करना चाहते थे उस वजह से हुई। जो ऑर्डिनेन्सेज़ थे वे साधारणतया केवल ऑर्डिनेन्स के रूप में आये लेकिन हमको जल्दी थी। हम विकेन्द्रीकरण की पद्धति को लागू करके परिणाम देखना चाहते थे इसलिये ऑर्डिनेन्स लागू करना जरूरी था। त्रुटियां रहना जरूरी है क्योंकि इतनी तत्परता हमारे प्रशासन में आई या नहीं, तो इसमें इधर उधर की देरी हो सकती है लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ प्रयास हुआ वह वाकई प्रशंसात्मक था। इसको लागू करने में कितनी उतावली थी इसकी प्रशंसा करूंगा क्योंकि सारा भारतवर्ष इस जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को उत्सुकतापूर्वक देख रहा था, वह किस प्रकार से प्रयोग में आता है और कितना जन प्रयास हुआ यह इससे मालूम होता है कि ७०–७५ प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। राज्यपाल के भाषण में भी इसका जिक्र किया गया था कि ७०–७५ प्रतिशत लोगों ने इसमें भाग लिया। इतना भाग जनरल चुनावों में भी नहीं लिया जा सकता। इससे मान सकते हैं कि इसमें जन–प्रयास कितना रहा है।

अब मैं एक बार और ताईद करूंगा कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय। केवल मात्र प्रवर समिति को रेफर करके ही सन्तुष्ट हो

(श्री नारायणसिंह)

जाते हैं तो काफी नहीं है और भी बातें देखनी पड़ेंगी। शिकायतों के बारे में किस प्रकार से इन्क्वायरी बैठा सकें। जैसा कि एक सदस्य ने कहा था कि चुनाव आयोग जैसी बोडी बैठावें, इस बारे में सरकार विचार कर सकती है। जल्दबाजी में पास न करें और विचार करें कि किस प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद कानून में और पंचायत कानून में सामान्यता निर्धारित की जा सके और एक खाका बना कर राज्य के सामने रखें और जो कुछ प्रयोग हुआ उन प्रयोगों के आधार पर, और भी स्टडी की जा सकती है और उसके बाद एक संगठित कानून के रूप में सदन के सामने लाया जा सकता है और सब चीजों को ध्यान में रख कर लाया जा सकता है।

मैं एक बात और कहूँगा और वह यह कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में गलतियां रहें तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनसे विषयान्तर करके कानून पर आक्षेप करने लग जांय तो गलत रहेगा। कई बार जनरल निर्वाचन के समय भी रिटर्निंग ऑफिसर आदि से भी गलती हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए न्यायालयों के साधन हैं उस ढंग से ठीक किया जा सकता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : माननीय सभापति, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६१ है, मैं उसका विरोध करता हूँ....

श्री सभापति : देखिये, आपको इस मोशन पर बोलना है जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं निवेदन करूं....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : विरोध किसका कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आप विरोध किसका कर रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : आज हमारे ग्राम....

श्री सभापति : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आप विरोध किसका कर रहे हैं, मूल बिल का ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूँ।

श्री सभापति : इस समय जो बहस चल रही है वह इस पर चल रही है कि आया इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या नहीं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : इस समय बहस चल रही है, मूल प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : The member is so far speaking on the amendment.

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापतिजी, जब हमारे सामने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न आया तो हमारे यहां ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। मैं निवेदन कर रहा था, मेरी समझ में नहीं आया, हमारे

(श्री हरिप्रसाद यादव)

सामने पूरे अमेन्डमेन्ट पर बहस हो रही है या अजमेर की बातों पर। अजमेर के सभी सदस्य टकटकी लगा कर सभापतिजी की तरफ देख रहे थे। यह हालत अजमेर की ग्राम पंचायतों में क्यों हो गई ? मैं मानता हूँ कि इस मोशन को रखने वाले और इस पर बहस कराने वाले वित्त मन्त्रीजी या पंचायत मन्त्री महोदय गांधीवादी हैं, दा साहब के गांधीवादी होने के पश्चात् कहीं ऐसा नहीं रह जाता। हमारी ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मतदान ७५ प्रतिशत हुआ। जब ७५ प्रतिशत लोग बूथ पर आकर पंचायत का चुनाव कराते हैं तो हम इससे सन्तुष्ट हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि पंचायत मन्त्री गांधीवादी होते हुए, राष्ट्रपिता, परम-पूज्य गांधीजी जो अभागे हरिजनों की बस्तियों में जाकर रहते थे, ऐसे पूज्य बापू के रास्ते पर चलने वाले दा साहब हरिजनों को न्याय व्यवस्था में स्थान क्यों नहीं देते ? तो मैं निवेदन करूं कि यहां न्याय पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लोगों का सहवरण करना था, लेकिन यह बात आज इस बिल में नज़र नहीं आती है। हमारे यहां २५–२६ लाख हरिजन और २५–२६ लाख आदिवासी रहते हैं, यानी आधा करोड़ लोगों को यह अधिकार नहीं देते हैं तो गलती की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का अमेन्ड-मेन्ट लाया जाय और न्यायोचित ढंग से आदिवासी लोगों और हरिजनों के प्रतिनिधियों का सहवरण कराया जाय।

एक बात समझ में नहीं आती। अजमेर के दो सदस्यों ने बहस की, एक तरफ चुनाव न्यायोचित दृष्टि से निष्पक्ष रिटर्निंग अधि-कारियों से कराया जाय। जब एक तरफ विकेन्द्रीकरण करके जनतांत्रिक प्रणाली से न्याय दिलाना चाहते हैं तो न्याय में सब वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में भेदभाव की दृष्टि से पक्षपात किया है, उस ओर भी पंचायत विभाग और दा साहब का ध्यान जाना चाहिये। वैसे इस बिल को प्रवर समिति में भेजना चाहिए। इसमें हम जल्दबाजी न कर दें क्योंकि यह पूरे राजस्थान का सवाल है, यह अजमेर का प्रश्न नहीं है कि जिसे हम लड़–भिड़ कर छोड़ दें, यह झगड़े का प्रश्न नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वहां सोच–समझ कर पास किया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यह तो विरोध कर रहे थे साहब।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान....

श्री सभापति : Hon'ble Minister.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एक घंटा और दे दीजिये, चार बजे तक टाइम कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : माननीय सभापति, मुझे और नहीं तो पांच–सात मिनट दे दीजिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : चार बजे रिप्लाई शुरू कर देना ।

श्री सभापति : The Hon'ble Member-in-charge of the Bill may please reply to the debate, if he so desires.

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय सभापति....

श्री सभापति : सदन ने पहले तय कर लिया था कि इस मोशन पर बहस २–४५ पर बन्द हो जायगी, फिर माननीय सदस्यों की इच्छा का आदर करते हुए बीस मिनिट के लिए बहस और बढ़ाई गई। आज इस बिल को पारित करना है, इसलिए इस पर पूरा विचार करना है, लिहाजा यह बहस समाप्त कर दी जाय, वरना राइट ऑफ रिप्लाई, जो माननीय मंत्री को है, उसके लिए समय नहीं रहेगा....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : प्रवर समिति को भेजना मंजूर कर लें....

श्री लादूराम सुलाणिया : जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुँचे....

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, दो मिनट....

श्री सभापति : One at a time please.

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, आज....

श्री सभापति : You are not to make a speech.

श्री रामचन्द्र : मैं तो यह समझा था....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अगर माननीय मंत्री महोदय यह मंजूर कर लें कि प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं, तो डिसीज़न हो जाने दें, अगर नामंजूर करें तो जवाब दे देना चाहिए ।

श्री सभापति : यह तो अपनी स्पीच के दौरान में बतायेंगे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो ठीक नहीं है और अगर भेजना चाहते हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए जिससे सब लोगों का आइडिया मालूम हो जाय।

श्री सभापति : Member-in-charge of the Bill.

श्री रामचन्द्र : मुझे एक आवश्यक सुझाव देना है, दो मिनट दे दीजिये ।

श्री सभापति : If we once make an exception then every member will claim it.

श्री रामचन्द्र : वह समय नहीं रहेगा, सुझाव की चीज़ बेकार जायगी । मेरा बहुत आवश्यक सुझाव है, वही बोलूंगा और और नहीं ।....

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय सभापति....

श्री रामचन्द्र : और इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ....

Page No.82

श्री सभापति : Member in charge of the Bill please.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : The Order is Order.

श्री रामचन्द्र : दो मिनिट तो दे दीजिये ।

श्री लादूराम सुलाणिया : On a point of Order, Sir, मेरा निवेदन यह है कि आपकी तरफ से आज्ञा हुई थी....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य के बोलने के लिए समय बढ़ाया जायगा, समय दिया जायगा तो प्रत्येक माननीय सदस्य प्रार्थना करेगा ।

श्री सभापति : I am sorry, this is no point of order.

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं बराबर खड़ा होता रहा हूँ....

श्री सभापति : Please resume your seat.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : On a point of information. मिनिस्टर इन चार्ज, श्री हरिभाऊ उपाध्याय जब मौजूद हैं, तो उनको रिप्लाई देना चाहिए ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०): ऐसी कोई बात नहीं है कि पंचायत मिनिस्टर ही जवाब दें, कोई मिनिस्टर जवाब दे सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : जब मिनिस्टर-इन-चार्ज मौजूद हैं तो उपयुक्त यह होगा कि उनको जवाब देना चाहिए ।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह तय किया जाय कि टाइम बढ़ाया जायगा या नहीं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रिप्लाई हो रहा है या भाषण हो रहा है ?

श्री सभापति : I will draw the attention of the Hon'ble members to Rule 2 : "'Member in charge of the Bill' means in the case of a Government Bill any Minister." So any Minister can reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जो प्रस्ताव विचाराधीन है कि इस बिल को प्रवर समिति के विचार के लिए भेज दिया जाय, उस सम्बन्ध में बहुत सी बातें सदन के सामने कही गईं और कुछ गरमा–गरम बातें भी कहीं गईं और अजमेर की बात को लेकर तो काफी जोश की बातें भी कही गईं....

श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा (किशनगढ़) : गरमा-गरम ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके साथ एक जो प्रोवीज़न है कि पंचायत अगर चाहे तो गांव वालों से काम करा सकती है, गांव

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

में रहने वालों से काम करा सकती है। इस पर जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रगट किये हैं और यह कहा है कि इसमें कुछ बेसिक बातें हैं और जो फन्डामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होता है, इस प्रकार की बातें कुछ माननीय सदस्यों ने जाहिर कीं। कुछ माननीय सदस्यों का दोष इस बात पर था कि पंचायत इलेक्शन्स हुए, उनमें काफी बेजाब्तगियां, ऑफिशियल इन्टरफियरेन्स और इस तरह की बातें हुई। सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव की जहां तक बात है, वह सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि यह एक ऑर्डिनेन्स है, और आर्डिनेन्स को जब कभी असेम्बली शुरू होती है तो कॉन्स्टिट्युशन के प्रोवीज़न के मुताबिक छः महीने के अन्दर उनको बिल के रूप में आ जाना चाहिए, वरना ऑर्डिनेन्स लेप्स हो जायगा। मैं समझता हूँ कि अगर इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाय और छः महीने निकल जायं तो एक वेक्यूम क्रियेट हो जाता है। वैसे मुझे भेजने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि इस पर और बहस कर लेते और विचार कर लेते। मैं अर्ज करूंगा कि जो प्रोवीज़न है इसमें, उसमें कोई खास बात नहीं है, जिसके कारण प्रवर समिति में भेजने से बहुत बड़ा हित हो और आयन्दा के लिए कोई बहुत बड़ा अहित होने की बात हो, जिसको रोकना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्रवर समिति में जाने से छः महीने का टाइम निकल जायगा, इसलिए भेजना उपयुक्त नहीं होगा।

" बात, इसका एक एक क्लॉज़ देखें कि क्यों ऑर्डिनेन्स पास किया ? उसमें एक बात थी अजमेर के बारे में, तो उसे अजमेर के लिए कहते हैं, हालांकि वह सारे राजस्थान के लिए लागू होती है। वैसे ऑर्डिनेन्स के द्वारा यह किया है कि कलेक्टर को जो वार्ड और वोटर्स लिस्ट बनाने का अधिकार था, वह कलेक्टर के साथ साथ और गजटेड ऑफिसर्स को भी अधिकार दे दिया जाय। मेरा ख्याल है, कोई माननीय सदस्य इससे इन्कार नहीं कर सकता, जो कानून में अधिकार दे दिया था वह यह था कि कलेक्टर कर सकता है, उसको कलेक्टर पर छोड़ देते तो जो ७३६८ पंचायतों के चुनाव हुए, सत्रह हजार वार्ड बनाये और पंचों—सरपंचों के चुनाव कराये, इस काम के मेग्नीट्यूड को देखते हुए यह कहा जाय कि कलेक्टर के पास रहना चाहिए, दूसरे गजटेड ऑफिसर्स को अधिकार क्यों दिया गया, यह कहना ठीक नहीं है। इसलिए वार्ड्स बनाने का अधिकार गजटेड ऑफिसर्स को दे दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि जो वार्ड्स बनाये गये हैं, उनको रिट्रक्टली देखें तो आम चुनावों में जो शिकायत थी कि वार्ड्स मनमाने तरीके से बनाये जाते हैं। लेकिन हमने इन चुनावों में देखा कि वार्ड्स बनाने में कोई शिकायत नहीं थी, जो वोटर्स लिस्ट बनाई गई, जो पहले बनी हुई थी, उसमें एक से लेकर १०० तक का एक वार्ड बना दिया, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया। इसमें हिदायत दी थी कि उसको कलेक्टर बनाये, और कोई नहीं बना सकता। मैं अर्ज करूंगा कि यह कहना ठीक नहीं है। इसलिए हमें आर्डिनेन्स पास करना पड़ा।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसके साथ साथ एक बात यह कही गई पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कि चुनाव अधिकारियों ने इस मामले में काफी गड़बड़ी की। सभापति महोदय, मुझे इन चुनावों का ज्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव में नहीं गया, अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में भी नहीं गया। मैं केवल दो दफा गया; एक तो तब जब कि एक सरपंच की डेथ हो गई, तब कन्डोलेन्स के लिए गया था और दूसरी बार तब जब कि एक चुनाव क्षेत्र में दंगा मच गया, तब यह कहने के लिए गया कि दंगा मत मचाना। इससे ज्यादा मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जो आम लोग राजस्थान के मिलते है, वे कहते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं वे बड़ी अच्छी तरह हुए है, फिर जो यहां बातें हुईं उनको मैं क्यों न कॉन्ट्राडिक्ट करूं और यह कहने दिया जाय कि गड़बड़ियां हुई हैं जो चुनाव हुए हैं उनमें। तो मैं कह सकता हूं कि ७४,००० पंच और ७,३६८ सरपंच चुने गये, कुल २३ पंचायतें ऐसी हैं, जिनके चुनाव नहीं हो सके। विभाग ने जिस तरह काम किया, मुझे शक था कि पंचायतों के चुनावों में डिस्टर्बेन्स अधिक हो जायगी, लेकिन मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि अधिकारियों ने, हमारे यहां जो भी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, उन सबने बड़ी दिलचस्पी के साथ अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी समझ कर इन चुनावों को पूरा करने की कोशिश की। मैं इस बात को जानता हूं कि जनरल इलेक्शन में, पहले में सारे राजस्थान के इलाके में चुनाव कराया करता था, मुझे कई प्रकार की शिकायतों का अनुभव है। लेकिन जनरल इलेक्शन का जितना काम हुआ करता था, उससे यह सैकड़ों गुना ज्यादा काम है। जनरल इलेक्शन होता है, उसमें एक कॉन्स्टिट्युएन्सी से एक आदमी इलेक्ट होता है, लेकिन यहां एक कॉन्स्टिटयुएन्सी से २३ पंचायत समितियां और २५० पंचायतों का इलेक्शन होता है, उसमें यह हालत है कि उसको तत्परता से करना होता है। अब यह हो सकता है कि किसी अधिकारी ने फॉर्म्स रिजेक्ट करने में गलती की हो। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन से अर्ज करूंगा कि कौन कौन से अधिकारी कहां कहां नियुक्त किये गये। इसको मिनिस्टर जानते नहीं, फिर किस तरीके से मिनिस्टर को इतने बड़े काम की जानकारी हो सकती है जिससे कि वह कहे कि फलां का रिजेक्ट कर देना और फलां का एक्सेप्ट कर देना, यह बिल्कुल नामुमकिन है कि यह जान सके कि कौन कौन व्यक्ति कहां कहां पर है। इसके अलावा एक जगह एक पंचायत के इलेक्शन में एक मिनिस्टर पर्सनली मौजूद है और उस पंचायत समिति का चुनाव एक दिन के अन्दर पूरा हुआ है, तो फिर वह कैसे पता लगायेगा कि कौन कौन अधिकारी हैं और कहां कहां पर हैं और कहां कहां का दौरा करेगा और कहेगा कि फलां का रिजेक्ट कर देना और फलां का स्वीकार कर लेना, यह फिज़िकली इम्पोसिबल है। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ कि सही फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट हुए। यह बड़े अफसोस की बात है। अगर सही है तो मैं समझता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल इलेक्शन में यह हिदायत थी कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले इलेक्शन्स से हमें अनुभव हुआ है, ५२ के इलेक्शन में यह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

था कि रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, यदि किसी अफसर ने जान–बूझ कर गड़बड़ी की है तो इन्डिपेन्डेन्ट अफसर के पास रिट पिटीशन रखी है। यह मैं मान सकता हूं कि एक पर्सेन्ट में गड़बड़ हो सकती है, पर यह कहना कि राजस्थान में सभी जगह ऐसा हुआ है तो यह गलत है, हमें तो यह कहना चाहिये कि अफसरों ने तत्परता और ईमानदारी से काम किया और उन्हीं की तत्परता का फल था कि इतने बड़े इलेक्शन विदाउट ब्रीच आफ पीस हो गये।

कम्पल्सरी लेबर के बारे में कहा कि यह बेगार है, यह भी कहा कि यह जजिया कर है। एक बात तो ठीक है, यह मानना पड़ेगा कि आदमी और संस्थाएं कितनी ही डेमोक्रेटिक हों, चाहे कितना ही अहिंसात्मक आदमी हो, उसके अन्दर कहीं न कहीं खून जरूर है। गांधीजी अहिंसा के पक्के फोलोअर थे, पर गोखले ने कहा है कि आप जो काम करते हैं उससे मुझे डर लगता है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है महात्मा गांधी के लिये कि क्योंकि आपने कहा है, किया है इसलिये आपकी बात को मानते हैं। तो फोर्स है, देखना यह है कि फोर्स वॉलंटेरी है या अनवॉलंटेरी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह काम करो नहीं तो उपवास करूंगा, उसमें फोर्स था, पर वह अहिंसा का फोर्स था। आज हम कानून बनाने जा रहे है, इसमें देखने की बात है कि क्या सरकार और क्या कोई आदमी, जो जनता के चुने हुए हैं, किसके हित के लिये काम कर रहे हैं, किसके हित के लिये काम हो रहा है, तालाब ठीक करने की बात है, कुआं बनाने की बात है। हजार आदमियों में से दो–तीन आदमी ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके खिलाफ ही सब के सब मानने को तैयार हो जायं। यह तो नहीं हो सकता। तो २।३ की मेजोरिटी से पंचायतें तय करेंगी, वह भी पंचायत पर नहीं छोड़ेंगे, सरकार तय करेगी। २।३ मेजोरिटी से किसी काम को करने का तय किया और उस वक्त दो–तीन आदमी खड़े होकर कहें कि हम नहीं करेंगे, सारा गांव एक तरफ और दो तीन आदमी एक तरफ कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, ऐसी बात मेरे सामने आई है। मैं नहीं कहता कि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, दुरुपयोग तो हर बात का हो सकता है, गांधीजी के लिये भी लोग कहते थे कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे, उनमें अहिंसा का फोर्स था इसलिये मनमानी करा लेते थे। पूरे गांव ने तय किया कि कुआ खोदना है, तालाब खोदना है, एक आदमी कहता है कि मैं नहीं खोदूंगा तो इसका इलाज क्या है। इसके लिये यह रखा है, इसके तय करने का गवर्नमेंट के हाथ में इसलिये रखा है कि वह देखे कि जो पंचायत ने तय किया है वह जायज है या नहीं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून नया नहीं है, क्लॉज़ ६५ हमारे पंचायत एक्ट की है उसको उल्टे रूप में रख दिया है। ६५ में आलरेडी मौजूद है कि पंचायत टैक्स लगा सकती है और कोई टैक्स नहीं दे तो वह लेबर दे सकता है, इसमें इसका उल्टा रख दिया है कि लेबर दे सकता है और लेबर नहीं देना चाहें तो पैसा दे सकता है। प्लानिंग विभाग ने भी हमारे पास इस तरह का भेजा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है कि पंचायतें इस तरह का कार्य करना चाहें तो श्रमदान से करा सकती हैं....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। क्या प्लानिंग कमीशन ने यह लिखा है कि थ्रू लेजिस्लेशन पंचायत को इस प्रकार के अधिकार दिये जायं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने समय पर श्रमदान का उपयोग करने की दृष्टि से लिखा है। इसके अलावा और कोई सुझाव हो सकता है तो उसको मैं मानने के लिये तैयार हूं। हम जिद्दी नहीं, इससे गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं होने वाला है। पंचायतों को इफेक्टिव बनाने की दृष्टि से यह बात करते हैं। वह भी यह रखा है कि २।३ की मेजोरिटी से पंचायतें ठीक समझती हैं तो फैसला करें, कोई श्रम नहीं देना चाहे तो पैसा दे सकता है। उसूलन इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। कानून में रखना इसलिये जरूरी है कि पंचायत अच्छे काम कर सके, पंचायतों को अधिकार है कि वे वॉलंटेरिली काम कर सकें। इस प्रकार के निर्णय के बाद भी यदि कोई नहीं करना चाहे तो सरकार को लिखे, सरकार अपना फैसला देगी। को केवल पंचायत के ऊपर ही नहीं छोड़ दिया गया है, तय सरकार करेगी।

तो इसमें कोम्युनिस्ट कन्ट्रीज़ में जिस तरह की बात होती है, या एक आदमी का ही अनुशासन हो उसमें जिस प्रकार से काम हो, या जजिया हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, यह तो बिलकुल सीधा रूप है, यह थोपने की बात नहीं है। हम कानून बनाते हैं कि गांव के हर आदमी को १२ रोज काम करना पड़ेगा तो माननीय सदस्य कह सकते थे कि यह तो जबर्दस्ती है; तो जिस बात का ख्याल किया जाता है वह इसके अन्तर्गत नहीं आती।

अजमेर की बात को लेकर काफी बातें हुई। पोलिटिकली क्या है यह मैं नहीं कह सकता, पर डेट फिक्स की गई, हमारे यहां पंचायत कानून था उसमें आपने प्रोविज़न रखा था वह यह था कि आपका जिला परिषद एक्ट पास हुआ, उसमें यह प्रोविज़न था कि एक्ट जब से पास किया जा रहा है उस वक्त जो पंचायतें फंक्शन करती हैं उनकी अवधि ३१ मार्च तक रहेगी। जिला परिषद् एक्ट २ अक्टूबर को फोर्स में आ रहा था, प्रोपोज़ल फाइनल हो चुका था। पंचायत समितियां बनाने के लिए अजमेर में कई जगह पंचायतें थीं नहीं, थीं वे भी सिंगल मेम्बर पंचायतें थीं और इलेक्शन करना जरूरी था, नहीं तो पंचायत समितियां बन सकती थीं, इसलिए वहां पंचायतों का इलेक्शन करवाया। जिला परिषद् एक्ट ६ सितम्बर को फोर्स में आ गया था, इसलिये यह रखा। जिला परिषद् एक्ट ६ सितम्बर को फोर्स में आया उसमें इस बात का प्रोविजन है। कि एक्ट एन्फोर्स होने के समय पंचायतों की मयाद बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं। हमने इस मामले को लॉ डिपार्टमेंट से एग्ज़ामिन कराया और हमने भी देखा और लॉ डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि वह इससे कवर नहीं होता, इसलिये एग्जेम्प्ट कर दिया जावे। अब यह कहा जाता है कि वहां बहुत बड़े आदमी थे इसलिये ऐसा किया गया, यह बात

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं है। अजमेर की पंचायतों का केस हुआ है, और दूसरी जगह तो नहीं हुआ....

श्री भैरोंसिंह : अजमेर की पंचायतें एक वर्ष के लिए थीं उनको एक्सटेन्शन देने का क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि कानून में एक्सटेन्शन नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : आपने सब की मयाद जनवरी १६६१ तक बढ़ाई। उन्हीं पंचायतों को क्यों किया और उसके बाद उनकी टर्म ४ साल के लिये क्यों रखी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज करूंगा कि पंचायत एक्ट की दफा ७ है उसमें साफ दर्ज है, हमने उसका एमेंडमेंट कराया था। मैं उसको आपके सामने पढ़ देता हूँ :

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the term of Panchayats as existing on the date of passing of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, or established under sub-section (2) of section 3 before the 31st October, 1960 shall, with a view to enabling th State Government simultaneously to reconstitute such Panchayats and to constitute Panchayat Samitis under that Act, extend upto the 31st day of January, 1961." वे पंचायतें जो इस एक्ट के अन्तर्गत आती थीं उनकी मयाद बढ़ा दी गई। यह ६ सितम्बर का था। मगर ये पंचायतें ऐसी थीं जो इसके तहत में नहीं आती थी। यों कहिये कि वहां पंचायतें थीं ही नहीं। अजमेर में सिंगल मेम्बर पंचायतें थी और कहीं तो थी ही नहीं। हमको इलेक्शन सभी पंचायतों का कराना जरूरी था और हम यह चाहते थे कि कोई भी एरिया पंचायत चुनावों से डिबार नहीं रह जावे। अगर ऐसा नहीं कराते तो वह एरिया इससे डिबार होता था। जब एक्सटेन्शन नहीं होता था तो इसके लिये यह प्रोविज़न करना हमारे लिये जरूरी था क्योंकि ये ११ या १४ की थीं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई पोलिटिकल मोटिव की बात नहीं थी। इसमें पोलिटिकल मोटिव की बात क्या हुई? मैं तो नहीं जानता कि अजमेर की इन पंचायतों के पीछे क्या पोलिटिकल बात थी ? इलेक्शन कराना था, इसलिये यह ठीक था।

श्री भैरोंसिंह : माफ करना, यह एमेंडमेंट आ सकता था कि ६ सितम्बर, १६५६ तक जिन पंचायतों की अवधि नहीं बढ़ाई गई है उनको खत्म किया जाये।

श्री सभापति : There will be no end to this raising of questions and counter-questions.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am coming to that. यह बात हो सकती थी कि उन पंचायतों को वहीं खत्म कर दिया जाय। मैंने अर्ज किया कि ये पंचायतें सिंगल मेम्बर पंचायतें हमने बनाई और कई तोड़–फोड़ करके हमने बनाई। ये फ्रेश और नई बनी हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर एक पंचायत का इलेक्शन होता है उसकी मयाद तीन साल रहनी चाहिये। यह तो कानून में है। इसकी मयाद को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी हुये और वह कानून

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

से कवर नहीं होता था इसलिये फिर दुबारा यह कहना कि यह मयाद खत्म हुई, उचित नहीं था।

अब मैं एक बात जो माननीय सदस्य ने कही उस पर आता हूँ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चार ऑर्डिनेन्सेज़ इतने शोर्ट समय में क्यों निकाले गये ? मैं यह निवेदन करूंगा कि ये चारों ऑर्डिनेन्सेज़ आवश्यकता की वजह से ही आये और इस समय में बहुत काम हुआ। यह कहा जाता है कि पोलिटिकल पार्टीज़ विहिकल्स का प्रयोग नहीं कर सके उसके लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया। मैं यह कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि हमने किन्हीं पोलिटिकल कारणों से या बिना आवश्यकता के किसी ऑर्डिनेन्स को पास कर दिया हो। इलेक्शन में ऑफिसरों और कलेक्टर को हर वक्त बाहर घूमना पड़ता था और यह इतना बड़ा चुनाव का कार्य था जिसका अनुभव पहले किसी को नहीं था। इसलिए सिवाय इसके कोई दूसरा साधन नहीं था जिससे वे दूर कर सकते थे । इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कार्यवाही उन्होंने की वह दुरुस्त है।

एक बात कही गई कि न्याय पंचायतों के रूल्स २३ दिन पहले ही लागू किये इससे लोगों को बहुत दिक्कतें आईं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने न्याय पंचायतों का एमेंडमेंट किया। उसमें क्या हुआ कि हमने जो तय किया था इससे पहले हमारे यहां पंचायतों में न्याय का काम होता था और उसमें क्या होता कि अगर हम पहले डेट तय कर देते तो पंचायतें जो न्याय का काम करती थीं वे अपना काम करना बन्द कर देतीं। अगर वे पंचायतें अपना काम बन्द कर देतीं तो एक तरह का वेक्यूम हो जाता और पंचायतों में मुकदमे तय नहीं हो पाते। इसलिये न्याय पंचायतों के लिये रूल्स नहीं बने, तारीख मुकर्रर नहीं की गई।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर—सु०) : न्याय पंचायतों में माननीय मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी बात जो आप कहना चाहते है मेरे ध्यान में हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। वोटर्स और वार्ड के बारे में मैंने जवाब दे दिया है। जहां पर नोमिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया और चुनाव नहीं हो सके वहां पर कलेक्टर को अधिकार था कि वह नोमिनेट करे। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोलिटिकल मोटिव की बात नहीं है। कोई नोमिनेशन पेश नहीं करे वहां पर क्या किया जा सकता है। जहां जहां पंचायतों के चुनाव हुए हैं वहां तो सरपंच सब जगह चुने हुये हो गये लेकिन बहुत से स्थानों पर नोमिनेशन पेपर्स नहीं पहुंचे वहां पर कलेक्टर ने नोमिनेट भी किये हैं।

इसके अलावा यह कहा जाता है कि एसेम्बली की सूची ही काम में लेनी चाहिये और कलेक्टर को नई दूसरी सूची नहीं बनानी चाहिये। पहले यह बात अजमेर में चली थी कि एसेम्बली की सूची को ही इस पर्पज़ के लिए मान लेना चाहिये मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि वहां पर यह वाजिब नहीं समझा गया और अजमेर का एक केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने से यह हुआ कि जब तक आप सूची पब्लिश नहीं करें तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वह सूची सही नहीं है । मैं तो खुद इस मत का पहले था । मगर यह नहीं माना गया बहुत से नाम जो उसमें लिखे हुये होते हैं उनको काट दिया जाता है और बहुत से नामों को एड किया जाता है । यह आरोप लगाया गया । मैं यह निवेदन करूंगा कि आम तौर से इसके लिये हिदायत स्पष्ट थी और आम तौर से कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आई और अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो आप ध्यान दिलावेंगे तो उस पर ध्यान दिया जावेगा ।

मैं समझता हूँ कि मैंने सारी मेजर बातें थीं उनका उत्तर दे दिया है । और एक बात है वह यह है कि अगले जनरल इलेक्शन में भी ऐसा होगा इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि मिनिस्टरों को अपनी अपनी बात रखनी पड़ती है । इसके अलावा जनरल इलेक्शन में हिदायत भी बिल्कुल साफ है । मैं आपको एक मिसाल के रूप में बताना चाहता हूँ कि एक सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी यहां आये हुए थे । मैं उन दिनों में बीमार था । हमारे इलेक्शन चल रहे थे उस समय में हमको विहिकल्स के बारे में दिक्कत थी । उनसे मैंने इसके बारे में कहा कि आप हमारी हेल्प करें । उन्होंने कहा कि हम किसी पोलिटिकल पार्टी में भाग नहीं लेना चाहते । मैं इलेक्शन में मिनिस्टर था लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की । मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने डेमोक्रेसी को कायम किया है और डीसेन्ट्रलाइजेशन किया है और हमारी यही नीति रही है कि इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष, क्लीन और प्योर हों और बिना किसी दबाव के हों । गवर्नमेंट की यह पोलिसी है । अगर इलेक्शन में किसी को विश्वास नहीं है तो यह कन्सेप्शन है कि हमने जो डीसेन्ट्रलाइजेशन किया है उसकी क्या जरूरत थी ? राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इस संबन्ध में कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन कामयाब हो । और निष्पक्ष रूप से कार्य किया जावे यह हमारी बेसिक पॉलिसी है । अगर माननीय सदस्य यह बतावेंगे कि किसी ऑफिसर ने गड़बड़ी की है तो हम उनको हिदायत करेंगे और आयन्दा के लिये मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आयन्दा कोई बात होगी तो....

श्री हरिप्रसाद यादव : न्याय पंचायत के लिए कुछ नहीं फरमाया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : न्याय पंचायतों के लिए कानून में नहीं है इसलिए मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता हूँ ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा....

श्री सभापति : Order please !

श्री हरिप्रसाद यादव : नये नये अमेन्डमेन्ट्स आते हैं....

श्री सभापति : Order please !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बेसिक बातों के लिए, जो माननीय सदस्यों ने रखीं, उनके लिए अर्ज कर दिया । इसलिए माननीय सदस्य जिन्होंने अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनको विथ्ड्रॉ करने का कष्ट करें ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखा है मैं उसको विथ्ड्रॉ करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव इस बिल पर प्रस्तुत किया है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my motion.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I have not withdrawn my amendment.

श्री सभापति : It is not necessary to put each motion of each individual members separately.

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने (श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने) विथ्ड्रॉ नहीं किया है।

श्री सभापति : क्या यह सदन की अनुमति है कि श्री पी. के. चौधरी को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक....

श्री भैरोंसिंह : अभी इनका अमेन्डमेन्ट है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ?

श्री सभापति : It is an amendment which is just being put to vote. You have the patience of listening please.

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति में भेजा जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

Noes have it

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Ayes have it.

डॉ० बहादुरसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : Ayes have it.

श्री सभापति : Noes have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : डॉ० बहादुरसिंह ने ""हां' पक्ष जीता," यह कहा है। आप प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिये।

श्री सभापति : 'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति : Then is it the intention of the Hon'ble Members to claim division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

श्री सभापति : जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जायं।

श्री भैरोंसिंह : पहले तीन मिनिट तक बैल बजाई जाय और सब सदस्यों को बुलाया जाय। उसके बाद में यह होता है।

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय !

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६१ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : One thing more. It is already 12 minutes to four. I trust it is the intention of the House to pass this Bill today. In the circumstances, it is obligatory that the limits of the speech should be curtailed. I, therefore, appeal to the Hon'ble members specially to those who move amendments that they should not take more than five minutes in their speeches.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, I move the amendment to clause 2 that in sub-clause (1) replace the words "Such subordinate gazetted officer of the State Government as" by the words "Additional Collector whom".

सभापति महोदय, सब-क्लॉज़ (२) में सेक्शन ५ जो प्रिन्सिपल एक्ट का है, उसको अमेन्ड करने का प्रावधान किया गया है।

"Wards—The Collector may divide each Panchayat Circle into such number of wards as may be convenient for the purpose of election and fix the number of Panchas to be elected from each such ward."

Page No.92

(श्री पी. के. चौधरी)

इस अमेन्डमेन्ट के जरिये यह जो ऑथोरिटी है उसको कलेक्टर के बजाय कलेक्टर या सबोर्डिनेट गजटेड ऑफिसर, जिसको कलेक्टर चाहे उसको दिया जा सकता है और मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसमें यह है कि सबोर्डिनेट ऑफिसर न होकर कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर हो। मैंने इसमें यह अमेन्डमेन्ट रखा है। जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसका क्या कारण है, यह निवेदन करना चाहता हूँ। मेम्बर इनचार्ज ऑफ दी बिल ने अपने रिप्लाई में कहा था कि इलेक्शन का प्रोसीजर ऐसा रखना चाहते हैं कि जो प्योर हो और क्लियर हो, अच्छा हो। क्लियर और प्योर इलेक्शन वे चाहते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि इलेक्शन मशीनरी और जो प्रोसिज्योर है उससे लोगों को कॉन्फिडेन्स हो। It is necessary that with the cleanliness and pure elections, people should have confidence in the procedure and the machinery of the elections.

यह चीज़ इतनी जरूरी है कि इसमें पब्लिक कॉन्फिडेन्स होना चाहिये फॉर डेमोक्रेसी टू फक्शन फुल्ली। इस बात को ध्यान में रखते हुए असेम्बली और पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं उनको एक्ज़ीक्यूटिव कन्डक्ट नहीं करती उसके लिये इन्डिपेन्डेन्ट ऑथोरिटी मुकर्रर होती है और जब कोन्स्टीट्युएन्सी के डीलिमिटेशन का सवाल आता है उसके डी लिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति होती है और उसी के द्वारा यह सब कुछ कार्य होता है। इसी तरह इस मशीनरी के ऊपर भी पब्लिक का कॉन्फिडेन्स होना चाहिये उस कॉन्फिडेन्स को पैदा करने के लिये यह आवश्यक है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स हों, उन्होंने सही ढंग से काम किया या नहीं, यह देखने की बात है। हमें इसके लिये कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है उसको इसके लिये रखना चाहिये; लोवर लेवल पर डेलीगेट कर देते हैं यह मेरी राय में ठीक नहीं है। जितनी प्योरिटी मेन्टेन होती है कलेक्टर के पास रहने से उतनी दूसरों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पर माननीय मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि जिस स्टेंडर्ड की आप कलेक्टर से आशा करते हैं उसी प्रकार के स्टेंडर्ड की दूसरों से क्यों नहीं आशा करते लेकिन मेरा उनसे यह निवेदन है कि कलेक्टर को ऑथोरिटी देने से उनके सामने क्या दिक्कत आती है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं he can send his representative केवल फाइनल प्रोपोज़ल्स पर कलेक्टर की सील रहेगी, हम इतना ही सेफ गार्ड चाहते हैं, एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि the Collector should go on the spot डीलिमिटेशन कमीशन अपोइन्ट किया जाता है तो उसके लिये कमिश्नर जो होता है वह हर एक जगह नहीं जाता है, वह हैड क्वार्टर पर विज़िट करता है और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनसे डिटेल्स इकट्ठे करके उनके अनुसार कॉन्स्टीटुएन्सी का डीलिमिटेशन करता है। उसके लिये यह कहना कि कलेक्टर के पास बहुत काम है इसलिये वह नहीं कर सकता, यह उपयुक्त नहीं है। कलेक्टर के नीचे 'एडीशनल कलेक्टर और दिया' हुआ है वह विकास के कामों और दूसरे कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिये 'एडीशनल कलेक्टर और' दिया हुआ है। इसके लिये यह आर्ग्युमेंट देना कि उसके पास बहुत काम है,

Page No.93

(श्री पी. के. चौधरी)

में कोई वेलिड आर्ग्युमेंट नहीं मानता । मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि प्योरिटी और क्लीनलीनेस के साथ साथ पब्लिक कॉन्फिडेन्स भी होना चाहिये, इसलिये मैंने जो अमेंडमेंट रखा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये। दूसरा मेरा अमेंडमेंट है सब–क्लॉज (२) के डिलीट करने के लिये सब–क्लॉज (२) में कहा गया है

"The word 'Collector' wherever appearing in rules 3,4 and 5 of the Rajasthan Panchayat and Nyaya Panchayat Election Rules, 1960, shall include and be deemed always to have included such subordinate gazetted officer of the State Government as the Collector may authorise in this behalf."

यह जो है वह क्लॉज़ वन से लिंक्ड है यह जो तरीका रूल्स में जो वर्ड्स यूज़ किये गये हैं उसके इन्टरप्रिटेशन हम स्टेच्युट एप्रूव करें । रूल्स के वर्डिंग्ज़ होते हैं वे स्टेचूपेट के मुआफिक होते हैं in consonance with that ? रूल्स में जिन शब्दों का व्यवहार किया गया कलेक्टर जो वर्ड यूज़ किया गया उसको स्टेच्यूट बना दें । यह ठीक है कि सब–क्लॉज (१) पास हो गया है । लेकिन रूल्स में इस प्रकार की डेफिनिशन होनी चाहिये रूल्स में इसलिये मैं इसको गलत तरीका समझता हूँ, इसलिये इसके डिलीशन का प्रस्ताव रखा है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन को मूव नहीं करना चाहता । जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ । यह जो उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के लिये कलेक्टर को पॉवर्स देने चाहिये, यह सत्य है कि जहां कलेक्टर्स के पास बहुत ज्यादा काम है इस वजह से मतदाता सूची बनाने का अधिकार कलेक्टर द्वारा नोमीनेटेड कोई दूसरा व्यक्ति हो उसको देते हैं । वार्ड्स की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है उससे विचित्र बातें नजर आती हैं । उन्होंने कहा कि १०० व्यक्तियों का इलेक्टोरल रोल रहेगा वह एक वार्ड होगा । मान लीजिये एक व्यक्ति के परिवार में जहां सौ व्यक्ति का सवाल आता है उसमें पुरुष यदि सौवां व्यक्ति आजाता है तो उसकी पत्नी दूसरे वार्ड में चली जाती है तो इस तरह से पुरुष का प्रतिनिधित्व..एक वार्ड में होता है और पत्नी का दूसरे वार्ड में....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है ।

श्री सभापति : Nothing basically wrong abount at.

डॉ० बहादुरसिंह : यह निश्चित हुआ है । इलेक्टोरल रोल्स जो बने है उनमें एट दी स्पोट, इलेक्शन अवर चेन्जेज़ हुए हैं । आप यह चाहते हैं कि कलेक्टर के पास ज्यादा काम है तो आप इसके लिये एस० डी० ओ० की नियुक्ति कर सकते हैं, आप उसके लिये इन्जीनियर, वेटरनरी डॉक्टर आदि को अधिकार देते हैं, यह उपयुक्त नहीं है । इसलिये फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। यदि कलेक्टर को यह अधिकार नहीं देते हैं तो असिस्टेन्ट कलेक्टर को देना उपयुक्त है ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दूसरा संशोधन जो रखा गया है वह भी उचित है इसलिये यह संशोधन भी मानना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट रखा है उस सम्बन्ध में निवेदन है कि क्लॉज़ ५ है वह सिर्फ वार्ड्स के बारे में है ?

"The Collector may divide each Panchayat Circle into such number of wards as may be convenient for the purpose of election and fix the number of Panchas to be elected from each such ward".

मैंने जैसा कि अर्ज किया ७४ हजार वार्ड्स बने, हर एक वार्ड के लिये एक पंच मुकर्रर किया गया। अब जो रूल बनाया है उसके मुताबिक हाउसिंग के हिसाब से जितने हाउस आयेंगे फर्स्ट हन्ड्रेड हाउसेज़ होंगे वे एक वार्ड में आयेंगे। इसलिये यह कहना कि एक घर में पति-पत्नी रहते हैं वे अलग अलग हो जायेंगे यह ठीक नहीं है अगर वे अलग अलग मकान में रहते हैं तो मैं नहीं कह सकता वरना हाउसिंग की जो बात रखी गई है वह ठीक है। उसमें कलेक्टर खुद मौके पर जाकर तय करें या दूसरे गजटेड ऑफिसर्स करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हमें उन पर भी विश्वास करके चलना चाहिये; इसलिये जो पॉवर्स अभी तक डेलीगेट कर रखे हैं उसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिये। आज तक वार्ड्स के बारे में एक भी शिकायत नहीं आयी। हमने हाउसिंग का जो फॉर्मुला रखा है उसके अनुसार राजस्थान में वार्ड के सम्बन्ध में एक भी शिकायत नहीं आयी है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि पचगाह्रा का जो वार्ड है उसके बारे में रिट हो चुकी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ७५ हजार में एक उदाहरण है और वह भी रिट हो गई है रिट का क्या फैसला हो, यह थोड़े ही कह सकते हैं। इसलिये वार्ड के बारे में जो माननीय सदस्य ने बात रखी है वह प्रेक्टिकल नहीं है।

दूसरा जो अमेंडमेंट है उसके लिये निवेदन है कि रूल्स बन गये हैं उसके अन्दर दूसरा प्रोवीज़न कर दिया गया है, इसलिये उसको सिर्फ रेगुलेट करने के लिये है। जैसा कि अमल में आ गया उसको रेगुलेट करने के लिये यह किया गया है, इसलिये जिस रूप में यह क्लॉज है उसी तरह से पास किया जाय।

श्री सभापति : जो संशोधन श्री पी०के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(४ म. प.)

श्री मूलचन्द डागा (पालीं) : There is no quorum, Sir,

श्री सभापति : Let the quorum bell be sounded.

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात् पुनः)

श्री मूलचन्द डागा : यह अमेन्टमेंट बिना कोरम के ही पास हो गया है। इसलिये इसे वेलिड नहीं माना जाना चाहिये।

श्री सभापति : There was no objection till voting. As long as there is no objection the Chair cannot take notice of it.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, no voting could be taken without quorum.

श्री सभापति : There was no objection. It was open to any Hon'ble member to have taken any objection when the votes were taken.

श्री पी. के. चौधरी : Without quorum how voting can be done ?

श्री सभापति : Unless it is objected to by the Hon'ble members, the Chair does not of itself take notice of the quorum.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): पारित हो जाने के बाद ही नोटिस में आया था कि कोरम नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपके लिए मेटीरियल क्वेश्चन है।

श्री सभापति : The point was raised after the votes had been taken on the amendment.

अब प्रश्न यह है ....

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : I beg to submit a point of order, Sir, When there is no quorum, there is no session, and hence there can be no proceedings.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : Unless the quorum is challenged the House is deemed to have the quorum

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल तो यह है कि आपको (सभापति) जानकारी थी या नहीं कि कौरम है या नहीं, XXXX

श्री सभापति : Since the objction was not taken, no notice had been taken.

श्री मूलचन्द डागा : He enquired from the Chair.

श्री सभापति : That is already decided. प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सभापति)

• क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३ श्री पी० के चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फ़ुलेरा) : Mr. President, Sir, In clause 3 I move an amendment.

"Part (a) may be replaced by the following:

(a) At the end of Sub-Section (1) add or from such earlier date as may be notified by the State Government in this behalf."

सभापति महोदय, क्लॉज़ ३ में सैक्शन सात जो प्रिन्सिपल एक्ट का है उसको अमेन्ड किया गया है। इसमें टर्म ऑफ ऑफिस इस प्रकार है:—

"The term of a Panchayat shall be for a period of 3 years computed from the date of its meeting.

Provided that the State Government may by notification in the Official Gazette extend from time to time the said term by a period not extending one year in the aggregate."

अब अमेन्डमेन्ट जो इसमें पेश किया गया है वह है:—

"In sub-section (1) for the words 'from the date of its first meeting' the words 'from such date as may be notified by the State Government in this behalf' shall be substituted."

यानी इसमें जो थ्री ईयर्स केलकुलेट करना था उसके लिये डेट ऑफ दी फर्स्ट मीटिंग बेस था। अब इसको सब्स्टीट्यूट कर रहे हैं इससे : "from a date to be notified by the State Government." यानी अब तक तो तीन साल गिने जाते थे फर्स्ट मीटिंग से और अब अमेन्डमेन्ट हो जाने से तीन साल गिनें जावेंगे तब से जब से कि गवर्नमेन्ट नोटिफाई करेगी।

It may be from the date of first meeting, it may be from the date of 10th meeting अब इसमें यह भी हो सकता है कि किसी पंचायत ने साल भर फंक्शन कर लिया या छः महीने कर लिया रिट पिटीशन पर, फिर फंक्शन स्टे हो गया। फिर छः महीने स्टे रहा। फिर जाकर फंक्शन करने लगी। अब सरकार यह कह सकती है इस अमेन्डमेन्ड की आड़ में कि पहले वह स्टे रही इसलिये उस पीरियड को नहीं गिनेंगे, दुबारा जब से मीटिंग कन्वीन की तब से माना जावेगा। पहले ऐसा था कि कुल मिलाकर एग्रीगेट एक साल से ज्यादा सरकार उनकी टर्म एक्सटेन्ड नहीं कर सकती थी, पर अब इसकी आड़ में सरकार जैसा चाहेगी समय बढ़ा देगी, जितने दिन चाहेगी काम करने देगी, नहीं चाहेगी तो बिल्कुल ही बन्द कर देगी। कुछ को एक्सटेन्शन पर एक्सटेन्शन मिलते रहेंगे जो उनके कृपापात्र उस पंचायत में होंगे और जहां नहीं होंगे वहां काम ही नहीं करने देगी सरकार। यह तरीका ऐसा है कि लॉ में लेकुना

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने बहुत होट डिस्कशन के बाद असेम्बली में वह क्लॉज़ पास किया था। उसको मिटाने के लिये सरकार ने बड़ी मुस्तैनीपने के साथ यह नया वाया-मीडिया निकाला है कि अब किस तारीख से वह फंक्शन करने लगी यह सरकार तय करेगी। तो यह बहुत ऑब्जेक्शनेब्ल है। जब पहले हमने पास किया था तो सदन की राय बिल्कुल साफ थी। हम नहीं चाहते थे कि एक साल से किसी तरह अधिक यह मयाद बढे। इसलिए निवेदन है कि मैंने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है उसमें इसके पीछे यह जोड़ दिया जावे ?

"A term of a Panchayat shall be for a period of 3 years computed from the date of its first meeting or from earlier meeting." तो इस अमेन्डमेन्ट से, मैं मानता हूँ कि सभी सहमत होंगे और माननीय मन्त्री महोदय भी इसे स्वीकार करेंगे और एग्ज़ीक्यूटिव को लेटीच्यू ड नहीं देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसके पक्ष में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ।

श्री सभापति : Members who have not given notice of amendment if they are also allowed to speak on every amendment, it would not be possible to conclude the day's business within the time limit.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I would not take much time.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): The views of the members should be known, Sir, on a particular clause. If the House feels very strongly then at least the sense of the House should be taken. It is very material and a very important clause, Sir.

श्री सभापति : Only the Hon'ble member-in-charge of the Bill is allowed to reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं तो कहूँगा कि माननीय सदस्य चाहे तो एक क्लॉज़ के ऊपर बोलें, लेकिन ५ बजे तक का समय बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने फिक्स किया है और उसको मन्जूर कर लिया है....

श्री सभापति : Two minutes are allowed to the Hon'ble Member.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह एक बड़ा मेटीरियल सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात ऑर्डिनेन्स के जरिये की गई है। ऑनरेबल मेम्बर ने जो अपने विचार रखे हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। सरकार को मान लेना चाहिए कि इन अधिकारों का उपयोग, जो जनरल एक्ट पास होने के समय हाउस की ओपीनियन ले ली गई उसी हाउस में पूरे डिस्कशन के बाद इस हाउस ने अपनी राय दे दी और राय देने के बाद आज हाउस के सामने इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आया और वह भी ऑर्डिनेन्स के जरिये आया। उसका जस्टीफिकेशन नहीं हैं। जस्टीफिकेशन यह है कि फलां तारीख जो मुकर्रर हुई है उसकी टर्म्स के साथ इस तरह का खिलवाड़ है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : This clause 3 does not relate to the 9th September incident.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It does not, but I had...

श्री सभापति : I may enjoin on the Hon'ble member to confine his speech to the amendment.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो अमेन्डमेन्ट में यह बात कही गई है कि हाउस ने इसको तय कर दिया, डिस्कशन के बाद कर दिया। उसके बाद पहली चीज़ तो यह हुई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौनसी सर्कमस्टान्सेज़ हुई और फिर आज इस हाउस में क्यों करते हैं? यह तो इस तरह से लगता है कि ×××× उसको ऑर्डिनन्स के जरिये करना कहां तक जस्टीफाइड है ?

श्री सभापति : I will call upon the Hon'ble member to withdraw this expression. It is not parliamentary, not correct and not becoming to the decorum of the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I may submit, Sir, that it is a proverb in Hindi, and it's use has been accepted in Hindi.

श्री सभापति : It is a proverb, not in a good taste.

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक चीज़ कर देते हैं और फिर उसको वापिस ले लेते हैं, यह तो मैं एक कहावत के रूप में कह रहा हूँ। आप कहते हैं तो इसको मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा सब्मिशन यह था कि इस तरह का हाउस ने डिसीज़न लिया, जनरल एक्ट में किया, जान–बूझ कर किया, तो फिर आज कौनसी स्थिति इस तरह की पैदा हो गई? इसलिए माननीय चौधरी साहब का जो अमेन्डमेन्ट उन्होंने मूव किया है सरकार उसके ऊपर फिर अच्छी तरह से गौर करे। इसमें आपकी स्थिति क्या होगी ? मैं आपको बताऊं, वह यह होने वाली है कि पंचायतों के इलेक्शन एक साथ नहीं होंगे। जैसे म्युनिसिपल कमेटी के होते हैं मर्जी से उसी तरह से होंगे। कहीं पंचायत समिति के चुनाव होंगे,कहीं नहीं होंगे। जब मौका हुआ तब करवा लिया। इससे हमारे राजस्थान में जागृति आने वाली है। आज हमारी हुकूमत है, कल को जनसंघ आ सकता है, दूसरा आ सकता है, उस हालत में स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। कानून बना रहे हैं तो उसको अच्छा बनाना चाहिए। जो आज म्युनिसिपैलिटीज़ का हाल हो रहा है जिसको बद्रीप्रसादजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वही हाल इनका हो जायेगा, अगर आपने एक साथ चुनाव नहीं कराये तो। मैंने आपकी घन्टी सुन ली है और एक मिसाल देकर ही समाप्त करता हूँ। एक रतनलाल नाम का आदमी है। उसके ऊपर एक केस चलाया गया कि तुमने कुछ एम्बेज़लमेन्ट किया है उसको सस्पेन्ड कर दिया। उसको सस्पेन्ड तो कर दिया वह दुबारा चुना गया और चुनने के बाद वह सस्पेन्शन आज तक एग्ज़िस्ट करता है, उसको चार्ज नहीं दिया जाता। उस आदमी की टर्म कब शुरु होगी?

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फिर आपने उसको इलेक्शन में खड़े होने की क्यों पॉवर्स दीं ? रतनलाल खड़ा हो गया तो वह जीत गया। मैंने इसके लिए कहा कि यह आपकी गल्ती है, तो उन्होंने कहा कि सोना तप कर और भी अच्छा निकलेगा। तो जहां छोटे हकीमों के नुस्खे लागू हों तो इस प्रकार का अधिकार देना बहुत गलत होगा। मैं कहूँगा कि हमारे यहां पंचायतों का महत्व है और जो एक साथ चुनाव होने का मामला है वह सब फेल हो जायेगा। इसलिए आपको, जो अमेन्डमेंट चौधरी साहब ने रखा है उसे स्वीकार करना चाहिए। पर मैं यह मानता हूँ कि आप इसको नहीं मानेंगे और जो आपने रखा है आप उसी को पास करवायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): चेयरमैन महोदय, जो आशंका इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में की गई है मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह आशंका इसके अन्दर कहीं भी नहीं है। इसका क्लॉज़ ७ यह है : "The term of a Panchayat shall be for a period of 3 years from the date of its first meeting."

हमने अब जो प्रोविज़न किया है वह यह है कि गवर्नमेंट डेट्स फिक्स करेगी। हमारे सामने दिक्कत इसलिए आई कि अब जो नई पंचायतों का निर्माण हुआ पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा कि पंचायतों का इलेक्शन शुरू हो जाता है उसकी मयाद कहां से शुरू होगी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक साथ इलेक्शन क्यों नहीं होते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए तो हमने यह सारा प्रोविज़न ही रखा है। राजस्थान में जब पंचायतों के इलेक्शन्स हुए उनकी जो पहली मीटिंग होगी वह तो अलग अलग डेट्स पर है। पंचायतों की पहली मीटिंग तो डिफरेन्ट डेट्स पर होगी ही, वह १० हो सकती है १२, १४, १६ कोई भी तारीख हो सकती है। हम चाहते हैं कि एक ही डेट होनी चाहिये। इसलिये सारी पंचायत समितियों की एक ही तारीख है। इसलिए यह रखा कि गवर्नमेंट डेट फिक्स करेगी....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, ७॥ हजार पंचायतें हैं तो ७॥ हजार डेट्स रख सकते हैं। You can have 7,500 different dates.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके सामने यह बात है। यह बात अमल में आ चुकी है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सब पंचायतों की डेट एक ही होनी चाहिये। अब क्या हुआ कि एक पंचायत का चुनाव हुआ, एक का नहीं हुआ तो उसकी डेट कौनसी होगी शुरू करने की ? अगर आप यह रखें कि इसके पहले ही डेट फिक्स कर देते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पहली मीटिंग की तारीख गवर्नमेंट करेगी तो यह बहुत मुश्किल हो जायगा। मान लीजिए कि एक पंचायत ऐसी हो सकती है कि जिसका इलेक्शन नहीं हो सका और उसका एक महीने बाद इलेक्शन कराया तो उसमें तो बहुत मुश्किल हो जायेगी। जो माननीय सदस्य का मकसद हैं उसको हम समझते हैं और वही प्रोविज़न यहां किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका मकसद तो पसन्द आ गया लेकिन कानून में

Page No.100

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आप यह साफ एक रख दीजिए कि इलेक्शन एक साथ होंगे सारे राजस्थान में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है। सारे इलेक्शन एक साथ ही होंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप एक्ट में प्रोवाइड कर दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये जो जनरल इलेक्शन्स एक साथ करवाये गये हैं उसमें डिफिकल्टी हुई। इसलिए ही यह ऑर्डिनेन्स लाया गया है। माननीय सदस्य ने कहा कि एक साथ इलेक्शन हों तो उसके लिए गवर्नमेंट डेट फिक्स करेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गवर्नमेंट क्यों डेट फिक्स करें ? एक ही साथ चुनाव होंगे सारे राजस्थान में, ऐसा कर लीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मन्शा यही है कि एक ही साथ होंगे, पर गवर्नमेंट डेट फिक्स करेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): I may be permitted to withdraw the amendment.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय मन्त्री महोदय रिप्लाई नहीं देंगे क्या ?

श्री सभापति : It is upto him. I ave already clarified.

श्री भैरोंसिंह : Reply must come by the Minister concerned.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको जवाब तो देना चाहिये अगर उनकी जानकारी में है तो।

श्री सभापति : I have just clarified that in relation to the Government reply any Minister comes within the definition of the term "Member-in charge of the Bill".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It is only when the Minister concerned is absent.

श्री सभापति : There is no such reference in the rules. It is for the Ministers to decide who shall reply on behalf of the Government.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): मैं जब आवश्यक समझूंगा तो जरूर कह दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यक समझें या नहीं, लेकिन एक बात यह है कि माननीय मन्त्री महोदय इन्टर्वीन कर सकते हैं और उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट किया होगा। लेकिन गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट के ऊपर क्या कहती है, इसका जवाब वही दे सकते हैं जो कि बिल को पाइलोट करते हैं। मन्त्री महोदय जो इसको पाइलोट कर रहे हैं उन्होंने ही मोशन कन्सीडरेशन के लिए मूव किया है और इसके लिए गवर्नमेंट का ऑथोरीटेटिवली रिप्लाई उनकी तरफ से आना चाहिये। मैं समझता हूँ माननीय मन्त्रीजी, जो

Page No.101

(श्री भैरोंसिंह)

इस विभाग के मन्त्री हैं और जो इस बिल को पाइलोट कर रहे हैं ; और जिन्होंने कंसी-डरेशन के लिये मोशन मूव किया है, इन सारी बातों के बारे में गवर्नमेन्ट की तरफ से क्या रिप्लाई है वह उन्हीं के मुंह से सुनने पर ही ऑथोरिटेटिव रिप्लाई मानी जा सकती है। इसलिये मैं उन माननीय मन्त्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अजमेर में जो भी गलती हो गई हो उससे घबराइये नही....

श्री सभापति (श्री विशंभरनाथ जोशी): I am sorry, it is open to any Minister to reply on behalf of the Government. There is nothing in the phraseology of Section 2, Definitions, to warrant such an interpretation.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I would request the ChairXXXX

श्री सभापति : Order please ! This is my final ruling. It cannot be challenged. It is absolutely clear from the language of the Section. The language of the Section does not admit any other interpretation. This is my final decision. The reply of the Hon'ble member is sufficient as a reply on behalf of the Government.

I would call Mr. Chaudhary to withdraw his amendments.

श्री भैरोंसिंह : ऐसा समझा जाय कि माननीय मन्त्रीजी जवाब देना नहीं चाहते; शायद वे इस विभाग की जानकारी नहीं रखते हैं और अयोग्य हैं....

श्री सभापति : Sorry, no such speculations are warranted. It is open for the Hon'ble member to reply when he thinks necessary. He said he will intervene in the debate. On behalf of the Government any Minister can reply in accordance with the rules.

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापतिजी ने कहा वह बिल्कुल ठीक ही कहा और मैं स्वीकार भी कर लूं तो क्या यह गलत कन्वेन्शन नहीं होगा कि मिनिस्टर महोदय पर डाइरेक्ट चार्ज लगाया जावे और वे बोलें नहीं ? यदि वे अयोग्य हैं तो त्याग पत्र दे दें....

श्री सभापति : I am sorry. I call upon the Hon'ble member who is a very senior member of the House not to make such charges.

एक माननीय सदस्य : No question of 'charges.' We are considering the bill.

श्री सभापति : Such an unhappy expression should not be used by a very senior and prominent member of the House. It is incumbent upon him to maintain the decorum of the House. I have given my ruling, and in accordance with Rule 308 it is final. It is absolutely clear from the phraseology employed and the wordings of the Section does not warrant such a presumption. As I said, the reply of the Government is given, and the matter is over. Now the Hon'ble

---

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.102

(श्री सभापति)

member from Sambhar may, if he so desires, withdraw his amendment.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): I wthdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री भैरोंसिंह(श्रीमाधोपुर) : इस पर मैं बोलूंगा ।

श्री सभापति : You should have given the notice.

श्री भैरोंसिंह : इस क्लॉज़ के डिलीशन के लिये बोलूंगा । This clause should be deleted.

श्री सभापति : You may complete it within 5 minutes.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने अपने मंत्रि-मंडल के एक मंत्री को बचाने की पूरी कोशिश की, उसके लिये मैं समझता हूँ संबंधित मन्त्रीजी उनके बहुत कृतज्ञ होंगे, लेकिन मैंने और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये थे उनमें से एक तो यह था कि आपने राजस्थान में पंचायतों के इलेक्शन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? इसका उत्तर मंत्रीजी ने दिया कि पहले कानून बना था उसमें यह रखा था कि एग्ज़िस्टिंग पंचायतों की मयाद ३१ जनवरी, ६१ तक हो जायगी, लेकिन इन पंचायतों के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं था । यह बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रखना गलत है । इससे कुछ पंचायतों की अवधि चार वर्ष की करनी पड़ेगी । आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसे कहीं गलत न समझा जाय और पोलिटिकल एडवान्टेज उठाना नहीं आंका जाय और कहीं जनता यह न समझने लग जाय कि जनतांत्रिक सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है । इसके लिये आसान तरीका यह हो सकता है कि सितम्बर में जिनके चुनाव हुए हैं उनकी अवधि भी १६६१ में समाप्त हो जाय, उनको भी १॥ वर्ष काम करने का अवसर मिलता है । सितम्बर १६५६ से जनवरी १६६१ तक का मौका मिलता है । मैं चाहता हूं कि इस

(श्री भैरोंसिंह)

क्लॉज़ का डिलीशन कर दिया जाय । यह परिस्थिति इस वजह से आई बताते हैं कि डीलिमिटेशन इस वजह से नहीं किया गया कि ८–९ मील का अन्तर पहाड़ी इलाके में पड़ जाता है । लेकिन मैं यह समझता हूँ कि डीलिमिटेशन इस पर्पज़ से नहीं किया गया कि डीलिमिटेशन की आड़ लेकर उनको प्रोटेक्ट कर सकें । मंत्रीजी इस बिल को और भी सुगम बना सकते थे । मैं कहूँगा कि इस क्लॉज़ को यदि नहीं रखते तो पोज़ीशन आज भी साफ हो सकती है । इसका अर्थ यह होगा कि अजमेर पंचायत समिति के चुनाव की अवधि बढ़ेगी और ८० पंचायतों के चुनाव फिर होंगे और बाकी पंचायतें मिल कर नये प्रधान का चुनाव कर लेंगी । वह ज्यादा अच्छा होगा और डिस्क्रिमिनेशन को एवोइड करने: वाला होगा, बजाय इसके कि जो गलती कर गये हैं उनको दुरूस्त करने के लिये संशोधन करें । मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन पर जो इल्जाम लगाते हैं उनसे बचने के लिये और डेमोक्रेसी का जो मूलभूत सिद्धान्त है उसके लिये भी इसका डिलीशन कर दिया जाय तो भ्रान्तियें दूर हो जायेंगी । कारण कि राजस्थान में इतनी पंचायतों के चुनाव हुए हैं तो ८० पंचायतों के चुनाव में कोई बाधा नहीं आने वाली है, लड़ाई नहीं होने वाली है । जिस व्यवस्था में लोगों को सन्देह की गुन्जा-यश है उसको हटा दीजिये । मैं मन्त्रीजी से
१ कहूँगा कि यदि उत्तर नहीं दे सकें और सदन को सन्तोष नहीं करा सकें तो वे सदन से क्षमा याचना करें और यदि वे क्षमा–याचना नहीं करते हैं तो सदन उनसे क्षमा–याचना करे और उनसे कहे कि मंत्री–पद को छोड़ कर पिछली बैंचों पर बैठें और पिछली बैंचों में से किसी को आगे आने दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : सभापति महोदय, इस चौथे क्लॉज को डिलीट करने के लिये जो प्रस्ताव रखा है इस सम्बन्ध में पहले के प्रसंग पर और अब भी इस तरह की बातें कही हैं, मैं समझता हूँ उन पर ख्याल किया जाय तो सदन में काम करना ही मुश्किल हो जाय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सदन का या आपका काम मुश्किल होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी) वहम की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी । माननीय मित्र ने मुझ पर लान्छन लगाये । मैं समझता हूँ, यह सोचने का तरीका गलत है कि पंचायत मंत्री की हैसियत से यह कानून पंचायतों के हित के दृष्टिकोण से लाया गया है । मैं आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ कि इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो कानून के खिलाफ हो । यह दूसरी बात है कि जो नियम बनाये जाते हैं वे किसी के माफिक पड़ जाते हैं और किसी के खिलाफ पड़ जाते हैं । जो माफिक पड़ जाता है कोई बात, तब कहते हैं अच्छी हुई और अगर खिलाफ पड़ जाती है तो कहते नहीं और पंचायतों की घटा बढ़ा कर बात कहते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहूँगा ....

श्री सभापति : No information is needed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: एक इन्फोर्मेशन लेनी है....

Page No.104

श्री सभापति : No. It is not permissible under the rules.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : If he is saying anything vague, I have a right to understand from him.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप यह बता दीजिये कि किसके पक्ष में पड़ी और किसके विपक्ष में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वास्तव में....

श्री भैरोंसिंह : किस पंचायत के विपक्ष में हो गई और किस पंचायत के पक्ष में हो गई ?

श्री सभापति : Order please ! It is not obligatory for him to reply. He has a right of reply and he is making a reply. You please listen.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने निवेदन किया ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, I would like to have a ruling about this. If something vague is being told and if the Members want to understand, will not the Chair help us to understand the point? We are not challenging his views. We want to know whether it was only for Ajmer or for whole of the Rajasthan, and if it was for whole of Rajasthan, why some Panchayats were let off ? हालांकि उनमें चेंज नहीं हुई लिमिटेशन में, वे चुनाव हुए हैं और ८६ पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। यह एक्सप्लेन करना चाहिये, दूसरे भी हैं....

श्री सभापति : I have understood the point. If any clarification is sought it can be done by raising a point of information. But fresh information cannot be sought in this manner.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें अजमेर का नाम व्यर्थ जोड़ा गया है। अजमेर के लिए नियम बनाये गये हों, ऐसी बात नहीं है, सारे स्टेट के लिए नियम बनाये गये हैं और सारी स्टेट पर एप्लीकेबल थे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या मंत्री महोदय इस बात का जवाब देंगे कि कुछ पंचायतों का नाम बतला दीजिये....

श्री सभापति : No interruption please.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो पंचायतें इस रूल में कवर होती हैं, वे उसमें कवर हुई हैं और जो नहीं होती हैं वे नहीं हुई होंगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इसमें क्लॉज बनाया गया है और माननीय सदस्यों ने जिसका विरोध किया है, मैं उस विरोध को मंजूर नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ, वह क्लॉज़ जैसा है वैसा पास किया जाय।

श्री सभापति : ठीक है। प्रश्न यह है

(श्री सभापति)

कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ना पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 'Noes' have it, Sir.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : 'Ayes' have it, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : 'Ayes' have it.

श्री सभापति : Would the Hon'ble members claim a division or whether it would suffice if......

श्री भैरोंसिंह : We claim a division.

(मत-विभाजन-सूचक घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता.।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'Noes' have it.

श्री पी. के. चौधरी : 'Ayes' have it.

श्री सभापति : I am of the opinion that this divison is being claimed unnecessarily. Therefore, under Proviso to Rule 286, I decide that the matter shall be determined by the members standing in their places.

Those in favour of the clause being passed may stand in their places.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : Including Shri Jwala Prasad ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Yes, of course.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैंने कहा कि पास करो, भाई।

श्री सभापति : Those who oppose it may similarly stand.

(दूसरी ओर के माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

The 'Ayes' have it. Clause 4 stand part of the Bill.

श्री भैरोंसिंह : वोट कितने हैं दोनों के ?

श्री सभापति : Ayes 28, Noes 6.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We are more than 9, Sir.

श्री सभापति : Any way, yon did not stand.

श्री भैरोंसिंह : सब खड़े हुए थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : All the Members on this side rose in their places and the number is much more than 9.

श्री पी० के० चौधरी : Only 9 rose. The decision has been given.

श्री सभापति : The House has now passed on to clause 5.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : We can challenge the votes also.

श्री सभापति : No, Clause 5. Dr Bahadur Singh.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, यह ठीक हो सकता है कि 'एज़' जीत गया, 'नोज़' हार गया; लेकिन सदन को इस तरह इत्तला नहीं दी जा सकती....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a point of order, Sir, under the rules pertaining to division, the declaration by the Speaker cannot be challenged.

श्री सभापति : Yes, it is not challengable and the Hon'ble members know it. There is no point in raising it again and again. It is simply tructing the business.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं इसे पेश नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : Not moving ? ठीक है, प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, it has now become the property of the House. He should first be allowed to withdraw.

श्री सभापति : No question of withdrawing. He is not moving it

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It has been taken as moved, I think.

श्री सभापति : No, no, it has not been taken as moved.

(मत-दान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत

(श्री सभापति)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 7, Shri P. K. Chaudhary.

(विराम)

He is not here.

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : I don't want to move.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं ७ (४) का विरोध कर रहा हूँ।

श्री सभापति : Beg your pardon ?

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके विरोध में बोलना चाह रहा हूँ। I want to oppose it.

श्री सभापति : Yes. Please confine your speech to five minutes.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : Yes, Sir, within three minutes.

जो क्लॉज़ ७ है, उसका सब क्लॉज़ (४) है, इसके अन्दर मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ, वह यह है कि इसमें रखा है कि कोई भी उप-सरपंच, जो कि सरपंच, प्रधान या प्रमुख बन जाने के बाद आयेगा, वह उप-सरपंच भी प्रधान बन सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस बात को पहले भी कहा था लेकिन सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वह प्रमुख बन जाता है तो उसकी स्थिति क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई सरपंच प्रधान बन जाता है, तो उसकी जगह पर जो उप-सरपंच है वह पंचायत का काम करेगा और पंचायत को रिप्रेजेन्ट करने के लिए पंचायत समिति में आयेगा। वह प्रधान या प्रमुख बन जाता है तो वहां का उप-प्रधान चुना हुआ है वह उप प्रधान पंचायत समिति को रिप्रेजेन्ट करेगा, न कि दूसरा चुनाव होगा। इन बातों को मद्दे नज़र रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उप-सरपंच प्रधान या प्रमुख बनने की अवस्था में किस तरह उपस्थित रहता है। यह चीज उठनी चाहिए और वह यह है कि मान लीजिये जो प्रमुख है, वह प्रमुख अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है तो उसके स्थान पर एक प्रधान बन जाता है और कोई सरपंच प्रमुख बन जाता है और बाद में वहां से हटाया जाता है तो क्या वह सरपंच रहेगा तथा प्रधान की जगह दूसरा चुनाव कराया जायगा ? और उप-सरपंच उसकी जगह सरपंच बन जाता है तो अविश्वास के प्रस्ताव के बाद जब वह लौटता है तो वह किस स्थिति में रहेगा, किस में नहीं रहेगा, वह जिला परिषद् का सदस्य रहता है या पंचायत समिति का सदस्य रहेगा ? एक जगह प्रधान है, वह प्रधान अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है तो उप-प्रधान उसकी जगह काम करेगा, जिस तरह पंचायत का उप-सरपंच काम करता है औ

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उप-प्रधान उसका प्रधान या प्रमुख बन जाने के बाद काम करेगा न कि सरपंच प्रधान बन जायगा और उसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिल जायगा। मैं समझता हूं, यह प्रोविज़न जो रखा गया है वह निरर्थक है और इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ऐसी अवस्था किसी रूप में, किसी परिस्थिति में पैदा हो सकती है। उसके कारण निवेदन यह है कि जो सरपंच जाने वाला है पंचायत से, वहां उप—सरपंच केवल पंचायत समिति में रिप्रेजेन्ट करने के लिए उस परिस्थिति में जाता है, उस परिस्थिति में प्रमुख या प्रधान बन जाता है; और कोई परिस्थिति नहीं हो सकती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां उप-सरपंच के प्रधान बनने का कोई प्रसंग नहीं आता। उप-सरपंच पंचायत समिति में प्रधान नहीं बन सकता, सरपंच की अनुपस्थिति में वह सरपंच को ही रिप्रेजेन्ट करेगा। तो मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय इसकी अहमियत को समझ गये होंगे। अगर नहीं समझे हों तो मैं अब भी समझाने को तैयार हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में जो अमेंडमेंट रखा गया है वह इतना ही है कि पंचायत समिति में सरपंच नहीं हो तो उप—सरपंच वहां जायगा और ऐसी दशा में पंचायत समिति का सदस्य होने के नाते प्रधान भी हो सकता है। पहले सरपंच का स्थान भी इसमें नहीं रखा था, सरपंच पंचायत समिति का प्रधान बन गया और किसी ने हाई कोर्ट में रिट कर दी और वह मन्जूर हो गई तो हाई कोर्ट द्वारा प्रधान पद से सेट—असाइड करने पर सरपंच भी नहीं रहा, इसलिये पहले यह सरपंच रखा गया। उप—सरपंच भी इसी प्रकार की संभावना को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि सरपंच की अनुपस्थिति में उप-सरपंच पंचायत समिति में जा सकता है और वहां पंचायत समिति का सदस्य होने के नाते प्रधान भी बन सकता है....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): प्रधान कैसे बन सकता है? वह वहां पंचायत समिति में जाता है तभी जब कि सरपंच प्रधान बन गया हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उप—सरपंच पंचायत समिति का मेम्बर बन गया तो मेम्बर होने के नाते वह प्रधान भी बन सकता है। इस प्रकार की पोज़ीशन के लिये यह प्रोवाइड किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय: वह प्रधान कैसे बन सकता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह तो कानून में है कि जो पंचायत का सरपंच है वह पंचायत समिति में जायगा, सरपंच नहीं है तो उप-सरपंच जायेगा, किसी सरपंच की डेथ हो गई तो उप—सरपंच पंचायत समिति में जायगा, वहां वह पंचायत समिति का प्रधान हो जाता है....

श्री दयाकृष्ण विजय: उप—सरपंच पंचायत समिति में सरपंच को रिप्रेजेन्ट करने के लिये ही जायेगा। वह कैसे प्रधान बन सकता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: सरपंच नहीं है तो उप-सरपंच प्रधान बन सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह तो सरपंच को रिप्रेजेन्ट करेगा, सरपंच के जाते ही वह वापिस पंचायत समिति से आ जायगा।

श्री सभापति : No arguments please. The Hon'ble member has stated his point and Hon'ble Minister will give a reply. This questioning will not be allowed.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच नहीं हो तो उप–सरपंच को राइट है कि वह पंचायत समिति में जावे और वहां पर जाने की हालत में पंचायत समिति का सदस्य होने के नाते वह प्रधान भी बन सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कैसे बन सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच नहीं है, उसके नहीं होने के कारण उप–सरपंच पंचायत समिति में जायेगा और वहां वह प्रधान भी बन सकता है........

श्री सभापति : There can be no end to this sort of reasoning and arguments.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में अधिकार है, वह उप–सरपंच पंचायत समिति का प्रधान बन जाय तो उस स्थिति में जिस तरह कि सरपंच के लिये यह प्रोविज़न रखा है उसी तरह उप–सरपंच के लिये भी रखा है।

श्री सभापति (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ८ और ९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ८व९ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ व ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १०, डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मेरे इस क्लॉज़ में ५ अमेंडमेंट्स हैं। वैसे तो मुझे इस पूरे क्लॉज़ से ही विरोध है, पर यदि सरकार लागू करना ही चाहती है तो मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करें।

मेरा पहला अमेंडमेंट यह है : "In sub-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

section (1) of new Section 65D (1) insert the words " In case of emergency only" between the...

श्री सभापति : The amendments may all be taken as moved and you will kindly commence your speech.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो सबसे पहला यह है कि जैसे कोई एमर्जेन्सी आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, देवी आपत्ति आ गई हो उस वक्त सरकार को अधिकार देना चाहिये कि कम्पल्सरी सहायता ले सकें। २/३ मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो बेगार ली जा सकती है फिर मेरा संशोधन यह है कि २/३ के स्थान पर ३/४ लागू कर दिया जाय।

फिर मेरा संशोधन यह है कि श्रमदान का एक महत्व है उसमें किसी के द्वारा पैसे दिये जाने की बात नहीं आनी चाहिये, जब कि ३/४ मेजोरिटी से प्रस्ताव पास कर देते हैं और एमर्जेन्सी का केस है तो यह नहीं होना चाहिये कि पैसे देकर कोई बच जाय। फिर राज्य सरकार की स्वीकृति की कोई बात नहीं होनी चाहिये कि प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे और सरकार फिर स्वीकृति दे। कोई बांध टूट रहा हो उस समय कहें कि प्रस्ताव पास किया जायगा, फिर राज्य सरकार के पास भेजा जायगा और उसकी स्वीकृति आने पर यह अधिकार काम में लाया जायगा, इससे तो वक्त पर कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। ३/४ मेजोरिटी से प्रस्ताव पास कर देते हैं तो बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के हो कर देना चाहिये।

मेरा एक संशोधन यह है कि इसमें २१ वर्ष की आयु वाले लोगों से काम लेने का लिखा है। इसमें मेरा सुझाव है कि १६ वर्ष कर दिया जाय। स्कूलों के मैट्रिक पास लड़के हैं वे तो गांवों में जाकर काम करें, यह सरकार चाहती है तो १६ वर्ष के लोगों से काम ले। इस तरह मेरे ये पांच या चार संशोधन हैं।

श्री सभापति : The Hon'ble Member-in-charge of the Bill will please make a reply and in view of the limited time I will request him to please make a brief and pointed reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, ...

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.) : कुछ संशोधन आते हैं तो उनके समर्थन में बोलने के लिये समय दिया जाना आवश्यक है।

श्री सभापति : The reply has commenced.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने यह रखा है कि : " In respect of any work of general public utility..."

तो एमर्जेन्सी की बात कह कर इसको सब्स्टीट्यूट करना ठीक नहीं होगा।

श्री सभापति : The Hon'ble member may also move his amendment to clause 10, if he so desires.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेबर की प्रतिष्ठा करनी है तो पैसे की प्रतिष्ठा कायम नहीं करनी चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और क्या इलाज हो सकता है, पंचायतों के पास पुलिस वगैरह तो है नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उससे पैसा कैसे लेंगे ?

श्री सभापति : This is no stage for suggestions. Yes, your amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३/४ मेजोरिटी की कोई आवश्यकता नहीं; २/३ मेजोरिटी का रखा है वह बिल्कुल ठीक है । माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट के पास आना जरूरी नहीं, अभी तो शिकायत की जा रही थी कि पंचायतें मनमानी करेंगी । मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट के पास आना जरूरी है । आपने २१ के बजाय १६ वर्ष तक के लोगों से काम लेने का संशोधन रखा है, यह तो और भी वाइड हो जायगा ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह का क्लॉज़ है वैसा ही पास कर दिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० विधेयक का अंग बने........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have one amendment...

श्री सभापति : I advised you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : भाषण हो गये, जवाब हो गया, मोशन पुट कर दिया, इसके बाद अमेंडमेंट पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पारित नहीं हुआ है । It has not been passed yet.

श्री सभापति : अभी पारित नहीं हुआ है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'मेड' की जगह 'मेल', यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है उसको ठीक करने के लिये है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है "adult made residents" का मतलब यह होगा कि 'the residents who have been made or produced by the adults of the village.' जो बच्चे हैं उनसे भी लेबर लिया जावेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'male' की जगह 'made' था, और यह प्रिन्टिंग मिस्टेक थी, इसकी दुरुस्ती के लिये यह एमेंडमेंट है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़, एज़ एमेंडेड, पारित किया जावे ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): On a point of order Sir, Clause 10 has already been passed.

श्री सभापति : No. Not passed.

Page No.112

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० में जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जावे ?

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Once a clause is referred for voting, there cannot be any amendment to be moved by any Hon'ble member.

श्री सभापति : The amendment has been moved and it is there before the House and the opinion of the House is being ascertained. The question is that the amendment moved by Shri Badri Prasad Gupta be accepted ? Those in favour may please say 'Aye'.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : There can be no point of order when the Chair iss on it legs.

श्री सभापति : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, the amendment is in the name of Shri Hari Bhau Upadhyaya and it cannot be moved by Shri Badri Prasad Gupta.

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : Whose amendment has been passed ?

श्री पी० के० चौधरी : Sir, the amendment cannot be moved by Shri Badri Prasad Gupta.

श्री सभापति : I think this point has been clarified again and again.

श्री ज्वालाप्रसाद : You may see the proceedings. Shri Badri Prasad Gupta has moved the amendment.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Sir, under Rule 294 (6) (c) "A member shall not raise a point of order when a question on any motion is being put to the House."

श्री सभापति : That is clear. That has been decided.

The question before the House is that the amendment moved by Shri Badri Prasad Gupta to Clause 10 be accepted.

(स्वीकृत)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): On a Point of order, Sir, "A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment." So the moment Shri Badri Prasad stood up to move...

श्री सभापति : संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी (जारी) : The moment Shri Badri Prasad Gupta moved his amendment and you...

श्री सभापति : It is absolutely all right, but there is other clause also which enjoins that when a question

(श्री सभापति)

on any motion is being put, there shall be no point of order. That overrides your contention.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir. The point was...

श्री सभापति : There cannot be any point of order when the Chair is on it's legs.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, it is right that the point of order should not be raised when the Chair is on its legs but at the same time it will be very kind of the Chair to see that when a member raises a point of order, he should give the member a chance to raise that point of order by sitting down.

श्री सभापति : If there is a substantial point, not otherwise.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १० में श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०, एज़ एमेन्डेड, विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Point of Order, Sir, I think the proceedings are going wrong. I do not know...

श्री सभापति : You are not allowed to make a speech. You can raise a point of order. Now clause 10 stand part of the Bill.

श्री मोतीलाल : तब तो....

(घंटी)

श्री सभापति : Clause 11.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Point of order, Sir, I think the amendment was not passed by the House. It was only moved and not put to vote of the House.

श्री सभापति : The decision is there and it is quite valid. The House has now proceeded to clause 11. If you have anything on clause 11, you may please say.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ११ में सेक्शन ७३ (ए) में नया प्रोवीज़ो जोड़ने का मेरा संशोधन है, जो इस प्रकार है : "Provided that if a Panchayat is reconstituted by elections then the term of the said Panchayat shall be three years."

सभापति महोदय, मान लें कि जिला परिषद् ने या किसी पंचायत ने दो साल काम किया, उसके बाद उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसका एक साल या

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

१० महीनों का समय बाकी होता है उस समय दुबारा चुनाव करा लिये जाते हैं तो बाकी के जो ८ या १० महीने बचे हैं उसी समय तक वह काम करेगी, यह गलत है। सभापति महोदय, भारत के संविधान में साफ है और अभी उड़ीसा और केरल के उदाहरण हैं कि जब बीच में चुनाव हुए तो उनको जनरल इलेक्शन में बीच में नहीं लिया गया। इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि यह तीन वर्षों तक रहेगा या १ साल या ६ महीने रहेगा; उसके बाद से तीन साल का समय भुगताया जावे। जनरल चुनाव तीन साल बाद होने चाहिये, उसके बीच में कट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का मेरा संशोधन है। सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इसलिए रखा है कि हम सारे के सारे जनरल इलेक्शन एक साथ कराना चाहते है। अभी अजमेर के बारे में कहा गया कि मयाद खत्म नहीं हुई। इस तरह से एक जनरल डिफिकल्टी हो जावेगी। इसलिए सब के एक साथ चुनाव कराने के लिये एक तारीख होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और जिस प्रकार से यह क्लॉज़ है उसी रूप में पास किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ में जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखे हैं वे स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ १२, डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं इसको पेश नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : Shri Jagdish Prasad Mathur, you may make a very brief speech. We have to remember that this entire Bill has to be passed today according to the List of Business.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): सभापति महोदय, मेरा जो यह संशोधन है वह इसलिये हैं कि इसमें जो विहिकल्स रिक्विज़िशन करने के पॉवर्स दिये गये हैं उनमें यह होना चाहिये कि किन्हीं पोलिटिकल पार्टीज़ के विहिकल्स नहीं लिये जावें। पहले चुनावों में इस प्रकार का प्रश्न आया था। नागौर जिले में एक गाड़ी थी जो पार्टी के काम आती थी, वह भी हमारी सरकार के अधिकारियों ने रिक्विज़िशन कर ली और वह पोलिटिकल नेताओं के इशारे से ऐसा करते हैं। इसलिए पोलिटिकल पार्टीज़ के विहिकल्स हैं वे रिक्विज़िशन नहीं किये जावें।

श्री मोतीलाल (डीडवाना): अब तो पांच बज चुके हैं, कार्यवाही समाप्त की जाए।

श्री सभापति : I will draw the attention of the House to Rule 282. "At the appointed hour, in accordance with the time limit fixed for the completion of a particular stage of a Bill or a motion, the Speaker shall......forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or motion.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): The hour is past, Sir. So the question be put.

(५. म० प०)

श्री सभापति : Member-in Charge.

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order, Sir, the hour is past. It is not necessary that the Minister may reply.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, रूल्स के अनुसार समय में वृद्धि की जा सकती है और मैं मूव करता हूँ कि समय को पांच से लेकर ५॥ बजे तक कर दिया जाय।

श्री सभापति : Is it the sense of the House that we may have an opportunity of discussing all the relevant clauses at leisure so that every member may have an opportunity?

(विराम)

क्या सदन की यह राय है कि कुछ समय के लिए, करीब आधा घंटा के लिए, सदन की कार्यवाही बढ़ा दी जाय ?

कुछ माननीय सदस्य : No, Sir.

अनेक माननीय सदस्य : Yes, Sir.

श्री सभापति : कार्यवाही आधा घंटा के लिए और बढ़ाई गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो अमेंडमेंट रखा गया है कि पोलिटिकल पार्टीज़ की विहिकल्स को एक्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिये, मैं निवेदन करूंगा कि सब ही पोलिटिकल पार्टीज़ एप्लाई करती हैं। यह जो हमने रखा है वह सेन्ट्रल पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के मुताबिक रखा है। जो माननीय सदस्य ने बताया वैसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए इसको जैसा है वैसा ही पास किया जाय।

(विराम)

सभापति महोदय, एक अमेंडमेंट गवर्नमेंट की ओर से है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Has it been circulated ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, it has been circulated. इसमें केवल लैंग्वेज करेक्शन की बात है।

श्री पी० के० चौधरी : Sir, I draw your attention to Rule 71, "If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of

Page No.116

(श्री पी. पी. चौधरी)

the amendment, and such objection shall prevail."

श्री सभापति : I will refer the Hon'ble member to the latter portion of the Rule, "..unless the Speaker allows the amendment to be moved."

श्री पी. के. चौधरी : We have raised a point of order. Now the Hon'ble Chairman should give due weight to it. The members of the House are responsible for passing a Bill and they would not like to pass a Bill which is not in consonance with their conscience, and it would be very unjust to them if the Hon'ble Chairman permits the amendment to be moved.

I have raised a point of order, and I hope the Chair will be very liberal with the members of the House and will not allow this amendment to be moved.

श्री सभापति : But it has been circulated.

श्री पी. के. चौधरी : It has been circulated just today. According to rules it should have been circulated earlier.

श्री सभापति : Permission has been accorded by me under proviso to the Rule. So the amendment may be moved. It may be moved by the Hon'ble member in whose name stands.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): सभापति महोदय, मैं नीचे लिखा संशोधन प्रस्तावित करता हूँ : "In new Section 83 (C)..."

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह और बता दिया जाय कि मूव करने का कारण क्या है, किस वजह से मूव कर रहे हैं ?

श्री सभापति : Have patience. He will tell it.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : In new Section 83 (C) proposed to be inserted, substitute "such officer or authority" for "such authority" occuring in line 4.

स्पष्टीकरण के लिए 'ऑफिसर' शब्द जोड़ा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'ऑफिसर' और 'ऑथरिटी' में कोई फर्क नहीं है।

श्री सभापति : There is a difference and the Hon'ble member knows it.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble member may be asked to explain the reasons for these changes.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कहीं 'ऑथरिटी' शब्द आता है, कहीं 'ऑफिसर' शब्द आता है।

श्री पी. के. चौधरी : What is the difference ?

श्री सभापति : I am sorry. This is a very broad distinction. We are not holding a Kindergarton class here.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने अभी प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया ।

Shri Jagdish Prasad Mathur. Withdrawing ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): No, Sir.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२ में श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि सेक्शन ८१ में १ साल कर दिया जाय ।

श्री सभापति : You have not given any notice. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२, एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): On a point of order Sir, The Hon'ble member wants to speak on clause 12. Why should he be debarred from speaking on it ?

श्री सभापति : He wants to speak on the amendment. That has been put to vote and decided.

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir.

श्री सभापति : Yes, it is absolutely clear.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

The question is that Clause 1, Preamble and Title stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, preamble and Title are added to the Bill.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : I will call upon the Hon'ble member to make a brief speech. Kindly conclude your speech with in five minutes.

श्री भैरोंसिंह : अभी तो टाइम है।

श्री सभापति : Still, another member may like to speak.

श्री भैरोंसिंह : सब ही मेम्बरों ने मुझे अनुमति दी है कि मैं अकेला ही बोल लूं।

श्री सभापति : It cannot be presumed. At the most not more than ten minutes.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, सदन में पंचायतों के इलेक्शन को लेकर जिस प्रकार की सूचना सदन के माननीय सदस्यों ने दी है उस सब का एकमात्र सारांश यह निकलता है कि हमारी राजस्थान सरकार डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर वाहवाहियों को लेकर राजस्थान में और राजस्थान के बाहर जिस प्रकार का प्रचार कर रही है और जिस प्रचार को लेकर आगामी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमारी सरकार कई प्रकार की योजनायें बना रही है, मुझे ऐसा है लगता कि विधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि के नाते जनता की भावनाओं को सदन में व्यक्त करते हैं और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावना सदन में उनके द्वारा सुनने को मिलती है। आज जो बातें हमें सुनने को मिलीं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान की पंचायतों के चुनावों में निश्चित रूप से धांधली हुई है। इस सदन में जितने भी माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं, एक को छोड़ कर सारे सदस्यों ने चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही की कटु आलोचना की है: यह इस बात का संकेत है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो डिफेन्स किया है और इस बात के विपक्ष में बोले हैं उनके ऊपर सरकार के मन्त्री होने के नाते एक बात का दायित्व है इसलिये सरकार को जिस प्रकार से भी हो, बचाने की चेष्टा की है। वोट के नाते हम यदि इस सदन में जिन जिन सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उनको देखकर चलते हैं तो मन्त्रीजी चाहे कुछ भी उत्तर दें, वोट्स उनके पास किसी भी तरह के हों, वे कितने ही ज्यादा हों, लेकिन भाषणों में जो बातें कही हैं उनसे साफ पता चलता है कि पंचायतों के चुनावों में निश्चित रूप से अनियमितता हुई है और सरकारी हस्तक्षेप और ज्यादतियां हुई हैं।

दूसरा प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार की ज्यादतियां इन चुनावों में हुई हैं उनसे यह भी निश्चित है कि उन ज्यादतियों के कारण पंचायत राज्य के सम्बन्ध में जिस वातावरण की हम अपेक्षा करके चल रहे थे उस प्रकार का वातावरण नहीं बन सका है और उस प्रकार का वातावरण नहीं बन सकने के कारण हमारे प्लान का सारा जो आधार है, रूरल डेवलपमेन्ट के प्लान का आधार है उसमें पंचायतें और पंचायत समितियां ही हैं; अगर हम इनमें सही वातावरण नहीं पाते हैं तो कोई भी

(श्री भैरोसिंह)

आदमी यह कह सकता है कि हमने एक चीज़ को स्वीकार कर लिया और जिसको कानूनी रूप दे दिया उसके अनुसार चुनाव करा दिये उससे किसी प्रकार भी पीछे नहीं हट सकते। मैं निवेदन यह करूंगा कि जिस वातावरण की कल्पना करके चल रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण हम पंचायतों में देखना चाहते थे, जिस प्रकार का हमने संकल्प किया था वह संकल्प पूरा नहीं हो पाया। वह पूरा न हो पाने के कारण उससे हानि केवल एक व्यक्ति को नहीं। पूरे राजस्थान के लिये वह हानिकारक हुआ है। इसलिये जो चीज सारे राजस्थान के लिये हानिकारक हो गई है तो सरकार का कर्तव्य है कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। मुझे इस बात का खेद है कि मैं इसके लिये माननीय मन्त्री महोदय को जिम्मेदार ठहराऊं। यह जिम्मेदारी डाइरेक्टर ऑफ पंचायत्स पर आमद नहीं की जा सकती, न किन्हीं कलेक्टर्स पर और न बी० डी० ओज़० पर ही की जा सकती है, यह जिम्मेदारी सारी इस विभाग के जो मन्त्री हैं उन पर यह सदन जिम्मेदारी आयत करता है। पंचायत चुनावों के अन्दर कई प्रकार की अनियमिततायें हुई हैं। और माननीय मन्त्री महोदय का यह कर्तव्य था कि वे किसी प्रकार की अनियमितता न होने दें और न किसी प्रकार की धांधली होने दें। लेकिन जो धांधली हुई, जो अनियमिततायें हुई उनके लिये आज की सदन की कार्यवाही सुबूत है। इसके लिये माननीय मन्त्री महोदय एक्टिव हो सकते थे, सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकते थे। राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अभी तक इतनी डीमोरेलाइज़ नहीं हुई है कि वे कहें और उनकी आज्ञा का पालन न किया जाय और अनियमिततायें उसी प्रकार होने दें। मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन उन मजबूरियों को दूर करने का कार्य है हमारे मन्त्री महोदय का। इस स्थिति के अन्दर मैं कह सकता हूँ कि पंचायतों के चुनावों के कारण जिस प्रकार का गंदा वातावरण पैदा हुआ है उसकी पूरी जिम्मेवारी पंचायत विभाग के जो मन्त्री महोदय हैं, उन पर है। इसके अलावा चाहे उनके खिलफ किसी प्रकार का नो कॉन्फीडेन्स का मोशन लाने की आवश्यकता नहीं, सदन का जिस प्रकार का वातावरण है और जिस प्रकार के भाषण आज माननीय सदस्यों के हुये हैं वे इस बात का संकेत देते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय पर सदन के एक भी माननीय सदस्य का विश्वास नहीं है। वैसी हालत में पंचायत राज्य को बिगाड़ने से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि जो वातावरण बन गया है उसके कारण पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम जो काम करना चाहते हैं उस पर कन्ट्रोल नहीं हो सकता। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय को कोई अधिकार नहीं कि वे इस विभाग को अपने हाथ में लिये हुये रहें।

सभापति महोदय, आज जिस प्रकार की बातें इस सदन में माननीय सदस्यों ने रखो हैं वे बातें ऐसी नहीं जिनको हम छोटी-मोटी समझ कर छोड़ दें। उससे राजस्थान की करोड़ों जनता का सवाल है, करोड़ों रुपयों का सवाल है, राजस्थान की बहबूदी का सवाल आता है। अतः हमें इसको बड़ी गंभीरता से देखना चाहिये और जब हम गंभीरता से देखेंगे तो मैं समझता हूँ और इसलिये

Page No.120

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि जो चीज उनके काबू की नहीं है उसे छोड़ देना ही उनके हित में और राजस्थान के हित में है। आपके पास और साहित्य का काम है तो वह करिये, दूसरे कामों को करिये। आपको मैं तो मन्त्री पद से हटा नहीं सकता, यह सदन हटा सकता है। डेमोक्रेसी के अन्दर केवल ब्रूट मेजोरिटी पर ही बने रहना डेमोक्रेसी के स्वस्थ विकास के लिये एक प्रकार से बाधक है। इसलिये मैं उनसे कहूँगा कि सदन के वातावरण को देखते हुए वृद्धावस्था में आप इससे छुट्टी ले लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो मैं इस सदन से कहना चाहता हूँ कि हमें आगे आने वाले समय में जो कुछ गल्तियां इस समय कर रहे हैं उनका भान होगा उस समय यह कहेंगे कि हमने कुछ गल्तियां की है जिनके कारण राजस्थान का वातावरण दूषित हो गया। सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कोआॅप्शन के क्लॉज़ के बारे में........

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of Order Sir यह बिल चूंकि आज अमेन्डेड हुआ है इसलिये आज इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : It has been allowed

श्री मूलचन्द डागा : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहा हूँ, माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

श्री सभापति : The stage has gone.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,जयपुर): स्वीकर परमिट कर दें तो आज विचार किया जा सकता है।

श्री सभापति : No mutual discussion pleae. The Hon'ble member is in possession of the floor.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय पंचायत और जिला परिषद् एक्ट पास हुआ था उस समय सदन के माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे थे कि कोआॅप्शन की व्यवस्था हटा दी जाय। हमने कहा यह नोमीनेशन का जो स्थान है वह कोआॅप्शन से लिया जा रहा है इसलिए उस समय कोआॅप्शन का विरोध किया था। उसके साथ साथ यह भी कहा था कि जो चुनावों के लिये लम्बा समय रखा जाता है वह भी खत्म किया जाय। इन दोनों चीजों के बारे में काफी बहस हुई। उस समय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि कोआॅप्शन के बिना हमारी पंचायतें और पंचायत समितियां चल नहीं सकतीं और न उनकी परिस्थिति ही ठीक हो सकती है। अभी दो-तीन दिन पूर्व उनकी जुबान से हमने सुना है, कोआॅप्शन के बारे में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं अगर इस संबंध में कोई सुझाव आयेगा तो सामुहिक रूप से, गम्भीरता से विचार करके उस पर निर्णय लिया जायेगा। अगर हम इस प्रकार से पंचायतों के अन्दर परिवर्तन नहीं ला सकें तो जहां आज हमारे बजट में दिवालियापन गुप्त रूप से नजर आता है आगे जाकर यह स्थिति आ सकती है कि जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से हमें

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान के बजट में दिवालियापन प्रतीत हो। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री महोदय से और सम्पूर्ण मन्त्रि–मण्डल से निवेदन है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। जहां हम इस विभाग द्वारा जनता की सेवा करने-वाले हैं वहां हमें यह भी सोचना होगा कि यह विभाग जिन मन्त्री महोदय के हाथ में है, क्या वे इसके लिये योग्य भी हैं या नहीं। मौजूदा मन्त्री महोदय वृद्धावस्था के कारण इस विभाग के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। अच्छा हो, यदि वे खुद ही इस डिपार्टमेंट को छोड़ कर दूसरे को सौंप दें, ताकि पंचायत राज्य अच्छी तरह से फले–फूले। इसके लिये जो कार्य करने के लिए तत्पर हों उन मन्त्रीजी को यह विभाग सौंपा जाय। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : अभी पंचायत के संशोधन बिल के सम्बन्ध में बोलते हुए माननीय सदस्यों में से कुछ ने यह बात कही, मैं उनको जवाब तो नहीं देना चाहता, पर मेरी खुद की जो राय है उसे हाउस के सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कोई इस भ्रम में न पड़े कि जो बातें उन्होंने कही हैं वे सभी सत्य हैं। राजस्थान के अन्दर विकेन्द्रीकरण का सिलसिला चालू होते हुए ही ऐसी बात देखता हूँ कि राजस्थान में ही नहीं; हिन्दुस्तान में भी उसका अनुकरण होना शुरू हुआ है और सही कहा जावे तो यह राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि हम राजस्थान की सेवा इस सही रूप से कर रहे हैं।

सारे राजस्थान के चुनावों में गड़बड़ियां हुई, कहा गया....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : On a point of order, Sir, I refer to Rule 86 of the Rules of Procedure which says:—

"The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

श्री सभापति : That is right.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The merits of the Bill are with regard to the passing or rejection of the Bill. No defence of the charges be made. He should confine his arguments to the merits of the Bill that the Bill be passed and not to the charges.

श्री सभापति : He is supporting the Bill. So I will call upon the Hon'ble member not to go into the details of a particular Section, but only to the general speech.

श्री मोतीलाल : यह कहने की जरूरत नहीं कि डेढ़ करोड़ जनता में चुनाव होने से काफी नये अनुभव आये, काफी बड़ा प्रबन्ध करना पड़ा और उसमें कहीं दो–चार दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इतने बड़े प्रबन्ध

(श्री मोतीलाल)

में। पर फिर भी जिस खूबी से इतना बड़ा इलेक्शन कराया गया उसके लिए मन्त्री महोदय की तारीफ ही की जानी चाहिये। छोटी-मोटी २०० म्युनिसिपैलिटियां हैं उनमें चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। इसके उपरान्त भी उन अड़चनों को दूर करने के लिए इस संशोधन की जरूरत समझी है, इसलिए इसे यहां लाया गया है। शायद आगे भी इस प्रबन्ध को और मजबूत करने के लिए समय समय पर संशोधन लाने पड़ें। चुनाव होने के बाद ही कमियां नज़र आती हैं। इसीलिए तो यह विधान सभा है और आपकी और हमारी जरूरत है। इसलिए यह संशोधन आना चाहिए और मन्त्री महोदय पर विश्वास-अविश्वास की बात कही, यह जिस तरह से आई उस तरह से नहीं आनी चाहिये। हमें तो खुशी होनी चाहिये कि वृद्ध सज्जन हमारे पास गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : 5 minutes.

श्री सभापति : No, Sir. The question be now put. प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, १९६१, एज़ अमेन्डेड, पारित किया जावे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): The Minister should reply.

श्री सभापति : If necessary.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पांच मिनट का समय है। मिनिस्टर साहब जबाब नहीं देंगे तो वे बोलेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): इस विधेयक के पास होने के दौरान में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और न थी, पर अन्त में माननीय सदस्यों ने, कुछ ने जिन बातों का उल्लेख किया और यह बताने की कोशिश की कि पंचायतों का काम इस राजस्थान में इस तरह से चल रहा है कि आगे उससे बड़े बड़े खतरे आनेवाले हैं। अभी आठ दिन पहले तक, मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि सारे राजस्थान में चारों ओर से यह ध्वनि निकलती रही थी, बीसों जिनमें यहां के माननीय सदस्य भी होंगे, गण्यमान्य नागरिक भी होंगे, दूसरी पार्टी के लोग भी होंगे जिन्होंने कहा था कि जिस प्रकार शांति के साथ यह पंचायतों का भारी भरकम चुनाव हुआ वह प्रशंसनीय है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैंने नहीं कहा। फिर शान्ति से मेरा मतलब 'लड़ाई-झगड़े' से था।

श्री सभापति : No interruption please.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : और इस बात का सुबूत है यह कि आज ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ७ हजार से ऊपर पंचायतों में ४० ऐसी रहीं कि जिनका चुनाव स्थगित करना पड़ा और १५ के करीब ऐसी थीं कि जिनमें लड़ाई-झगड़ा हुआ। सोचने की बात है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अगर दक्षता, योग्यता, निष्पक्षता और

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ईमानदारी से काम न लेते तो किस प्रकार इतने बड़े चुनाव सम्पन्न हो सकते थे। मैं तो इस विचार का आदमी नहीं हूँ कि किसी की नीयत पर शक करूं और शक करके चलूं। पर मुझे ऐसा अब प्रतीत होने लगा है आज की बहस से कि शायद अगले चुनाव, चूंकि थोड़े नजदीक आ रहे हैं इसलिये जो ख्यालात लोगों के इस बारे में पहले थे वे अब किसी न किसी कारण से बदल रहे हैं। हो सकता है ऐसा न हो, पर मेरे मन पर इस तरह का प्रभाव पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा ऐसा कुछ खयाल नहीं था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फिर वे चुनाव तो जो आने के हैं आवेंगे ही; चाहे पार्टीबन्दी हो या कोई राजनैतिक कारण हों। अब इसको नजर में रख कर यहां कुछ कहा जावे तो मैं नहीं समझता कि वह महत्वपूर्ण बात होगी।

जहां तक धांधली का सवाल है मैं इन्कार नहीं करता। एक-आध जगह हुई होगी। मेरे पास भी इसकी शिकायतें आई हैं। इतने बड़े चुनाव में एक-आध जगह धांधली होना कोई बड़ी बात भी नहीं। पर इसका भी उपाय है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। किसी अधिकारी के बारे में किसी को शिकायत हो तो गवर्नमेंट को लिखा जा सकता है....

श्री भैरोंसिंह : कोई उपयोग नहीं है आपको शिकायत करने का।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप तो पिटीशन में जाने के बजाय खुद ही सस्पेन्ड कर देते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप अब इनके बारे में आशान्वित हैं या निराश हैं, मैं इसके लिये जिम्मेदार नहीं हो सकता। सरकार के लिये कह सकता हूँ कि सरकार का हर अधिकारी, हर कर्मचारी अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और दिल से, ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करता है। अब यह तो हमारे देखने की बात है कि हम जब तक हैं किस प्रकार से काम करते हैं। हमें जितनी भगवान् ने योग्यता दी है हमने उसके अनुसार काम किया है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और मुझे कोई आशंका नहीं है, जैसी आशंका माननीय सदस्यों ने यहां प्रकट की है। कोई बड़ा भारी तूफान नहीं आने वाला है, कोई बड़ा भारी संकट नहीं आने वाला है, अगर ऐसे ही पंचायतों की व्यवस्था आगे भी चलती रही तो। उनका शक निरर्थक है। मैं आशा करता हूँ कि वे अच्छी तरह से घर में शान्ति से बैठकर इसे सोचेंगे; जो मैंने कहा वह सत्य है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करें।

Page No.124

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंड) बिल, ६१, एज़ अमेंडड, पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

The House now stands adjourned to meet to-morrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.२९ बजे, कल, दिनांक ११ मार्च, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.125

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, १० मार्च, १६६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १५०४

आॅस्ट्रेलिया में प्रशिक्षणार्थ भेजे गये व्यक्तियों द्वारा कार्य संपादन।

पाली तहसील के खारडा बांध की मरम्मत।

किशनगढ़ हाथ–कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड ।

रोहट छाया खण्ड में कुओं के निर्माणार्थ पंचायत समिति द्वारा वितरित धन-राशि ।

लाडनूं नगरपालिका क्षेत्र में विरांजी स्थानान्तर्गत अधिकृत भूमि ।

जालूपुरा भवन निर्माण समिति, जयपुर ।

राजस्थान नहर के अन्तर्गत लिफ्ट इर्रिगेशन योजना ।

आमेर तथा आबू में मच्छी उद्योग के विकासार्थ फिंगरलिंग्स का स्टॉक ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स।

जयपुर जिले की बुनियादी पाठशालायें ।

झालावाड़ जिले में बिना लाइसेन्स के पैथड्राईन इन्जेक्शन का क्रय-विक्रय ।

सीकरी बन्ध, जिला भरतपुर में सांकीवाल जल-मार्ग का विस्तार ।

पंचायतों के चुनाव।

रेन्ज आंजरी में डोजा के भीलों को वितरित काश्त की भूमि ।

ग्राम टोडा, जिला टोंक की पंचायत का नगरपालिका में होने वाला परिवर्त्तन ।

राजस्थान इंडियन मेडीसिन बोर्ड में स्टाफ का अभाव ।

डॉ० ए० एम० खान, रीहेबिलिटेशन आॅफिसर, बीकानेर के विरुद्ध यात्रा–भत्ता सम्बन्धी शिकायत ।

रोहट पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत विकास कार्य ।

पंचायत समितियों को वितरित कृषि के औजारों का उपयोग ।

बाली व देसूरी तहसीलों में बांध निर्माण की स्वीकृत योजनाएं ।

पाली पंचायत समिति के अन्तर्गत पंचायतों के सचिव पद पर आसीन शिक्षक ।

डी० एम० एन्ड एच० ओ० के कार्यालय का जयपुर से स्थानान्तरण ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य ।

ग्राम पंचायत रानी खुर्द के भूतपूर्व सरपंच द्वारा आबादी भूमि का विक्रय ।

पाली जिले की अवसायन में आई हुई सहकारी समितियां ।

तहसील खानपुर में हींचर तथा भीमसागर बांधों का निर्माण कार्य ।

जोधपुर डिविजन में सहकारी समितियों के पर्सनल डिपोजिट अकाउन्ट्स का प्रचलन ।

राज्यपाल महोदय का सन्देश १५६५

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित सन्देश पढ़ा गया :

"दिनांक २३ फरवरी, १९६१ को विधान सभा के समक्ष दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे सन्तोष हुआ है ।"

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १५६५

श्री रामचन्द्र चौधरी, सभापति, प्रवर समिति ने राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

विचारार्थ लिया गया विधेयक

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पंचायत मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान पंचायत (संशोधन)

विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० बहादुरसिंह, श्री जगदीशप्रसाद माथुर व श्री पी० के० चौधरी ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इस पर किए गए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री शंकरलाल
(२) श्री भैरोंसिंह (१४)
(३) श्री मूलचन्द डागा
(४) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
(५) श्री दयाकृष्ण विजय
(६) श्री सोहनलाल भटनागर
(७) श्री मुरलीधर व्यास
(८) राव श्री नारायणसिंह मसूदा
(९) श्री हरिप्रसाद यादव।

सरकार की ओर से दिये गये उत्तर के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह एवं श्री पी.के. चौधरी ने अपने अपने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिये तथा श्री जगदीशप्रसाद माथुर का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खंड २ से ९—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खंड १०—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड ११—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खंड १२—संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खंड १३—स्वीकार किया गया।

खंड १ आदि—स्वीकार किये गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पंचायत मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को पारित किया जाय श्री भैरोंसिंह (१४) व श्री मोतीलाल ने अपने विचार व्यक्त किये।

पंचायत मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

स्कम्भ स्कम्भ

शनिवार, दिनांक ११ मार्च, १९६१ की कार्य सूची

(१) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली) विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(२) मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(४) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(५) पाली नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४६ का उत्तर देखिये)

रोहट छाया खण्ड में सन् १६५६ व ६० में पंचायत समिति द्वारा कुओं के निर्माण के लिए वितरित की गयी धन-राशि की सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसको धनराशि दी गई	मंजूर शुदा रकम	दिनांक	कुओं के निर्माण हेतु
१	२	३	४	५
१	तेजसिंह	५००)	६-४-६०	५००)
२	देवीसिंह पुत्र तख्तसिंह	४००)	६-४-६०	४००)
३	पूना दाना रोहट	६००)	६-४-६०	६००)
४	वैलिखां पुत्र ताजू खां रोहट	७००)	६-४-६०	७००)
५	अचलाराम पुत्र गौमा	१०००)	२२-२-६०	१०००)
६	रामसिंह पुत्र बख्तावरसिंह	१०००)	५-५-६०	१०००)
७	राना पुत्र थूला बाटेलाव	६००)	७-६-६०	६००)
८	जीवा पुत्र भूदर राम दिवादी	४००)	६-४-६०	४००)
९	मोहब्बतसिंह पुत्र मगनसिंह नीमली	४००)	६-४-६०	४००)
१०	चेलाराम पुत्र मग्नाजी भड़िंतड़ा	५००)	५-५-६०	५००)
११	राधाकिशन पुत्र जसराज	५००)	७-५-६०	५००)
१२	धर्मसिंह पुत्र शिवसिंह	५००)	६-४-६०	५००)
१३	रावतगिरी पुत्र धनगिरी	५००)	६-४-६०	५००)
१४	पुखराज पुत्र सालगराम	६००)	७-६-६०	६००)
१५	प्रभू पुत्र जयरूप दूदीया	५००)	२२-२-६०	५००)

१	२	३	४	५
१६	थूडा राम नारायण	५००)	६–४–६०	५००)
१७	रिकबा राम पुत्र वैणाजी उपकली	५००)	२६–६–६०	५००)
१८	देवीसिंह पुत्र पूरिया घोलेरिया समग	६००)	७–६–६०	६००)
१९	लोसन विसार पुत्र हीरालाल खन्दोकाकी ढाणी	७००)	६–४–६०	७००)
२०	भिका पुत्र दाना	७००)	५–७–६०	७००)
२१	तुलसीराम पुत्र खेतीराम	७००)	५–६–६०	७००)
२२	सांवत पुत्र फूवां	८००)	५–१०–६०	८००)
२३	हजारिया पुत्र छेजा	५००)	२२–४–६०	५००)
२४	जसाराम पुत्र मूलदास उपकली	७००)	५–६–६०	७००)
२५	सोहनदास पुत्र मूलदास उपकली	७००)	५–६–६०	७००
२६	हजारीराम पुत्र चेतनाराम	१०००)	२२–६–६०	१०००)
२७	तुलसा देवाजी	१२००)	५–१०–६०	१२००)
२८	रामा देवा गिरोलिया	५००)	५–१०–६०	५००)
२९	रूपाराम भगा	१०००)	५–१०–६०	१०००)
३०	लच्छा वेना	७००)	५-६–६०	७००)
३१	बालूसिंह सुल्तानसिंह	७००)	१३–६–६०	७००)
३२	सुलतानसिंह लणसिंह	६००)	७–६–६०	६००)
३३	हरीसिंह हिम्मतसिंह	१२००)	५–१०–६०	१२००)
३४	मूला भला	१०००)	५–६–६०	१०००)
३५	सावलिया रूपनाथ	७००)	५–६–६०	७००)
३६	नेना वाना	७००)	५–६–६०	७००)

१	२	३	४	५
३७	राजसिंह भूरसिंह	६००)	१३–६–६०	६००)
३८	केरा पदा	५००)	२५–६–६०	५००)
३९	हमीरसिंह गुमानसिंह	८००)	१३–६–६०	८००)
४०	चिरंजीलाल मुकनलाल	१२००)	५–११–६०	१२००)
४१	धूला गुलाब	१०००)	५–११–६०	१०००)
४२	नैना मोडा	१०००)	५–११–६०	१०००)
४३	नरसिंह आ० पुत्र देव भारती	८००)	५–६–६०	८००)
४४	जेठाराम आ० सालगराम	१०००)	५–११–६०	१०००)
४५	जनाराम आ० भग्गाराम	१०००)	५–११–६०	१०००)

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५८ का उत्तर देखिये)

LIST OF NO-OBJECTION CERTIFICATES ISSUED FOR 1958-59,59-60,60-61 FOR PETHEDINE AND DOLANTIN INJECTION.

S. No.	Permit No.	Date of permit.	Name of the firm to whom the permits were issued.	Name of company from where the articles supplied.	Name and quantity of articles.	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			For the year 58-59			
1.	3.	29.5.58	Madhav Medical Store Jhalawar.	M/S. Ratan Lal & Co. 1424 Chandani Chowk, Delhi.	Pethedine Hydrocholor 100 mgs. 100x200-2 boxes.	Under item No.3 in the schedule attached to the Medicinals and Toilet preparation Excise Duties Rules 1955, the article being duty free: Asstt. Commissioner E & T issued no objection duty free certificates for purchases.

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
2.	5.	25.6.58	-do-	M/S. Atul Drugs House, 12 Champa Street, Bombay 2	Pethedine Hydroch-oir100 mgs. 100x2 cc-2 boxes.	
				For the year 1959-60.		
1.	5.	2.5.59	Jagdish Medical Store Jhalawar.	Holchest Pharmitical Works Ltd. Bombay.	1) Inj. Dolantin 200/100 mgm 200 amples. 2) Tablets Dolantin 50 mgm 200 Tablets.	-do-
2	13.	30.6.59	Madhav Medical Store Jhalawar.	Holchest Pharma (P) Ltd. P. O. Box. No. 273, Bombay 1.	1) Inj. Dolantin 100x2 cc(100 mg)-5 boxes. 2) 2 Dolantin Tabs. 100-5 (50 mg)2 bottles.	-do-
3.	14.	6.7.59	Jagdish Medical Store	M/s. Gurco Pharma Pri-	1)Inj. Pethden Hydro	

1	2	3	4	5	6	7
			Jhalawar.	vate Ltd., New Delhi.	chcloride 100 mg. in 2 c. c. 2) Box of 100 amples 200 bozes.	-do-
4.	15.	10.8.59	-do-	M/S. Bengal Imanity & Co. Private Ltd. Calcutta.	Inj. Pethedine Hydrocholaride 100 mgm. in 2 c. c. box of six amples 3000 boxes.	-do-
5.	16.	10.8.59	-do-	M/S Horchest Pharmacitical Private Ltd. Bombay.	Inj. Dolantin Hydrocholoride 100mgm. in 2 c.c. box of 100 amples 2000.	-do-
6.	17.	10.8.59	-do-	M/S. Gurco Pharma Private Ltd. New Delhi.	Inj. Pathedein Hydrochloride 100 mgm in 2 c. c. box of 100 amples.	-do-
7.	18.	28.8.59	Madhav Medical Store	M/S. Bengal Immonity	Pethedin Injection100	-do-

1	2	3	4	5	6	7
			Jhalawar.	Co. Ltd. Calcutta.	mgs. in 2 c. c. 6x2cc– 20 boxes.	
8.	19.	19.9.59	Jagdish Medical Store Jhalawar.	M/s. Gurco Pharma Private Ltd.New Delhi.	Pethedin Hydrocholoride 100 mgm 2 box of 2-100 Amples 200 boxes.	-do-
9.	24.	15.1.60	Madhav Medical. Store Jhalawar	-do-	Pethidine ingietim 100 mgs. 100x2 c. c. 3 boxes.	-do-

परिशिष्ट

LIST OF NO OBJECTION CERTIFICATE ISSUED TO DISTT. MEDICAL & HEALTH OFFICER JHALAWAR FROM 58-59 to 60 61 FOR IMPORT OF PATHADIN & DOLANTIN

No.	No obj. certificate No.	Name of the Firm.	Name of the company from where articles were to be imported.	Name & quantity of articles.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
			1958-1959.		
10.	24.1.59	Distt. Medical & Health Officer, Jhalawar.	Heshmin & Assami Jaipur.	Inj. Pethedine Hyd. 20x2 cc. 1000 Injections.	-do-
11.		-do-	Voltas Ltd. Bombay.	Inj. Pethedin 100x2 cc. 2000 injections	-do-
			1959-60.		
2.	29.4.59	Distt. Medical & Health Officer, Jhalawar.	M/s. Gurca Pharma Private Ltd. New Delhi.	Pethedin Hydrochloride 100 mgm. 2 cc. 30x100 amples.	-do-

1	2	3	4	5	6	7
3.	29.4.59	-do-	-do-		Pathedin Hydrocholoride 100 mgm 2 cc.20x100 amples.	-do-
4.		-do-	M/s. Bengal Chemical & Pharmacutical Work Ltd. Calcutta.		Pathedin Hydrocholoride B. P. 100x6x2 cc. amples	-do-
12.	27.6.59	-do-	-do-		Pathedin Hyd. 100 mgm. 2 cc. 6x240 boxes.	-do-

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिये)

संलग्न सूचि जहां चुनाव स्थगित हुए :—(क) जयपुर ३ स्थान, झुन्झुनू १, सीकर ३, अलवर ७, सवाई माधोपुर २, जालोर २, जोधपुर ३, गंगानगर ७, चुरू १, कोटा १, बून्दी १, भीलवाड़ा १, नागौर १, **कुल स्थान** ३३।

(ख) ,, ,, जहां उपद्रव हुए (सूचि ख) सीकर २, सवाई माधोपुर १, बून्दी १, झुन्झुनू १, अलवर ११, जयपुर ३, **कुल स्थान** १६।

(ग) संलग्न है:-

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये)

२ अक्टूबर, सन् १६५६ से आज तक रोहट पंचायत समिति द्वारा किये गये विकास कार्य एवं उनके लिए वितरित की गई धनराशि की सूची

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत रकम	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण
१	२	३	४	५
१.	सीड गोदाम खारड़ा की ढाणी	१५००)	—	अपूर्ण
२.	सीड गोदाम बिठू	१५००)	पूर्ण	—
३.	सांडों की खरीद	४०००)	पूर्ण	—
४.	स्कूल स–स–फार्म	१०००)	—	अपूर्ण
५.	पंचायत घर नीमली	१०००)	पूर्ण	—
६.	पंचायत घर खारड़ा	१५०)	पूर्ण	—
७.	पंचायत घर गड़वाड़ा	१५००)	—	अपूर्ण
८.	पंचायत घर भींतड़ा	१५००)	—	अपूर्ण
९.	स्कूल दूदीया	१०००)	—	अपूर्ण
१०.	स्कूल माण्डावास	१३५०)	पूर्ण	—
११.	पंचायत घर रोहट	१५००)	पूर्ण	—
१२.	स्कूल चेण्डा	१०००)	—	अपूर्ण
१३.	स्कूल ढाबर	१०००)	—	अपूर्ण
१४.	स्कूल जैतपुर	१५००)	—	अपूर्ण
१५.	कुरली चारणान पीचका	३००)	—	अपूर्ण
१६.	पीचका जाणडाई	४५०)	—	अपूर्ण
१७.	पीचका सिराना	१०००)	—	अपूर्ण

१	२	३	४	५
१८.	माण्डावास पीचका	१०००)	—	अपूर्ण
१९.	गिरवलिया पिचका	३५०)	—	अपूर्ण
२०.	तालाब कुलथाना	१०००)	पूर्ण	—
२१.	पीचका गडवाड़ा	५००)	पूर्ण	—
२२.	पीचका माण्डपूरिया	१५००)	—	अपूर्ण
२३.	पीचका धिन्गाना	१५००)	—	अपूर्ण
२४.	पीचका गडवाड़ा	२००)	—	अपूर्ण
२५.	पीचका खारड़ा	१०००)	—	अपूर्ण
२६.	पीचका दिवान्दी	१०००)	—	अपूर्ण
२७.	पीचका वागड़िया	१२००)	—	अपूर्ण
२८.	पीचका खारड़ा की ढाणी	१०००)	पूर्ण	—
२९.	पीचका राखाणा	१०००)	—	अपूर्ण
३०.	पीचका पाती	५००)	—	अपूर्ण
३१.	फाटक गेलावास	१५०)	—	अपूर्ण
३२.	पीचका घेलेरिया सासण	१०००)	—	अपूर्ण
३३.	पीचका डूंगरपुर	१०००)	—	अपूर्ण
३४.	पीचका जैतपुर	१४००)	—	अपूर्ण
३५.	पीचका मोरिया	१०००)	—	अपूर्ण
३६.	पीचका फैकारिया	१०००)	—	अपूर्ण
३७.	पीचका दादिया की ढाणी	१२००)	—	अपूर्ण
३८.	स्कूल दूदीया	१०००)	—	अपूर्ण
३९.	पीचका निमलीपटेलान	१०००)	—	अपूर्ण

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

LIST OF IMPLEMENTS DISTRIBUTED TO THE PANCHAYAT SAMITIESS

S. No. Name of the District.	Name of the P. Samiti.	Name of Implements.								
		Plough	Cultivator	Seed-drill	Hand Hoes	Triffali	Dibbers	Bund farmer	Harrows	Various types.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. S. Madhopur	S. Madhopur	10	2	12	11	-	-	-	-	-
	Khandar.	15	1	2	4	-	-	-	-	-
	Bonli	2	3	1	2	-	-	-	-	-
	Sapotra	2	3	1	2	-	-	-	-	-
	Gangapur.	40	4	4	8	-	-	-	-	-
	Karauli.	34	8	19	10	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mahuwa.	25	3	11	13	–	–	–	–	–
	Todabhim.	35	3	2	4	–	–	–	–	–
	Hindaun.	35	7	7	3	–	–	–	–	–
	Nadoti.	20	4	3	5	–	–	–	–	–
2. Jaipur.	No implements distributed to the Panchayat Samities.									
3. Jhunjhunu.	-do-		-do-							
4. Jaisalmer.	Jaisalmer.	30	4	–	–	–	–	–	–	–
	Pokaran.	–	3	–	–	–	–	–	–	–
5. Pali.	Rohat.	45	1	–	60	–	–	–	–	–
	Pali.	20	–	–	–	–	–	–	–	–
	Jaitaran.	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	Raipur.	100	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sumerpur.	–	–	–	50	–	–	–	–	–

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bali	-	1	-	100	-	-	-	-	-
6. Banswara.	No implements supplied to the Panchayat Samities.									
7. Nagaur.	Jayal.	20	2	-	10	-	-	-	-	-
	Nagaur.	15	-		-	-	-	-	-	-
	Mundwa.	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parbatsar.	23	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kotah.	Itawa.	3	1	-	12	-	-	-	-	-
	Ladpura.	-	-	-	80	-	-	-	-	-
	Atru.	40	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Dungarpur.	Bichiwara.	-	1	4	20	1	-	-	-	-
	Simalwara.	-	-	4	20	4	-	-	-	-
	Dungarpur.	38	-	-	35	5	10	-	-	-
	Sagwara.	-	-	-	11	-	-	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Aspur.	25	-	-	10	-	-	-	-	-
10.	Churu.	Ratangarh.	13	1	13	13	2	-	13	-	-
		Taranagar.	112	-	18	112	-	-	13	-	-
		Suratgarh.	18	-	18	18	15	-	2	2	-
		Dungargarh.	8	-	4	13	5	-	-	-	-
11.	Hanumangarh.	Hanumangarh.	43	13	-	3	-	2	-	10	-
		Suratgarh.	37	10	-	1	-	-	-	-	-
12.	Jhalawar.	Manoharthana.	11	5	-	4	-	-	-	-	-
		Jhalrapattan.	24	10	-	5	-	-	-	-	-
		Khanpur.	28	6	1	4	-	1	-	-	-
		Bakani.	8	2	1	1	-	-	-	-	-
		Dag.	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pirawa.	4	3	-	2	-	-	-	-	-

8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Sirohi.	No implements distributed to the Panchayat Samitis.									
14. Sikar.		—do—								
15. Bikaner.	Bikaner.	20	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nokha.	–	–	10	–	–	–	10	–	–
	Kolayat.	25	–	10	5	–	–	5	–	–
	Loonkaransar.	23	–	9	–	–	–	1	–	–
16. Bharatpur.	No implements distributed to the Panchayat Samitis.									
17. Jalore.	Jaswantpura.	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	Jalore.		4	–	–	–	–	–	–	
	Savala.	20	2	–	–	–	2	–	–	
	Sanchore.	–	–	–	6	–		–	–	–
18. Tonk.	Deoli	10	1	–	8	–	–	–	–	–
	Todaraisingh	–	–	–	10	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Malpura.	3	1	-	7	-	-	-	-	-
	Uniara.	4	-	-	4	-	-	-	-	-
	Newai.	11	9	-	3	-	-	-	-	-
19. Barmer.	Siwana.	490	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guramalani.	-	7	-	-	-	-	-	-	-
	Balotra.	38	18	-	-	-	-	-	-	-
	Sheo.	10	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ganganagar.	Raisinghnagar.	40	21	-	-	-	-	-	-	-
	Padampur.	86	26	-	-	-	-	-	-	-
	SriKaranpur.	39	18	-	-	-	-	-	-	-
21. Jodhpur.	Mandore.	20	13	2	20	-	-	-	-	-
	Phalodi.	21	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bap.	20	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Osian.	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bilara.	30	40	-	100	-	-	-	-	-
	Luni.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bhopal Sagar.	30	42	-	100	-	-	-	-	-
22. Udaipur.	Salumber.	-	-	-	-	7	-	-	-	-
	Bhindore.	50	-	-	20	3	-	-	-	-
	Bhopal Sagar.	-	-	6	5	-	1	-	-	-
	Bhim.	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	Kherwara	25	4	-	2	-	-	-	-	-
	Jhandol	5	1	-	1	-	-	-	-	-
	Devgarh.	17	-	-	10	-	-	-	-	-
	Khamnor.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gogunda.	20	5	-	-	-	-	-	-	-

1				4	5	6	7	8	9	10	11
		Badagaon.	33	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	Chittorgarh.	Bhalesar.	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		Dungla.	7	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	Ajmer.	Pisangan.	–	–	–	–	–	–	–	56	56
		Masuda.	–	–	–	–	–	–	–	10	–
		Kekri.			–		–			13	–
		Arain.	–	–	–	–	–	–		28	–
		Kishangarh.		–	–	–	–	–	–	5	–
		Jawaja.	–	–	–	–	–	–	–	8	–
		SriNagar.	–	–	–	–	–	–	–	1	–
25.	Alwar.	(Panchayat Samiti, of Alwar Distt.)	817	80	–	–	–	7	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Bhilwara.	Raipur.	25	10	-	40	-	1	-	-	-
	Hurda.	10	5	3	5	5	2	-	-	-
	Suwana.	2	5	1	-	-	-	-	-	-
	Banera.	17	4	1	-	-	-	-	-	-
	Asind.	10	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७० का उत्तर देखिये)

STATE: RAJASTHAN

1.8 ESTIMATES OF CROP PRODUCTION AND YIELDS

S. No.	Crops.	Production: Unit	Production: 1955-56	Production: 58-59	Production: 59-60	60-61 estimated	61-62 projected	65-66 Projected	Unit	Yields per acre: Irrigated area: Average for 58-59 and 59-60	Yields per acre: Irrigated area: Target for III PLAN estimated	Yields per acre: Irrigated area: Increase% @	Yields per acre: Irrigated & unirrigated: average for 58-59 and 59-60	Yields per acre: Irrigated & unirrigated: Target for III plan estimated	Yields per acre: Irrigated & unirrigated: Increase %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Rice.	'000 tons.	86	85	114	107	134	290	lb/ac	1170	1521	30.0 %	1005	1300	29.3 %
2.	Wheat.	,,	907	1030	1007	1071	1229	2036	,,	970	1200	23.7 %	775£	920	18.7 %
3.	Maize.	,,	524	544	533	595	695	846	,,	1117	1340	20.0 %	800£	950	18.7 %
4.	Jowar.	,,	220	336	315	290	286	272	,,	Un	irrigated		243*£	250	29 %
5.	Bajra.	,,	777	975	972	873	871	926	,,	Un	irrigated		194*£	215	10.8 %
6.	All cereals.	,,	3121	3591	8587	3644	3908	5327	,,	1086	1354	24.6 %	429	546	27.3 %
7.	Gram.	,,	707	1139	773	960	949	343	,,	Un	irrigated		492*£	500	1.6 %
8.	All pulses.	,,	1034	1502	1138	1391	1390	1332	,,	Un	irrigated		349	359	2.9 %
9.	Foodgrains.	,,	4175	5093	4725	5035	5297	6658	,,	1086	1354	24.6 %	404	494	22.3 %
10.	Groundnut.	,,	36	46	54	50	54	70	,,	Un	irrigated		594	627	5.6 %
11.	Oilseeds.	,,	252	267	198	276	287	340	,,	242	302	25.0 %	219£	265	21.0 %
12.	Sugarcane.	,, (cane)	453	417	595	900	1006	1800	,,	19190	33600	75.1 %	19190	33600	75.1 %
13.	Cotton.	'000 bales.	184	145	148	200	210	350	,, (Kapas)	365	610	67.1 %	286£	438	53.1 %

* These are the five year averages of the years 1655-56 to 1959-60 as Bajra, Jowar and Gram depend entirely on wheather conditions which have a five year cycle. The average production figures for 1958-59 and 1959-60 are 222 lbs., 277 lbs. and 526 lbs. respectively.

@ No survey estimates are available for irrigated areas. These are estimated figures.

£ Based on Crop cutting survey. The averages of remaining crops are based on official estimates.

१	२	३	४	५
१५.	रामगढ़ सिरातन कोप. क्रेडिट सोसायटी	–	–	–
१६.	चीतरखास कोप. क्रेडिट सोसायटी	–	–	–
१७.	साबलपुरा कोप. क्रेडिट सोसायटी	–	–	–
१८.	चीतर बासिया चरपा कोप. क्रेडिट सोसायटी	–	–	–
१९.	सेन्द्रा स्टेट एम्पलॉइज़ कोप. टी. एण्ड सी. सोसायटी	–	–	–
२०.	रामगढ़ अमरगढ़ कोप. क्रेडिट सोसायटी	–	–	–
२१.	शर्मा कोप. मोर्टगेज सोसायटी	–	–	–
२२.	शर्मा कोप. क्रेडिट सोसायटी	–	–	–
२३.	बया बहु. सहकारी समिति. बोया	६८८८–१०	१८३–९७	७०७२–०७
२४.	बरवान बहु. सहकारी समिति, बरवान	१७३२–६२	१९–६०	१७५२–२०
२५.	सेवतालास बहु. सहकारी समिति सेवतालास	२८६१–०५	१०४–१९	२९६५–२४
२६.	जेताराम स्टेट एम्पलाइज़ कोप. टी. एण्ड सी. सो.	–	–	–
२७.	नेहरू कोप. स्टोर, पाली	–	–	–
२८.	पाली लोह उद्योग सहकारी समिति	–	–	–
२९.	सिवारी बहु. सहकारी समिति	९७३२–७१	–	९७३२–७१
३०.	निमाज वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति	–	–	–
३१.	शीप ब्रीडिंग कोप० सोसाइटी, सोजत सिटी	–	–	–
३२.	सोजत जमीदारान कोप० टी० एण्ड सी० सोसाइटी	–	–	–
३३.	कैलवाद कोप० टी० एण्ड सी० सोसाइटी	–	–	–

१	२	३	४	५
३४.	केहूराय कोऑपरेटिव टो० एण्ड सी०	–	–	–
३५.	सोजत सिटी सेल एण्ड सप्लाई सोसाइटी	–	–	–
३६.	चन्दावाल कोऑपरेटिव स्टोर	–	–	–
३७.	कृष्णा कोप० सेल एण्ड सप्लाई सोसाइटी, सोजत	–	–	–
३८.	जतपुरा सेल एण्ड सप्लाई सोसाइटी	–	–	–
३९.	लोह उद्योग भवन निर्माण सह० समिति, सोजत रोड	–	–	–
४०.	सिवारी ईंट उत्पादक सहकारी समिति	९७३८–८४	–	९७३८–८४
४१.	जनता कोप० सेल एण्ड सप्लाई सोसाइटी एरिनपुरा रोड	–	–	–
४२.	ग्राम सेवक बचत या साख सहकारी समिति, सुमेरपुर	–	–	–
४३.	डेरी सहकारी समिति, सुमेरपुर	–	–	–
४४.	सुमेरपुर स्टेट एम्पलॉइज कोप० क्रेडिट सोसाइटी	–	–	–
४५.	महावीर कोप० कन्जूमर्स स्टोर, पाली	–	–	–
४६.	देवरिया कोप० फोडर सोसाइटी	–	–	–
४७.	कालू आनन्दापुरा कोऑपरेटिव स्टोर	–	–	–
४८.	जेतारन कोऑपरेटिव स्टोर	–	–	–
४९.	शिवशंकर भेड़ नस्ल सुधार सहकारी समिति	–	–	–
५०.	महेश कोप० सेल एण्ड सप्लाई सोसाइटी, भिरमालिया	–	–	–

१	२	३	४	५
५१.	बाली एजूकेशन स्टाफ बचत या साख सहकारी समिति, बाली	–	–	–
५२.	श्री शिवशंकर बहुधन्धी सहकारी समिति, माडा	४८५३–८३	६७२–४०	५५२६–२३
५३.	श्री निम्बारा महिला उत्पादक सहकारी समिति	–	–	–
५४.	माडा बचत या साख सहकारी समिति	२३११–२२	१८६–२९	२४९७–५१
५५.	सोजत रोड वैस्टर्न रेलवे एम्पलॉइज़ कन्जूमर्स सोसाइटी	–	–	–
५६.	मेघवंशी बुनकर उत्पादक सहकारी समिति	–	–	–
५७.	सोजत कोप० टी० एण्ड सी० सोसाइटी	–	–	–
५८.	मुंडारा सेल एण्ड सप्लाई स्टोर	–	–	–

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७४ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क)

नाम जिला	क्रम संख्या	नाम समिति	रकम जो जमा है	कब से जमा है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
नागोर	१	चारनवास को० थ्रि० एण्ड क्रेडिट सो०	२०२)१४	३१-५-५२	
,,	२	मकराना मुसलमान सिलावटान को० थ्रि० एण्ड को० सो०	४३)५३	,,	
,,	३	रावडीयाद जाटान थ्रि० एण्ड क्रे० को० सो० रेगरान	१३८)१७	,,	
,,	४	पीलवा को० थ्रि० एण्ड क्रे० को० सो०	५०६)११	,,	
,,	५	जसूरी को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो०	१४८)६७	,,	
,,	६	विदियाद को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो०	४५)	५—६—५०	
,,	७	खोरवर को० थ्रि० एण्ड क्रेडिट सो०	१३)३४	३१—५—५२	
,,	८	श्यामपुरा को० ,, ,, ,, ,,	६६)३०	२२—६—५२	
,,	९	मारोठ सेल एण्ड सप्लाई को० सो०	४००)	३१—५—५२	
,,	१०	खानपुर ,, ,, ,, ,, ,,	२२५)	,,	
,,	११	वाटिका वीवर्स को० सो० लि०	३२)४७	,,	
,,	१२	तांतवास ,, ,, ,,	१४)७५	,,	
,,	१३	सामसर ,, ,, ,,	१४)७५	,,	
,,	१४	जायल ,, ,, ,,	२२)८१	,,	
,,	१५	मूडवा को० सेल एण्ड सप्लाई स्टोर	३)१६	,,	

१	२	३	४	५	६
नागोर	१६	मेडता को० सेल एण्ड सप्लाई स्टोर	२७१)६२	१४—८—५२	
,,	१७	सोगावास को० थ्रि० एण्ड क्रे० को० सो०	५२)७५	३—६—५३	
,,	१८	नागोर विवर्स को० सो० लि०	४२)५२	३१—५—५२	
,,	१९	जाटावास भांभीयान को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो० लि०	१७५)५०	२२—१२—४९	
,,	२०	डेगाना को० सेल एण्ड सप्लाई स्टोर	६६)	२२—१८—५६	
,,	२१	जय हिन्द को० स्टोर, नागोर	४००)	२२—५—५२	
,,	२२	नागोर लुहार इन्डस्ट्रीयल को० सो०	१६१)३७	३१—५—५२	
,,	२३	मकराना भांभीयान को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो०	१३१)३७	३१—५—५२	
,,	२४	बोरावड़ भांभीयान को० ,, ,, ,, ,,	६१)२४	१२—२—५१	
,,	२५	मकराना को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो०	२३)५८	३१—५—५२	
,,	२६	खजवाना ,, ,, ,, ,, ,,	१०)३१	३१—५—५२	
,,	२७	इन्दाना ,, ,, ,, ,, ,,	१३९)३९	३१—५—५२	
,,	२८	नागोर को० सेल एण्ड सप्लाई स्टोर	७)६२	३१—५—५२	
,,	२९	गुनावटी को० क्रे० सो०	१०५)	३१—५—५२	
,,	३०	गांगवा ,, ,, ,,	२)७५	३१—५—५२	
बाडमेर	३१	जसोल को० सेल एण्ड सप्लाई	३००)	५—११—४८	
,,	३२	दुधवा को० टी० एण्ड सी०	६)	७—६—४९	
,,	३३	पोकरन तेलियान टी० एण्ड सी०	७७)१६	ज्ञात नहीं है।	
,,	३४	उजाला अडवा बुनकर उत्पादक सहकारी समिति	२३८)३७	,,	
,,	३५	पोकरन मालियान टी० एण्ड सी०	९५)१९	,,	

१	२	३	४	५	६
जालोर		जालोर जिले की किसी भी सहकारी समिति की रकम पर्सनल डिपोजिट एकाउण्ट में जमा नहीं है। सूचना शून्य समझी जाय।			
सिरोही		,, ,, ,,	,,	,,	,,
पाली	३६	हेमावास को० बचत व साख सo समिति (टी)	१४४ रु०, १५आ०, ६पा०	१५—१–५१	
,,	३७	वाला को० बचत व साख स० समिति १० (टी)	६१—४–६	१८—७–५२	
,,	३८	पाली मोचियान को० बचत व साख स० स० २० (टी)	७६—६–६	११—८–५१	
,,	३९	पाली स्वीपर्स को० बचत व साख स० स० ४१ (टी)	३–१४–३	३१—५–५२	
,,	४०	पाली टाउन को० बचत व साख स० स० ७२ (टी)	६७–१३–३	१५—१–५१	
,,	४१	पाली काश्तकारान को० बचत व साख स० स० ७६ (टी)	४—६–०	१५—१–५१	
,,	४२	भण्डीया को० बचत व साख स० स० ६२ (टी)	१२५—६–०	१८—७–५२	
,,	४३	गुढ़ा प्रतापसिंह को० बचत व साख स० स० ६४ (टी)	१३—१–६	३१—५–५२	
,,	४४	पाली को० स्टोर लि०	१६७–१४–६	२७—३–५१	
,,	४५	मानपुरा किरां की ढाणी को० बचत व साख स० स०	४६—२–६	७–११–४६	
,,	४६	इन्दरवाडा को० बचत व साख स० स०	२५–११–६	३१—५–५२	
,,	४७	श्री सिन्ध शरणार्थी स० स०, सोजत सिटी	२०—०–०	१८–१२–४६	
,,	४८	सिरीयारी को० बचत व साख स० स० (खारची)	७६—४–६	२३—६–५२	

१	२	३	४	५	६
पाली	४६	धीनावास को० बचत व साख स० स०	५६—०—०	१३—८—५१	
,,	५०	मालियान लोहार इन्डस्ट्रीयल को० स०, सोजत	१३२—०—०	६—६—५३	
,,	५१	केलवाडा को० बचत व साख स०स०	६८—१३—६	१—७—५३	
,,	५२	मेगरदा मालियान को० बचत व साख स० स०	०—२—०	३—२—५३	
,,	५३	बर को० बचत व साख स० स०	६८—१५—३	२४—३—५३	
,,	५४	जैतारण-मालियान को० बचत व साख स० स०	७६—८—०	३—२—५३	
,,	५५	देवरिया को० बचत व साख स० स०	६८—४—६	२१—३—५३	
,,	५६	कालू सिरिया बहुधन्धी को० बचत व साख स० स०	६०—१५—३	३०—५—५३	
,,	५७	कालू आनन्दपुर को० बचत व साख स० स०	३७—४—६	३—२—५३	
,,	५८	जैतारण को० बचत व साख स० स०	७६—०—०	१८—४—५३	
,,	५६	तालिकिया को० बचत व साख स० स०	३८—०—०	२७—१०—५२	
,,	६०	टाकरवास को० बचत व साख स० स०	७२—४—६	३—२—५३	
,,	६१	जैतारण को० स्टोर	३६—६—७	८—६—५३	
,,	६२	जूजन्डा को० बचत व साख स० स०	५७—१३—०	३—२—५३	
,,	६३	जैतारण स्टेट एम्प्लॉइज को० बचत साख स० स०	३१—१५—०	१—५—५३	
,,	६४	रामपुरा को० बचत व साख स० स०	३६—०—०	२४—७—५३	
,,	६५	भाकरवास को० बचत व साख स० स०	३६—०—०	२७—१०—५२	
,,	६६	सीरमा लैन्ड मोर्टगेज को० सो०	३३६—०—०	३१—५—५२	

१	२	३	४	५	६
जोधपुर	६७	को० स्टाफ थ्रि० एण्ड क्रे० सो० लि०, जोधपुर	१२—१३—६	२०—१०—५१	
,,	६८	जोधपुर मेडीकल स्टाफ को० सो० लि०, जोधपुर	४८—४—६	२२—१—५३	
,,	६९	आजाद सिंध रिफ्यूजी को० सो० लि०, जोधपुर	३—७—३	६—१२—४६	
,,	७०	श्री सिन्ध पुरुषार्थी को० थ्रि० एण्ड क्रे०सो० लि०, जोधपुर	५—१२—०	३१—१०—४६	
,,	७१	स्टेट गेरेज को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो० लि०, जोधपुर	४०—१२—०	२८—२—४६	
,,	७२	देड्कडा को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो० लि०, देड्कडा	८५—१०—०	२२—१—५३	
,,	७३	महा मन्दिर भंगियान को० सो०	१८—०—३	२२—१—५३	
,,	७४	पाडला विवर्स को० सोसाइटी	०—०—६	६—५—४३	
,,	७५	एक्स सर्विसमैन मोटर ट्रान्सपोर्ट को० सो०	६६—१५—०	२२—१—५३	
,,	७६	इन्द्रोका वीवर्स को० सो०	५७—१०—०	१३—५—४६	
,,	७७	सति सिंध रिफ्युजी को० सो०	२—१५—६	१७—१०—४६	
,,	७८	लक्ष्मण मल्टीपर्पज को० सो०	२—१—०	३१—१० ४६	
,,	७९	गोपालसिंह रिफ्युजी को० सो०	२—२—६	२६—१०—४६	
,,	८०	कृष्णसिंह रिफ्युजी को० सो०	२—२—६	२२—१०—२६	
,,	८१	गांधी सिंध रिफ्युजी को० सो०	१६—४—०	१७—१०—४६	
,,	८२	सिंध सच्ची सरस्वती को० सो०	२५—०—०	१४—५—४६	
,,	८३	सिंध सरस्वती टोबेको व बीड़ी उद्योग संस्था लि०	१२—०—०	१७—१०—४६	

१	२	३	४	५	६
जोधपुर	८४	दुर्गा मल्टीपर्पज को० सो०	५—३—३	३१–१०–४६	
,,	८५	सिन्ध यूनियन को० सो०	११–१०–३	३१-१०–४६	
,,	८६	दमोमल सिंध रिफ्युजी को० सो०	३—७–६	६–१२–४६	
,,	८७	गणेश सिंध सहकारी साख संस्था	६–१०–०	३१–१०–४६	
,,	८८	उम्मेद सिंध रिफ्युजी को० सो०	३—७–३	६–१२–४६	
,,	८६	देशनोक को० स्टोर को० सो०	०—१–०	३०—६–४८	
,,	६०	खिचन को० स्टोर सो०	१७—०–०	२८—२–४६	
,,	६१	फलोदी विवर्स को० सो०	५३—५–०	३—२–५३	
,,	६२	मांडल को० स्टोर सोसाइटी	२—१–०	३—२–५३	
,,	६३	खिचन्द लेबर सेल एएड सप्लाई स्टोर	७—१–०	१५—७–४८	
,,	६४	दाणामगरा थ्रि० एएड क्रे० सो०	६६३–१३–६	४—७–५६	
,,	६५	बिलाड़ा थोक सिवा थ्रि० एएड क्रे० सो०	१३८—०–०	२२—१–५३	
,,	६६	बिलाड़ा थोक रुगा थ्रि० एएड क्रे० सो०	७६—०–०	२२—१–५३	
,,	६७	भावी सीरवीयान थ्रि० एएड क्रे० सो०	१०७—७–६	२५—६–५२	
,,	६८	उचियारडा मेघवाल थ्रि० एएड क्रे० सो०	८४–१२–६	२२—१–५३	
,,	६६	बीजवारिया को० थ्रि० एएड क्रे० सो०	६७–१३–६	२२—१–५३	
,,	१००	भावी जाटान को० थ्रि० एएड क्रे० सो०	४८—१–०	४–११–५२	
,,	१०१	बिलाड़ा क्रे० को० सो०	६८८—०–६	२२—१–५३	
,,	१०२	कालाउना क्रे० को० सो०	२२—०–०	२३—५–५६	
,,	१०३	उचियारडा सरगान क्रे० को० सो०	६०—६–६	२२—१–५३	
,,	१०४	बिलड़ा मोचियान क्रे० को० सो०	७५–१४–३	१—७–५०	
,,	१०५	बिलाड़ा जमीदारान क्रे० को० सो०	१८७–१०–३	५—५–५६	

Page No.160

१	२	३	४	५	६
जोधपुर	१०६	त्रिलाड़ा थोक गुमना मीरखीयान क्रे० सो०	१६५—६–६	२६—६–५१	
,,	१०७	कंकालिया क्रे० को० सो०	१—६–०	१८–११–५२	
,,	१०८	त्रिलाड़ा थोक सूरा क्रे० को० सो०	११७—४–३	८—७–५०	
,,	१०६	त्रिलाड़ा सेल एण्ड सप्लाई को० सो०	११७७८—७–०	६—६–५०	
,,	११०	त्रिलाड़ा पटेलान को० स्टोर सो०	४६–१२–०	२२—१–५३	
,,	१११	उदलियावास क्रे० को० सो०	५१६——८६	२२—१–५३	
,,	११२	साथीन सेल एण्ड सप्लाई स्टोर सो०	५—०–०	२—७–४६	
,,	११३	जनता को० थ्रि० एण्ड क्रे० सो०, बंगावरा चारणान	५—५–०	२२—१–५३	
,,	११४	सिन्धी को० सेल एण्ड सप्लाई को० सो०	११—०–०	१६—३–५१	
,,	११५	सिन्धी राजपुताना सेल एण्ड सप्लाई को० सो०	११—०–०	१६—३–५१	
,,	११६	स्टेट होटल को० सो०	१८२—३–३	२२—१–५३	
,,	११७	पीपाड सिटी दी किसान को० स्टोर	३०२१—०–०	१७—८–५०	

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ का उत्तर देखिये)

जोधपुर राज्याधिकारी नागोर परगने के न्यायाधीश श्री भन्डारी उमरावचन्दजी के जमीन प्रान्त न्यायालय नं० ४ के फैसले की नकल

सिविल सूट नं० ३७।३७।३८

मुद्दइयान	मुद्दायले
रहीमबक्स, नूरमोहम्मद इत्यादि लाडनूं के मुसलमानों की तरफ से	लाडनू ठि० की तरफ से वकील और दिगम्बर जैन सरावगियों की तरफ से महादेव, केसरीमल, गणेशमल और भीमराज।

दावा बाबत कब्जा (हस्त कारार)

फैसला

वर्तमान मुद्दइयान ने यह दावा प्रतिलिपि के रूप में पेश किया है। वे लाडनूं के मुसलिम जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुद्दायलेहिम नं० २ लाडनूं के सरावगी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मुद्दइयान यह एलान करवा देने के लिये दावा करते हैं कि जो जमीन पीले रंग से साइट प्लान ई० एक्स० ए० में दिखाई गई है वह लाडनू में स्थित पीर उमरशाह मजार की है और जमीन के टुकड़े ए० बी० सी० डी० ई० एफ० जी० एच० आई० जे० के० एल० एम० एन० ओ० पी० क्यू० और एक्स० वाई० इसी जमीन के भाग हैं मुद्दइयान की यह भी दर्ख्वास्त है कि मुद्दायलेहिम नं० २ ने जो पट्टा जमीन ए० बी० सी० डी० का मुद्दायलेहिउ नं० १ से मिगसर वदी १४ सं० १९९० में लिया है यह छिपे छिपाये जाल से लिया गया है रद्द कर दियां जाय, मुद्दायलेहिम नं० २ ने जमीन ए० बी० सी० डी० पर जो बनाया है वह तोड़ दिया जाय और जमीन ई० एफ० ओ० एस० एम० एन० ओ० पी०, और एक्स० वाई० पर मुद्दायलेहिम नं० ४,५ और ६ ने जो बाड़ बना लिये हैं यह हटवा दिये जायं और इन जमीनों के अंशों पर

मुद्दयान को कब्ज़ा दिया जाय जो कि उन्हीं की जमीन के हिस्से के नाम वापिस ले लिये थे; और उनको बरी करने की प्रार्थना की गई है। लिखित बयानात पेश करने पर तफसील बनी और दोनों दलों ने अपनी गवाहियां पेश कीं और दावे का फैसला मुद्दयान के पक्ष में सुनाया गया, किन्तु माननीय चीफ कोर्ट में अपील करने पर यह मामला फिर दुबारा ताजगी तौर पर जांच करने के लिये इस न्यायालय में कानून के अनुसार भेज दिया गया। इस मामले में गवाहों के बयानात लेने के लिये लाडनूं में मेरा कैम्प ता० १४-१०-४१ को हुआ, किन्तु दोनों दलों में समझौता हुआ वह इस न्यायालय में पेश किया। इसके साथ साथ नकल साइट प्लान इ. एक्स. पी. ए. की भी थी जो मुद्दयान की तरफ से चीफ कोर्ट में पेश की गई थी और समझौता पेश करने बाबत मुद्दायलेहिम में से दो व्यक्ति नं० २ केसरीमल और महादेव हाजिर नहीं थे। किन्तु इन दो मुद्दायलेहिम ने बाद में समझौता को इकरार कर लिया था और ता० १३-१२-४१ को यहां मिली। इस समझौते के अनुसार इस प्रकार फैसला देता हूँ। :—

१. जमीन जो लाल हद से इ. एक्स. ओ. पी. के साइट प्लान सी में दिखाई गई है सिवाय रास्तों की और मावलियों के थान की जमीन के सब की सब लाडनूं के मुसलमानों को कब्रिस्तान घोषित की जाती है और मुद्दयान को सिवाय उन टुकड़ों के जो इस सुलहनामे में हैं दूसरे अनुच्छेद में दिखाये गये हैं। उपयुक्त लाल हद के बाहर कब्रिस्तान के लिये कोई उज्र हक उठाने के लिये मना किया जाता है।

२. इ. एक्स. पी. ए. की साइट प्लान सी० में जमीन का टुकड़ा जो १७ एक्स. वाई. ज़ेड. के निशान से बताया गया है जिन व्यक्तियों के अधिकार में है उनके खिलाफ मुद्दयान को कानूनी कार्यवाही करने की आज़ादी है।

३. इस मुकदमे में दोनों दलों में इ. एक्स. पी. ए. की साईट प्लान सी. में जो जमीन ए० बी० सी० डी० लाल निशान से बताई गई है उस पर का सब अधिकार छोड़ दिया है और इस जमीन का पट्टा मुद्दायलेहिम नं० २ सरावगियों को मंजूर किया वह ना-मंजूर किया जाता है। मुद्दायलेहिम नं० १ ठि० लाडनूं को चाहिये कि इ. एक्स. पी. ए. की सी. में जो जमीन का टुकड़ा १०, ११ एस. डब्ल्यू. के निशान से बताया गया है और इ. एक्स. पी. ए. की साइट प्लान सी में रामसुख का बाड़ा बताया गया है वह आज से दो महीने के अन्दर २ मु० नं० लाडनूं के सरावगियों को इसका पट्टा किसी किस्म के खर्चे में मुफ्त में कर दे

और अगर मु० नं० १ इस बाबत दरमियानी पट्टा नहीं करता है तो यह जमीन का टुकड़ा इ. एक्स. पी. ए की सी में १०, ११ एस० डबल्यू० के निशान द्वारा बताया गया मु० नं० २ को पट्टा शुदा और कब्जा शुदा मिल्कियत समझी जावेगी और इस जमीन पर मु० नं० २ का हर प्रकार से कब्जा समझा जावेगा। जैसे वे इसे कैसे भी वह चाहें काम में ले सकते हैं या वे कुछ भी वहां बना सकते हैं और मुद्दइयान और मुद्दायले नं० १ किसी भी प्रकार की आपत्ति उठा नहीं सकते हैं, लेकिन मुद्दायले नं० २ को इ. एक्स. एम. पी की सी में १०. ११ एस. डबल्यू. निशान वाली जमीन पर बनाई गई इस इमारत को दक्षिणी दीवार में कोई दरवाजा खिड़की या टट्टी का सेहा खोलने का कोई अख्तियार नहीं होगा। यही रामसुख या इसके उत्तराधिकारी या मुद्दायले नं० २ जिनके पास जमीन आई है या जमीन पर कब्जा करने के बाद कोई एतराज होता है और उसे मुद्दायलेहिम रफ नहीं कर सकता है। तो मुद्दायले नं० १ को १,०००) रु. एक हजार रु. देगा।

४. और जो इ. एक्स. पी. ए. की सी में जो जमीन ए०बी०सी०डी० है उस पर जो चाहर दीवार बनी है उसके मलबे के हटाने का अधिकार मुद्दायले नं. २ को है और उसका खर्चा मुद्दायले नं. २ को बर्दाश्त करना होगा। और यदि वह चाहे कि चहार दीवारी ज्यों की त्यों पड़ी रहे तो दोनों दलों में इसकी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन मुद्दायले नं. २ आज से एक वर्ष में इस चहार दीवारी का मलवा नहीं उठाते हैं तो इस एक वर्ष की मयाद खत्म होने पर इस चहार दीवारी का कोई हक होवेगा और ना तो मुद्दइयान और न मुद्दायले नं. २ किसी भी तरह का इस चहार दीवारी के काम में लाने का हक होगा, लेकिन इस जमीन के टुकड़े पर मुद्दइयान को जाकर फातिहा पढ़ने पर हक होगा, लेकिन इस मुकदमे के कोई से भी दल को इस जमीन पर टट्टी फिरने का कोई हक नहीं होगा।

५. और मुद्दइयान याने लाडनू के मुसलमान जैसा कि उसने अपने बयान चीफ कोर्ट में दिया है उसके अनुसार जमीन जो. इ०एफ०जी०एच० जैसी ११, १२, १३, १४ एक्स. ओ. २६ और इ. एक्स. पी. ए. की सी में १२ औ १३ के निशान से बताई गई है अपने मुर्दों को नहीं दफनायेंगे।

६. और इ. एक्स. पी. ए की सी में ए. बी. सी. डी. निशान से बताई गई जमीन के टुकड़े के १०, ११ एस०डबल्यू० में जमीन है उस टुकड़े की कमी की जमीन को पित मुद्दायले नं० १ मुद्दायले नं० २ को दो आना प्रति गज के हिसाब से देगा।

७. इस मुकदमे में जो खर्च हुआ वह दोनों दल अपना २ खर्च बर्दाश्त करेंगे।

एस. डी. उमरावचन्द, न्यायाधीश

जिला कोर्ट नं० ४ (नागौर)

आज दिन ता० १० जनवरी, सन् १९४२ के खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

एस. डी. उमरावचन्द

जिला कोर्ट नं० ४, नागौर।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, १० मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१५१६	७	२:१३ करोड़	२.१३ करोड़
१५१८	२१	ढोली की	ढोलों की
१५२१	१७	लिते फिक्ड	लिए फिक्स्ड
१५२५	अन्तिम से ५	नही है।	नहीं हैं।
१५२६	१६	पैथेडाईन	पैथेडाइन
,,	२२	पैथेड्राईन	,,
१५२७	१८	परिशि्ट २	परिशिष्ट २
१५२८	१०	के इजेक्शन्स	थे इन्जेक्शन्स
१५३०	१	(१) चुनावों	(ग) चुनावों
१५३१	२	क्या। उम्मीदवार	क्या उम्मीदवार
,,	२१	अवलम्बिक है	अवलम्बित है
१५४४	६	श्री मूलचन्द डाग	श्री मूलचन्द डागा
१५४५	१६	शर्मा एन्ड ह्यू	शर्मा एन्ड हो
१५४६	१७	(कोटयुतली)	(कोटपूतली)
१५५४	शीर्ष	चौघरी	चौधरी
१५६५	शीर्षक	महोयय	महोदय
१५६८	शीर्ष	(डॉ० बहादुरसिंह)	(डॉ० बहादुरसिंह)
१५७१	शीर्षक	(वैधकरण)	(संशोधन)
१५७६	१६	ऑफिसर्स	ऑफिसर्स
१५८०	२०	रिटनिंग	रिटर्निंग
१५८३	५	था उन्होंने	था कि उन्होंने
१५८६	१०	हैइ सको	है इसको
१५८७	अन्तिम से ४	Paachayat	Panchayat
१५८९	१९	"It is	It is
१५९२	२७	Jila Parishad	Zila Parishad
१५९४	८	डेलीडेट	डेलीगेट
१६०७	अन्तिम से ४	शख्त	सख्त
,,	अन्तिम से ३	पंचावत	पंचायत

१	२	३	४
१६०६	२२	कॉम्यनिटी	कॉम्युनिटी
१६१०	८,१७,२० २२, २४		
,,	अन्तिम पंक्ति	रुबूत	सुबूत
१६१६	४	रिजेक्क	रिजेक्ट
१६१७	१६	किएड सी	किए उसी
,,	शीर्षक	(सशोवन)	(संशोवन)
१६३१	१२-१३	असभव हेम मृगस्य जन्	असंभव हेम मृगस्य जन्म:
१६३७	१०-११	An application of closure It will be motion.	It will be an application of closure motion.
१६३८	१३	फोर्मों	फॉर्मों
१६४२	२६	देखक कर	देख कर
१६४७	२२	उनकी शक्ति	उनकी उस शक्ति
१६४६	१७	अमेन्डमेंट	अमेन्डमेंट
१६५२	१६-१७	Yes, Shri Narayan Singh श्री नारायणसिंह	Yes, Shri Narayan Singh
,,	अन्तिम से २	(वल्लभनगर)	(वल्लभनगर सु०)
१६६०	अन्तिम से ४	२६६१	१६६१
१६६८	१५	कॉस्न्स्टिट्युशन	कॉन्स्टिट्युशन
,,	अन्तिम पंक्ति	बात	दूसरी बात
१६७३	६	वख्त	वक्त
१६७६	शीर्ष	बद्रीप्रसाद	बद्रीप्रसाद
,,	२४	th State	the State
१६८०	१४	बह बह	वह यह
१६८६	२४	फक्शन	फंक्शन
१६८७	३१ एवं ३३-३४	'एडीशनल कलेक्टर और दिया' हुआ है	'एडीशनल कलेक्टर' और दिया हुआ है
१६८८	२७	होनी चाहिये रूल्स में	होनी चाहिये
१६८६	१६	पुरुप	पुरुष
,,	२०	abount	about
१६६०	शीर्षक	पंजायत	पंचायत
१६६१	अन्तिम पंक्ति	गय ।।	गया ।
१६६२	शीर्षक	१३६२	१६६२

१	२	३	४
१६६२	६	अमेंटमेंट	अमेंडमेंट
१६६३	१८	objction	objection
१६६४	११	add or	add, 'or
१६६६	४	बड़े मुस्तेनीपने	बड़े मुस्तैदीपने
,,	१३	दिया जावे ?	दिया जावे:
१६६६	२६ वीं पंक्ति के नीचे	—	(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)
१७०२	प्रथम	साफ एक	साफ साफ
,,	अन्तिम	ave already	have already
१७०६	१२	Iwthdraw	I withdraw
१७११	अन्तिम से २	वह पलॉज़	वह क्लॉज़
,,	अन्तिम	bstructing	obstructing
१७१८	शीर्ष	(श्री दवाकृष्ण	(श्री दयाकृष्ण
१७२३	२२	श्री बद्रीप्रादस	श्री बद्रीप्रसाद
१७२६	१६	iss on it	is on its
१७२८	४	श्री ज्वालाप्रसास	श्री ज्वालाप्रसाद
१७३४	शीर्ष	(श्री पी. पी. चोधरी)	(श्री पी. के. चौधरी)
१७३५	प्रथम	whose n m	whose name it
,,	६	डॉ० बहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
,,	१६ व २६	'आथरिटी	'ऑथोरिटी'
१७३८	अन्तिम से २	ऐसा है लगता	ऐसा लगता है
१७३६	१०	है: यह	है यह
१७४०	११	नहीं । पूरे	नहीं पूरे
,,	१६	आमत नहीं	आयत नहीं
१७४१	११	खिलफ किसी	खिलाफ किसी
१७४३	६	pleae	please
१७४५	१	हुई	हुई
१७५०	२	बिल, ६१,	बिल, १६६१
१७५८	६	नोटर	मोटर
१७६०	३	रोहड़	रोहट
,,	सीरियल ७ कॉलम २	थूला	धूला
१७६४	४-५ कॉलम ६	Hydrochoir	Hydrocholor

१	२	३	४
१७६४	अन्तिम कॉलम ६	Pa thden	Pethedine
१७६५	सीरियल ४ कॉलम ५	Imanity	Amenity
,,	सीरियल ७ कॉलम ५	Immonity	,,
१७८६	सीरियल २ कॉलम ३	एएड को० सो०	एएड के. सो
१७८७	७	विवर्स	वीवर्स
१७९०	१६	भंमियान को०	भांमियान को०
,,	२३	रिश्युजी को०	रिफ्युजी को
१७९१	अन्तिम से २	बिलड़ा	बिलाड़ा
१७९२	अन्तिम	पीपाड	पीपाड़

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ठ	सीरियल ६ के सामने	(१७५२–१७५६)	(१७५२–१७५९)
१५३८	शीर्षक	(श्री बद्रीप्रसाद गुता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
१५४८	६	साली की	बाली की
१६७६	५	वल्लम नगर	वल्लभ नगर
१६९०	शीर्ष	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)	(डॉ० बहादुरसिंह)
१७०६	शीर्ष	सभापदि	सभापति
१७८६	१	देखि	देखिये)
१७९३	१	३०८ का	१५० का